खण्ड–10, अंक–6
मंगलवार, 09 पौष, शक संवत् 1925
(30 दिसम्बर, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2003)

उत्तरांचल विधान सभा

(खण्ड 10 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय, (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2009

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	'क'
प्रश्नोत्तर	1–37
विधान सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखने विषयक व्यवस्था का प्रश्न	37–41
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	41
राजधानी देहरादून के घंटाघर से गाँधी पार्क "दि माल योजना" के अन्तर्गत स्वीकृति एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	41–42
विधान भवन एवं सचिवालय भवन की सुरक्षा हेतु अस्थायी व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42–43
उत्तरांचल में मॉडल कैडर के समायोजित विकल्पित अध्यापकों का संशोधित चयन वेतनमान का निर्धारण न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद हरिद्वार में शिवालिक नगर को नवनिर्मित नगर पंचायत घोषित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43–44
जनपद अल्मोड़ा के क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत "गगास चमड़खान पम्पिंग पेयजल योजना" के आगणन को स्वीकृत कर योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	44
जनपद चमोली में जिला पंचायत मद के तहत वर्ष 2001–2002 के खाद्यान्नों का वितरण ग्रामीणों को न किए जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद रुद्रप्रयाग में पॉलीटैक्निक संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद चमोली के पोखरी स्थित रा0उ0मा0 विद्यालय गोदली के उच्चीकरण की माँग के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45–46
सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन कर एक ही वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को अवर वर्ग सहायक पदनाम देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46–47

विषय	पृष्ठ संख्या
दिनांक 27–12–2003 को पिथौरागढ़ के ग्राम पामें में हुए भयंकर अग्नि काण्ड से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47
जिला ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज में हो रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद पौड़ी के अशासकीय जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूलों को अनुदान श्रेणी में लाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48
उत्तरांचल में 228 राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48
प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद चमोली में डिम्मर सम्पर्क मार्ग निर्माण में अधिग्रहीत श्री लोकानन्द डिमरी की भूमि का मुआवजा विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	49
लालकुआँ नगर पंचायत के सीमा विस्तार हेतु पंचायत सीमा से लगी खाली भूमि को उपलब्ध कराने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	49–50
नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण	50
उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002–2003) का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां एवं छठा प्रतिवेदन (प्रस्तुत) ...	50–51
उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 2002–2003 का पहला प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	51
जगदेई तीर्थ विकासखण्ड चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी को तीर्थ एवं पर्यटक स्थल घोषित किये जाने विषयक याचिका (उपस्थापित)	51
जनपद उत्तरकाशी में अवस्थित रूपनौल डांडा को पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने विषयक याचिका (उपस्थापित)	51
जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी गढ़वाल के नगुण–भवान मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण विषयक याचिका (उपस्थापित) ...	51

विषय	पृष्ठ संख्या

जनपद रुद्रप्रयाग विकासखण्ड अगस्त्यमुनि एवं ऊखीमठ में रा०उ०मा० विद्यालय खुमेरा, मणिगुह एवं रामपुर के उच्चीकरण विषयक याचिका (उपस्थापित) 51–52

जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के जूनियर हाईस्कूल कुण्डबगड के उच्चीकरण याचिका (उपस्थापित) 52

जनपद उत्तरकाशी में पंचकोशी (वारूणी यात्रा) को धार्मिक यात्रा घोषित करने विषयक (उपस्थापित) 52

देहरादून शहर के कांवली रोड स्थित भाटड़ा मौहल्ला में सीवर लाइन चोक होने विषयक याचिका (उपस्थापित) 52

देहरादून शहर के बीच डांडीपुर क्षेत्र की पुरानी सीवर लाइन को खुले नाले में छोड़ने विषयक याचिका (उपस्थापित) ... ... — 52

जनपद अल्मोड़ा एवं नैनीताल के विकासखण्ड ताड़ीखेत, भिकियासैंण एवं बेतालघाट के अन्तर्गत कोसीवाला खेत (रीच थापला) पेयजल योजना के निर्माण विषयक याचिका (उपस्थापित) ... — 53

उत्तरांचल विधान सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ... — — 53

विधानसभा की सर्वदलीय जांच समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने की घोषणा ... ... — 53

उत्तरांचल राज्य में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री का वक्तव्य ... ... — 53–55

पेयजल मंत्री का शोधन वक्तव्य 55–56

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ... — ... 56–57

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ... — — 57

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) 57

सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जाँच के सम्बन्ध में श्री रणजीत सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना ... — — 58

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें ... ... — 58–66

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 (पारित)	67—107
उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 (पारित) ...	108—112
हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 (पारित)	113—130
जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढाकेदार व रघुनाथ मन्दिर घुतु को चार धाम पदयात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य योजना से जोड़े जाने विषयक नियम—103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	130
उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना विषयक नियम—103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	130
उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण—पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध करने विषयक नियम—103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	131
संविधान के अनुच्छेद—323 के खण्ड (2) के अधीन उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर मा० सदन द्वारा चर्चा कराने विषयक नियम—103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी) ...	131
नियम—51 के अन्तर्गत सूचनायें	131—132
जनपद पिथौरागढ़ के प्राथमिक विद्यालय मेलकुड़ा भवन की छत जमीन पर गिर जाने के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम—51 के अन्तर्गत सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	132
देहरादून खास विधानसभा के कई क्षेत्रों में स्थान—स्थान पर सीवर लाइन के अभाव में सीवर की गन्दगी खुले नालों में बहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर, सदस्य विधानसभा द्वारा दी गई नियम—51 के अन्तर्गत सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य	132—133
कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट में लोक निर्माण खण्ड, रानीखेत "डिपाजिट वर्क" के रूप में करवाये गये कार्यों का भुगतान मजदूरों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम—51 के अन्तर्गत सूचना पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	133

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के ग्राम बिनगढ़ में पेयजल आपूर्ति की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य	134
ईरान में भूकम्प से हुई तबाही के प्रति संवेदना प्रस्ताव	134
सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (पारित)	134-135
नत्थी	136

''क''

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्रीमती आशा देवी
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9—श्री काशी सिंह ऐरी
10—श्री किशोर उपाध्याय
11—श्री कैलाश शर्मा
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह
15—श्री गोविन्द लाल
16—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री चन्द्रशेखर
18—श्री जोत सिंह
19—श्री तसलीम अहमद
20—श्री तिलक राज बेहड़
21—श्री तेजपाल सिंह रावत
22—श्री दिनेश अग्रवाल
23—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24—श्री नव प्रभात
25—श्री नारायण दत्त तिवारी
26—श्री नारायण पाल
27—श्री नारायण राम आर्य
28—श्री नारायण सिंह जंतवाल
29—काजी निजामुद्दीन
30—श्री प्रकाश पन्त
31—कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
32—डा0 प्रताप बिष्ट
33—श्री प्रदीप टम्टा
34—श्री प्रीतम सिंह
35—श्री प्रीतम सिंह पंवार
36—श्री प्रेमानन्द महाजन
37—श्री फूल सिंह बिष्ट
38—श्री बलवीर सिंह नेगी
39—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
40—श्री भगत सिंह कोश्यारी
41—श्री मदन कौशिक
42—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
43—श्री महेन्द्र भट्ट
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
45—श्री मातबर सिंह कण्डारी
46—श्री माल चन्द्र
47—चौ0 यशवीर सिंह
48—श्री रणजीत सिंह
49—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
50—श्री राम प्रसाद टम्टा
51—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
52—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
53—श्री शूरवीर सिंह
54—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55—श्री सहजाद
56—श्री साधू राम
57—श्री सुबोध उनियाल
58—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60—श्री सुरेश चंद
61—श्री हरबंस कपूर
62—श्री हरभजन सिंह चीमा
63—श्री हरिदास
64—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
65—श्री हीरा सिंह बिष्ट
66—श्री हेमेश खर्कवाल
67—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ मेला के अन्तर्गत कराये जा रहे निर्माण कार्य बिना टेण्डर प्रक्रिया तथा कार्य की गुणवत्ता

**1–श्री मदन कौशिक–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अर्द्धकुम्भ मेले हरिद्वार में निर्माणाधीन केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, घाट सीवर का कार्य बिना टेण्डर प्रक्रिया के कराया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्यों ?

क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु उत्तरांचल सरकार द्वारा कोई एजेंसी नियुक्त की गई है ?

यदि हाँ, तो कौन सी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

जी हाँ।

केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष एवं घाट निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के उपक्रम को कार्य दिया गया है तथा सीवर का कार्य राज्य सरकार के उपक्रम द्वारा किया गया है। सरकारी उपक्रमों को कार्य देने की प्रक्रिया अपनाई गई है।

जी हाँ।

शहरी विकास विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–130/2002–04 (एच0के0एम0/03, दि0 03 फरवरी, 2003 द्वारा मेलाधिकारी अर्द्धकुम्भ–2004 की अध्यक्षता में गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, इसके अतिरिक्त उपरोक्त कार्य का गुणवत्ता परीक्षण श्री राम इन्स्टीट्यूट फार इण्डस्ट्रीयल रिसर्च द्वारा भी कराया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अर्द्धकुम्भ मेले हरिद्वार में निर्माणाधीन केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष, घाट सीवर का कार्य बिना

टेण्डर प्रक्रिया के कराया जा रहा है ? इसमें माननीय नगर विकास मंत्री जी का उत्तर आया जी हाँ। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें टेण्डर प्रक्रिया क्यों नहीं अपनायी गयी। दूसरा आपने कहा कि केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष एवं घाट निर्माण हेतु केन्द्र सरकार के उपक्रम को कार्य दिया गया तो क्या केन्द्र सरकार की प्रक्रिया बिना टेण्डर की ही प्रथा है उसको बिना टेण्डर के क्यों दिया गया और उस कार्य को राज्य सरकार के उपक्रम को क्यों नहीं दिया गया। तीसरा इस कार्य के लिए सिंचाई विभाग उत्तरांचल सरकार द्वारा स्टीमेट बनवाया गया तो वह स्टीमेट कितने का बना और यह कितने का ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सरकारी उपक्रमों को कार्य देने के लिए टेण्डर प्रक्रिया आवश्यक नहीं है और जहाँ तक सिंचाई विभाग द्वारा स्टीमेट बनाए जाने की बात है तो इस सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सिंचाई विभाग द्वारा 1.82 लाख रुपया बाकी ई0पी0आई0एल0 को तीन करोड़ छः लाख रु0 में दिया गया तो दोनों में भारी अन्तर है। चूँकि माननीय नगर विकास मंत्री जी ने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है तो मान्यवर, सिंचाई विभाग द्वारा ही उत्तरांचल राज्य में अनेकों कार्य करवाए जा रहे हैं। यह जानकारी उन्हें पता नहीं, किन कारणों से नहीं है। मान्यवर, और जो घाट सीवर का कार्य है जिसको राज्य सरकार करवा रही है इसमें टेण्डर प्रक्रिया क्यों नहीं अपनायी गयी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न शायद घाट सीवर के कार्य से है जिसका निर्माण पानी के बहाव को रोक कर ही किया जा सकता था अतः कार्य 15 दिन में ही किया जाना आवश्यक था, तो यह कार्य 3 करोड़ 82 लाख 42 हजार रु0 का है उसके साथ जो सीवर निर्माण का कार्य है वह 1 करोड़ 7 लाख 44 हजार रु0 का है। बाकी कार्य जब उनका आंकलन किया गया उस स्थल पर, तो यह स्थल लगभग ब्रह्मकुण्ड से 100–150 मीटर ऊपर स्थित है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के निर्माण में टेण्डर प्रक्रिया क्यों नहीं अपनायी गयी और रुड़की में आई0आई0टी0 से जाँच कराने के बजाय, उसको बाहर की एजेंसी को क्यों दिया गया ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आई0आई0टी0 रुड़की को जितने भी चयनित कार्य हैं वह सब दिये गये थे और उससे भी अच्छी संस्था को दोबारा जाँच कराने के उद्देश्य से जिसमें श्रीराम

इन्स्टीट्यूट है जो कि हिन्दुस्तान की ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और केन्द्र सरकार का भी उससे गुणवत्ता का परीक्षण होता है और सी0बी0आई0 की समस्याओं का परीक्षण होता है उसको दिया गया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 15 दिन में ये कार्य होने जरूरी थे। क्या केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष भी 15 दिन में ही बनना चाहिए था ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक बुलेटप्रूफ लिफ्ट लगाई जा रही है। यह एक प्रकार से अर्द्धकुम्भ का सबसे बड़ा निर्माण है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, वहाँ पर हास्पिटल भी बन रहा है, इसका निर्माण कार्य केन्द्र सरकार के उपक्रम को क्यों नही दिया गया ? क्या हजारों लोगों को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हास्पिटल की चिन्ता माननीय मंत्री जी ने क्यों नहीं की ? जो अन्य कार्य वहाँ पर चल रहे हैं उनकी चिन्ता माननीय मंत्री जी ने क्यों नहीं की ? क्या वहाँ पर सिर्फ दो ही काम महत्वपूर्ण है। मान्यवर, जब यह करार हो चुका था कि अर्द्धकुम्भ में जितने भी कार्य होंगे, उनकी गुणवत्ता की जांच आई0आई0टी0 रुड़की करेगा तो फिर श्रीराम इंस्टीट्यूट की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने पहले भी अवगत कराया है कि आई0आई0टी0 रुड़की से कुछ कार्यों की जांच के लिए कान्ट्रेक्ट किया गया था, सभी के लिए नहीं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि श्रीराम इंस्टीट्यूट द्वारा अन्य कई कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण भी कराया जा रहा है जैसे–हर की पैड़ी पर इरीगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जाँच, ई0पी0आई0लि0 द्वारा भीमगोड़ा बैराज से कांगड़ा ब्रिज तक बनाये जा रहे घाटों की गुणवत्ता की जाँच, जी0पी0सी0यू0 द्वारा भीमगोड़ा ब्रिज से कांगड़ा ब्रिज तक सीवर्स के निर्माण की गुणवत्ता की जाँच, ई0पी0आई0 द्वारा बनाये जा रहे कन्ट्रोल रूम की गुणवत्ता की जाँच, ऋषिकुल में गंगा कैनाल पर अन्य पुलों के निर्माण की गुणवत्ता की जाँच, जाटवारा में गंगा कैनाल पर बनाये जा रहे पुलों की गुणवत्ता की जाँच। मान्यवर, इसी तरह के कई कार्य हैं जिनकी गुणवत्ता की जाँच श्रीराम इंस्टीट्यूट कर रहा है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के उप राष्ट्रपति महोदय ने ई0पी0आई0 को वर्ष 2000–2001 एवं 1999–2000 के लिए "एक्सीलेन्ट परफारमेंस" का सर्टिफिकेट दिया है और भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 1998–99 के लिए इसी फर्म को "एक्सीलेन्ट परफॉरमेंस" का सर्टिफिकेट दिया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं एक नीतिगत प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि श्रीराम इंस्टीट्यूट एक सम्मानित और विश्वसनीय इंस्टीट्यूट है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी एक्रिडेशन का क्या आधार है, किस आधार पर आप इसका चयन करते हैं ? अर्द्ध कुम्भ के निर्माण कार्यों की जांच आप करा रहे है क्या अपने विभाग अन्य कार्यों की गुणवत्ता की जांच भी इसी इंस्टीट्यूट से करायेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हर कार्य की जांच, एक ही एजेन्सी से कराना सम्भव नहीं है। लेकिन बड़े कार्यों की जांच निश्चित रूप से करायेंगे। मान्यवर, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आई0आई0टी0 रुड़की की रिपोर्ट को कोर्ट ने डिस्क्वॉलीफाई कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह प्रश्न मुझे ऐसा लग रहा है कि चूँकि हाईकोर्ट ने आई0आई0टी0 की किसी रिपोर्ट को नहीं माना तो अब हमें यह मानकर चलना चाहिए कि आई0आई0टी0 से हमें अब कोई जांच नहीं करानी चाहिए और माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि हमने अभी उनसे जांच कराई है, तो इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें। इसमें विरोधाभास क्यों है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आई0आई0टी0 जो भी सर्टिफिकेट देता है उसके पहले के क्लॉज को हमने हटवा दिया है अब इन्हें कोर्ट में अपनी रिपोर्ट को प्रूफ करना पड़ेगा वह क्लॉज लगाने से उनको मना कर दिया गया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, जब उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि ये आई0आई0टी0 वाले नालायक है और इनकी जांच को हम नही मान रहे हैं। तो क्या प्रदेश के अन्दर आई0आई0टी0 के माध्यम से और भी कार्यों को करवाया जा रहा है ? क्या भविष्य मे हम आई0आई0टी0 से जांच कराना बंद करेंगे ? जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। एक प्रकार से इसमें विरोधाभास आ रहा है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें विरोधाभास नहीं है, आई0आई0टी0 द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती थी उसमें पहले क्लॉज में यह लिख दिया जाता था कि नॉट एक्सेप्टेड टू कोर्ट प्रोसिडिंग्स। अब हमने उनकी रिपोर्ट में से यह कंडीशन हटवा दी है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में प्रूफ करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो आपने जांच करवाई उसकी रिपोर्ट क्या आयी, और कितना पैसा हमें इसमें देना पड़ा और श्री राम इंस्टीट्यूट फार इंडस्ट्रीयल रिसर्च को कितने रुपये का भुगतान किया गया ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो रिपोर्ट आई है, वह मेरे पास है जिन चीजों की जांच हमने कराई है, 8–10 पन्नों की यह रिपोर्ट है, यह पूरी की पूरी एक–एक चीज की जांच उनके द्वारा की गई है, उनकी रिपोर्ट है और कितना पैसा किस मद में खर्च किया गया इसकी जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, कौशिक जी ने माननीय मंत्री जी से पूछा था और उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि श्रीराम इन्स्टीट्यूट फार इण्डस्ट्रियल रिसर्च द्वारा भी कराया गया है। यह जांच आप करवा रहे हैं और कौशिक जी द्वारा यह भी पूछा गया था कि जांच के परिणाम क्या निकले, क्या–क्या खामियां थीं ? कार्य की गुणवत्ता कैसी थी, यही सदन जानना चाहता है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो रिपोर्ट है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ सीमेन्ट कान्सन्ट्रेट ऑफ स्ट्रेचर्स अपर लेयर में रेशियो बाई वाल्यूम सीमेन्ट की जांच हुई, यह ठीक पाई गई। सीमेन्ट कान्सन्ट्रेट ऑफ स्ट्रेचर्स लोवर लेयर में रेशियो बाई वोल्यूम सीमेन्ट, सीमेन्ट कान्टैन्ट्स बाई परसैन्टेज की जांच कराई है, यह भी ठीक पाई गई तथा एडमिक्सचर, सी0आई0सी0ओ0, मिक्स रेशियो, 500 एम0एल0 पर बैग ऑफ सीमेन्ट, यह इसके टैक्निकल डेटा है इन्हें मैं नहीं जानता इसमें क्लोराइड आयल कान्टैन्टस तथा रिलेटिव डेनसिटी एवं पी0एच0 वेल्यू की जांच कराई गई और तीनों ही ठीक पाई गई।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, क्या गुणवत्ता सही पाई गई या नहीं, यह मेरा प्रश्न था।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं एक–एक आइटम ही बता रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं इतनी जानकारी चाह रहा हूँ कि क्या सरकार द्वारा जो निर्माण कार्य कराये गये उसकी गुणवत्ता से आप संतुष्ट है या नहीं, यदि नहीं तो क्या कार्यवाही सरकार इस बारे में करेगी ?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, जहाँ पर उन्होंने कोई क्वालिफाइंग रिपोर्ट दी है, उसमें साथ ही यह भी लिखा है कि इसका इम्पेक्ट क्या होता है। मान्यवर, हमारे पास जो रिपोर्ट आयी है, उसमें एम0एस0 एंगिल के लिए लिखा है, "ग्रेड ऑफ स्टील प्लेट एंड एम0एस0 एंगिल हैज बीन कन्फर्म्ड बाई ई0पी0आई0एल0। ऑनली वन सीव हैज नॉट कन्फर्म्ड, बट दि अण्डर साइज इज मोर एंड दि कॉम्प्रेहेंसिव स्ट्रेन्थ कन्फार्ड दि ओ0के0 रिपोर्ट सो ओवर ऑल मैटीरियल एक्सेप्टेबिल।" इस प्रकार यह रिपोर्ट ओ0के0 है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आज शाम तक जानकारी उपलब्ध करा देंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य के पास जानकारी भिजवा दूँगा।

प्रदेश की औद्योगिक नीति के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव एवं स्थापित उद्योगों की स्थिति

**2–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश की नयी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाने में सफलता मिली है ?

यदि हाँ, तो नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् कितने नये उद्योगों को स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार को मिले हैं ?

इन प्रस्तावों के आधार पर कितने उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं ?

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

जी हाँ।

नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् 732 नये उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव मिले हैं।

प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अधिकांश इकाईयाँ स्थापित किये जाने की प्रक्रिया जारी है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के द्वारा अवगत कराया है कि नई उद्योग नीति की घोषणा के बाद 732 नये उद्योग लगाने का प्रस्ताव सरकार को मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन उद्योगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में कितना विनिवेश अनुमानित है। दूसरा, इन उद्योगों के लगने के

बाद कितने रोजगार के अवसर यहाँ पर उत्पन्न होंगे तथा उन रोजगार के अवसरों में हमारे प्रान्त के लोगों का क्या हिस्सा होगा ? तीसरा, मैं यह जानना चाहता हूँ, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इन उद्योगों को लगाने की प्रक्रिया जारी है। तो इन उद्योगों को लगाने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी ? ये उद्योग कार्य करना कब शुरू करेंगे तथा ये उद्योग किस क्षेत्र में लगने प्रस्तावित हैं ?

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य राज्य आन्दोलन में भी हमारे साथ रहे हैं। आपने एक साथ बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। मैं एक–एक कर सारे सवालों के जवाब दूँगा। मान्यवर, हमारे पास कुल 732 उद्योगों के प्रस्ताव आए हैं। उसमें से 156 के लिए हरिद्वार में जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें जमीन के लिए पैसा जमा करा लिया है, जो लगभग 5 करोड़ 54 लाख के करीब है। जिसमें पूँजी निवेश 700 करोड़ के करीब हैं इसमें जो लगभग 156 इकाईयाँ आ रही हैं, उनमें लगभग साढ़े तेरह हजार रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, हमारी जो इंडस्ट्रियल मीट हुई है उसमें हमने आग्रह किया है, जैसा कि पूरे देश में आज वातावरण है, उसके अनुसार योग्यता के आधार पर रोजगार में हमारे प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता देनी होगी। हमने अपनी औद्योगिक नीति में भी इस बात का उल्लेख किया है। हम इस प्रक्रिया को सतत् जारी रखेंगे। हम दबाव तो नहीं डाल सकते लेकिन आग्रह अवश्य करेंगे कि हमारे यहाँ के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैंने यह भी पूछा था कि यह उद्योग कब तक लग जायेंगे। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि हरिद्वार और कुछ अन्य क्षेत्रों मे इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया है, जहाँ पर उद्योग लगेंगे। मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूँ, नैनीताल में भीमताल और रानीबाग के बीच में एक औद्योगिक घाटी बनायी गयी थी। वहाँ पर उद्योग लगे थे और उससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए थे लेकिन आज समय के साथ–साथ वे उद्योग वहाँ से पलायन कर गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पर्वतीय क्षेत्र के लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट भीमताल में बनाने के बारे में सरकार कोई विचार कर रही है ?

मान्यवर, हमारे यहाँ जो निगमों की फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई है उनके बारे में जो केन्द्र सरकार के माध्यम से कुछ यूनिटें लगी हैं जैसा एच0एम0टी फैक्ट्री जो रानीबाग में थी, उसमें बहुत से नवयुवकों को रोजगार मिला। किन्तु, रानीबाग में स्थापित एच0एम0टी0 फैक्ट्री के साथ केन्द्रीय स्तर पर भेद–भाव किया गया। इस तरह की जो इकाईयाँ पूर्व में स्थापित थी उसके बारे में क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से बात–चीत कर रही है कि ऐसी इकाई सुचारू रूप से चले। इसके बारे में मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार क्या आवश्यक पहल कदमी कर रही है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा बहुत ही अच्छा प्रश्न किया गया। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि मात्र हरिद्वार में ही नहीं बल्कि पंतनगर में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। हमारे पास 86 प्रस्ताव आप लोगों के आए हैं, जो वहाँ पर अपनी इकाईयाँ स्थापित करना चाहते हैं और हरिद्वार में जो लैण्ड एलॉटमेन्ट की प्रक्रिया जारी है। पंतनगर के लिए हमने लास्ट डेट कल तक रखी थी। जहाँ तक पर्वतीय क्षेत्र की बात है मुझे यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनका कि औद्योगिक विकास का लम्बा इतिहास रहा है, अनुभव रहा है। हमने हर क्षेत्र में पाँच करोड़ की लागत से आई0आई0डी0सी0 की स्थापना करने का निर्णय लिया है, और इसके बारे में वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्षों और जिलाधिकारी को पत्र भेज दिए गये है। हम चाहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र के नवयुवकों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तभी वह औद्योगिक विकास के क्षेत्र में आगे आयेंगे। हर जिले में शीघ्र ही आई0आई0डी0सी0 की स्थापना जल्दी ही हो जायेगी। जहाँ तक एच0एम0टी0 फैक्ट्री का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि इसका यथासम्भव हल निकले। इसमें थोड़ी सी परेशानी है। केन्द्र सरकार से बातचीत चल रही है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या असेवित जिलों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? क्योंकि हमारे अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पौड़ी जिले असेवित जिले में आते हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि जो अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 732 उद्योगों को स्थापित करने के प्रस्ताव मिले हैं क्या कोई प्रस्ताव उत्तरांचल के पर्वतीय जिलों के लिए भी आया है यदि आया है तो उनका जिलेवार विवरण क्या है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य की पर्वतीय विकास की चिन्ता से मैं अपने को स्वयं सम्मिलित करता हूँ। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि प्रत्येक जिले में आई0आई0डी0सी0 की स्थापना की जायेगी। चाहे वह सेवित जिले हों या असेवित जिले हों। मान्यवर, अभी तो हरिद्वार और पंतनगर के लिए प्रस्ताव आए हैं। पर्वतीय जिलों में जब आधारभूत सुविधाएं मुहैया हो जाएगी, औद्योगिक विकास के लिए तो वहाँ के प्रस्ताव आयेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बने अभी केवल तीन वर्ष हुए हैं। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आये थे तो उन्होंने राज्य को एक पैकेज दिया था। जिसमें तत्कालीन नेता विरोधी दल ने हमारी मदद की थी।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हर बात पर नेता विरोधी दल का जिक्र न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, उस समय जो प्रेस नोट छपा था, उसमें भी यह जिक्र था। शायद अगले वर्ष 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी फिर राज्य की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं तो इस समय वर्तमान में नेता विरोधी दल का नाम आ जायेगा। राज्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह बिन्दुवार दिया है। मान्यवर, यहाँ पर जो उद्योग सालों से बन्द पड़े थे, राज्य बनने का ये भी प्रमुख कारण था। प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए फ्लोरीकल्चर, हार्टीकल्चर, टूरिज्म, पर्यटक गृह आदि छोटी–छोटी इकाईयाँ जैसी घड़ी उद्योग के लिए जो नैनीताल में घोषणा की थी। पर्वतीय क्षेत्रों में जड़ी–बूटी उद्योग, ग्रामोद्योग हीरे की तलाशी आदि की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मान्यवर, हम केवल कृषि उद्योग तक ही सीमित न रहें, बल्कि हमारे नौजवान माइक्रो इलेक्ट्रानिक के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। मान्यवर, इस क्षेत्र में यूरोप, आस्ट्रेलिया, जापान, चीन आदि देशों ने तरक्की की है। वर्तमान में इस क्षेत्र में सबसे आगे चीन है। मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में उद्योग पहले हुए हैं तथा इस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा जल्दी भी उद्योग लगते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने में कई दिक्कतें आती हैं। मैदानी क्षेत्र में 5–10 वर्षों के बीच बड़े पैमाने पर ग्रामोद्योग, जड़ी–बूटी उद्योग आदि चीन से भी ज्यादा जल्दी लग सकेंगे।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, जैसाकि नयी उद्योग नीति के तहत बार–बार यह संज्ञान में लाया जा रहा है कि पंतनगर में लगभग 17 हजार एकड़ भूमि है जिसके मध्य कुछ क्षेत्र में उद्योग लगाये जाने हैं तथा इसी तरह की कुछ भूमि हरिद्वार में भी हैं। दूसरी ओर उस कृषि योग्य भूमि में इण्डस्ट्रियल एरिया बनाकर कृषि भूमि खत्म कर देंगे, तो यह बड़ा विरोधाभास होगा। मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या पंतनगर के बजाय ऐसी भूमि का चयन करेंगे जो कृषि योग्य न हो ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत विज्ञ हैं। मुझे विश्वास है कि आप एक बार फिर उन नीतियों को देख लेंगे जो घोषित हुई। मान्यवर, हरिद्वार में जो भूमि चयन की गई है वह पहले से ही बी0एच0ई0एल0 को दी गई है, वह कोई कृषि भूमि नहीं है। बी0एच0ई0एल0 में जो हजारों एकड़ भूमि पड़ी है। उसका सदुपयोग किया है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बी0एच0ई0एल0 का उद्घाटन किया था उस समय से खाली है। मान्यवर, आज हरिद्वार की जनता को प्रसन्नता होगी कि वहाँ पर इतनी बड़ी इंडस्ट्री उस भूमि पर लग रही है जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, यह उस क्षेत्र के लिए बहुत

बड़ा काम होने जा रहा है। मान्यवर, जहाँ तक पंतनगर का सवाल है, तो पंतनगर में ऐसी बहुत सी भूमि थी जिसमें कृषि पैदावार कम हो रही थी और फिर वहाँ पर आवश्यक समझा गया कि उसका थोड़ा सा भाग उद्योग के लिए रखा जाए। मान्यवर, विश्व भर का इतिहास है, यूरोप, अमेरिका आदि कई देशों में कृषि भूमि में ही उद्योग लगा है। मान्यवर, यह अनिवार्य है और मजबूरी भी है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी कृषि भूमि उद्योग के उपयोग में आ गई, तो मैं समझता हूँ कि यह रोजगार की दृष्टि से और बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए जरूरी है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरा यह आशय नहीं था मेरा आशय यह था कि जो पंतनगर विश्वविद्यालय की 17 हजार एकड़ भूमि के बीच में औद्योगिक आस्थान बनाया जा रहा है, उसके अलावा रामपुर, टनकपुर आदि कई जगह है कुमाऊँ मण्डल में जहाँ अनुपजाऊ भूमि है, वह उपलब्ध है। अगर उसको इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता तो ज्यादा सार्थक होता।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, पंतनगर में 17 हजार एकड़ भूमि नहीं ली जा रही है, वहाँ 3 हजार एकड़ लगभग ऐसी भूमि ली जा रही है जिसमें कृषि उत्पादन प्रति हेक्टेयर बहुत कम है। मान्यवर, जहाँ तक टनकपुर आदि की भूमि के उपयोग की बात है, तो उसको उपयोग करने के लिए व्यवस्था करेंगे जिससे कि वहाँ भी उद्योग लग सकें जहाँ उद्योग नहीं है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, मैं माननीय नेता सदन का बहुत आभारी हूँ कि आप मार्च, 2002 को बहुत याद करते हैं। लेकिन जब आप माननीय अजय जी के प्रश्न पर भाषण दे रहे थे कि वहाँ इलेक्ट्रानिक भी होनी चाहिए, हार्टीकल्चर भी होना चाहिए, फ्लोरीकल्चर भी होना चाहिए, तो मुझे ऐसा स्मरण आ रहा है कि जब 25–30 वर्ष पूर्व आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, केन्द्र के मंत्री हुआ करते थे तब भी सुनिश्चित रूप से मैंने सुना कि पर्वतीय क्षेत्र में यह भी लगना चाहिए, यह भी होना चाहिए, मेरा सोचना है कि आपका पुराना चिन्तन आज तक चला जा रहा है। लेकिन जो प्रश्न उठा वह किसी विदेश क्षेत्र के जितने जिले हैं उनके लिए कौन–कौन सी योजनाएं हैं, किसको इन्सेन्टिव दे रहे हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि आपने जो किताब छापी उसकी कोई बात नहीं है, वह आपने हमें भी दी और हमने उसे पढ़ा भी। इसलिए पुस्तक का सवाल नहीं है। क्या सरकार की ओर से ऐसे कोई विशेष प्रयास किए जा रहे है ? आपने कहा पिछड़े क्षेत्रों के लिए हम भू–अध्यादेश लाए और श्री त्रिपाठी जी जैसे विज्ञ व्यक्ति को चुप करा दिया। आप तो इतने विद्वान है कि कुछ भी कह देंगे सभी लोग मान जायेंगे। मेरा कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए कौन सी स्पेसिफिक योजनायें बना रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को

भी लाभ मिल सकें। मान्यवर, आप विचारवान हैं, आप सोच सकते हैं कि आप क्या प्रयास करेंगे, मैं कहता हूँ कि ऐसे क्षेत्र हो जहाँ पर लोग आयें, जायें और वहाँ पर उद्योग लगें। आपने आई0आई0डी0सी0 शुरू कर दिया। मेरा कहना है कि क्या डी0आई0सी0 बन्द कर दिया, क्या डी0आई0सी0 सब बन्द हो गए हैं, आखिर डी0आई0सी0 के बावजूद आई0आई0डी0सी0 की क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देता हूँ। मान्यवर, आई0आई0डी0सी0 और डी0आई0सी0 के बीच कोई कन्फ्यूजन न हो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि आई0आई0डी0सी0 को डी0आई0सी0 डेवलप करेंगे। केन्द्र सरकार के सहयोग से डी0आई0सी0, आई0आई0डी0सी0 को डेवलेप करेंगे, जैसे कि पन्तनगर में बनाने जा रहे हैं। मान्यवर, हमें वहाँ पर जो उपलब्ध कच्चा माल है, क्योंकि इसकी बड़ी दिक्कत होती है वहाँ तक ले जाने के लिए और उद्योग वहाँ सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए आई0आई0डी0सी0 की स्थापना की जाएगी। इसमें स्थानीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। मान्यवर, मैं इसलिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, अभी हमारे माननीय मंत्री श्री किशोर उपाध्याय जी ने उत्तर दिया, पहली बात तो यह है कि अभी दो सप्ताह हुए केन्द्रीय मंत्री कृषि एवं उद्यान, श्री राजनाथ सिंह जी आमंत्रण पर आये और इसका उद्घाटन किया। मान्यवर, इस क्षेत्र में एक कदम उठाया गया हो तो बताया जाय, यहाँ तो रोज कदम उठा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कृषि विज्ञान जो उद्योग की जड़ होती है। 13 जिलों में विकसित करने के लिए हमारा आग्रह स्वीकार किया। एक तो वह योजना घोषित की 20 मार्च को माननीय अटल जी द्वारा दूसरी राज्य की योजना जो जून 2003 में घोषित हुई। मान्यवर, 3 हजार फीट से ऊँचाई वाले जिले को दो लाख तक की सब्सिडी योजना छोटी इन्डस्ट्री के लिए, 3 लाख से बढ़ाकर इन्सेन्टिव छोटी इन्डस्ट्री के लिए दिया।

श्री सुरेश चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो आपने अभी बताया कि 732 उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव मिल चुका है, जिनमें से 156 उद्योगों के लिए आपके हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाना तय हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 156 उद्योगों के लिए जमीन कहा एलॉट कर दी गई है अगर नहीं, तो कब तक एलॉट की जा रही है और इसमें एलॉट करने की व्यवस्था क्या है ? हमारे संज्ञान में आया है कि जिन उद्योगों ने वहाँ पर जमीन के लिए एप्लाई किया है उनको जमीन देने की स्थिति में नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि रुड़की जो उद्योग क्षेत्र के लिए छांटा गया वह उद्योग किस क्षेत्र में स्थापित की जा रही है ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो प्रस्ताव आये हैं। 156 इकाईयों के, इसमें जो जमीन की कीमत है उसका 10 प्रतिशत जमा करा दिया है। वह 5 करोड़ 54 लाख है। मान्यवर, इसमें जमीन भी देख ली है जो आधारभूत सुविधायें हैं जैसे सड़क है, बिजली और उसके पावर स्टेशन है उसकी व्यवस्था की जा रही है, उसका ठेका भी दे दिया है विद्युत संयंत्र लगेंगे। मान्यवर, दो साल के भीतर 100% पैसा जमा करवाया गया है। मान्यवर, 156 प्रस्ताव आए हैं और उनको पूरा करने का अलग–अलग समय है। छोटी इकाईयाँ पहले लग जायेंगी और बड़े उद्योगों में समय लगेगा। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि खुशखबरी की बात है कि रुड़की में जो प्राइवेट क्षेत्र आये है वे स्वयं आए हैं और उनमें से तीन लोगों के साथ अनुबन्ध भी कर दिया गया है। प्राइवेट पार्टी ने औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की जिज्ञासा ही नहीं बल्कि अनुबंध किया जा चुका है।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में वर्ष 2002–2003 के वन्य जन्तुओं का शिकार एवं रोकथाम के उपाय

*1–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 2002–2003 में प्रदेश में वन्य जन्तुओं के शिकार की कितनी घटनाएं प्रकाश में आयी ?

वन्य जन्तुओं के शिकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या प्रभावी उपाय करने जा रही है ?

श्री नव प्रभात–

वर्ष 2002–2003 में प्रदेश में वन्य जन्तुओं के शिकार की कुल 30 घटनायें प्रकाश में आयी हैं।

वन्य जन्तुओं के शिकार की घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए किये जा रहे मुख्य प्रयास निम्न है:–

1. वन्य जन्तुओं के शिकार के लिए संवेदनशील स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा ऐसे क्षेत्रों में वन कर्मियों की गश्त बढ़ायी गयी है।
2. अवैध शिकार की सूचना देने के लिए मुखबिरों की व्यवस्था की गयी है।
3. वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र एवं शिकार की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों की तैनाती भी की गयी है।
4. राष्ट्रीय पार्क व पशु विहारों, विशेषकर कार्बेट व राजाजी राष्ट्रीय उद्यानों में एन्टी–पेचिंग कैम्प की स्थापना की जा रही है।

5. वायरलैस नेट वर्क की स्थापना की गयी है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तत्काल सूचना का आदान–प्रदान हो सके और आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जा सके।

6. वन्य जन्तुओं से सम्बन्धित अवैध गतिविधियों के प्रकाश में आने पर तत्काल छापे मारे जा रहे हैं।

7. अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जाड़े की ऋतु में गश्त करने के लिए वन कर्मियों को आवश्यक कैम्प व सामग्री–किट उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

8. गत दो वर्षों से संवेदनशील स्थानों पर वन कर्मियों को नये शस्त्र भी उपलब्ध कराये गये हैं।

9. वन्य जीवों से सम्बन्धित समस्त पहलुओं पर वन कर्मियों को कार्बेट वन्य जीव प्रशिक्षण केन्द्र कालागढ़ में प्रशिक्षण दिया जा रहा है स्थानीय स्तर पर भी यह कार्यवाही की जा रही है।

10. वन रक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि यह घटनाएं कहाँ–कहाँ हुई हैं और क्या वन्य जीवों की संख्या घटी है या बढ़ी है ? मान्यवर, दूसरा यह जो अवैध शिकार होता है उसको रोकने के लिए वन रक्षकों की भर्ती के लिए क्या सरकार विचार कर रही है और उनकी भर्ती कब तक हो जायेगी ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो वन्य जीवों की संख्या के बारे में तो सेन्सेक्स की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है हम माननीय सदस्य के पास जानकारी के लिए भेज देंगे। मान्यवर, जो वन रक्षकों की भर्ती का है तो उसमें कार्यवाही की जा रही है और साथ ही उस कार्य को पूरा करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की जा रही है और 120 सैनिकों की भर्ती की जा चुकी है क्योंकि उनको अनुभव ज्यादा रहता है। मान्यवर, अवैध शिकारों के सम्बन्ध में नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में दि0 1–4–2002 को दो अपराधी पकड़े जिन्होंने काकड़ का अवैध शिकार किया था व केस न्यायालय में विचाराधीन है। दि0 1–5–2002 को एक अपराधी को कस्तूरा मृग सहित अवैध शिकार में पकड़ा व केस न्यायालय के विचाराधीन है। दि0 14–5–2002 को दो अपराधियों ने कस्तूरा मृग मारा। उन्हें अवैध शिकार में पकड़ा व केस न्यायालय के विचाराधीन है। दि0 11–2–2003 को तीन अपराधियों को पकड़ा जिन्होंने थार को मारा व केस न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वन्य जीवों की संख्या घटी या बढ़ी है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह सेन्सेक्स की रिपोर्ट में आ चुकी है हम भिजवा देंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने इसकी गणना करवाई होगी तो उसमें जीवों की संख्या घटी है या बढ़ी है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सेन्सेक्स की रिपोर्ट आपको मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप सूचना उपलब्ध करा दीजिये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं संख्या घटने या बढ़ने की जानकारी मांग रहा हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, बढ़ी है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय मंत्री जी, मुखबिरों के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है ? मान्यवर, कितने लोगों ने शिकार की शिकायत की है, भूतपूर्व सैनिकों को कहाँ–कहाँ तैनात किया गया है और इसके क्या–क्या फायदे हुए हैं ? और अन्य जन्तुओं से वन्य जन्तुओं की सुरक्षा के क्या कदम उठाये गये हैं ? मान्यवर, आज ही अखबार में आया है कि एक गुलदार ने चार चीतलों को मार डाला है। क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रश्न कई हैं। जहाँ तक मुखबिरों का सम्बन्ध है, इनकी व्यवस्था सीक्रेट फण्ड से की जाती है। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण देना उचित नहीं होगा। रु0 4 लाख 25 हजार की व्यवस्था सीक्रेट फण्ड हेतु की गई है। मान्यवर, दूसरा प्रश्न बहुत ही गम्भीर है कि वन्य जीव ही वन्य जीव की हत्या कर रहे हैं। मान्यवर, जब मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार जिम कार्बेट पार्क गया तो मुझे बताया गया कि एक माननीय मंत्री जी ने जब जंगल में हिरनों को खुलेआम घूमते देखा तो उन्होंने कहा कि यदि इन्हें शेर खा जाये तो हिरनों की संख्या में कमी हो जायेगी। (हंसी) लेकिन मान्यवर, यह तो प्रकृति का नियम है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, वैसे माननीय मंत्री जी यह चिन्ता का विषय है। मेरा यह प्रश्न पूछने की मंशा यह है कि यदा–कदा नरभक्षी बाघ किसी बालक या बालिका को अपना शिकार बना लेते हैं क्योंकि जंगल में जितने वन्य जन्तु होने चाहिए जिन्हें बाघ आदि खाते हैं उनकी संख्या में कमी आई है, यदि इनकी संख्या में कमी न आई होती तो ये बाघ आदि मनुष्यों की बस्ती में हमला न करते। इसलिए हमें वन्य जन्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। बिना जन–सहभागिता के हम वन विभाग में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या माननीय वन मंत्री जी अवैध शिकार, अवैध खनन आदि पर रोक लगाने के लिए वन सेना का गठन करेंगे ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के सभी सुझाव विचारणीय हैं। जहाँ तक जन सहभागिता का प्रश्न है इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ, वन पंचायतों के माध्यम से हम इसको चलाना चाहते हैं और वास्तव में जन सहभागिता की बड़ी आवश्यकता भी है। हमने अभी इको–टूरिज्म की पालिसी डिक्लेयर की है। इसके माध्यम से भी, जो पशु हमारे पार्क एरिया से बाहर हैं उनके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं इसमें ह्यूमन कानफ्लिक्ट की आवश्यकता होती है इसके लिए हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से अध्ययन करवा रहे हैं, अभी उनकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है अध्ययन चल रहा है, उनकी प्रारम्भिक रिपोर्ट अभी मेरे पास आई है। मान्यवर, इसमें एक चीज यह भी है कि पहले जो समाज की संरचना थी उसमें होता यह था कि जो पशु दुधारू होते थे जब वे हमारे किसी काम के नहीं रह जाते थे उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता था और इससे वहाँ का जीवन चक्र चलता था परन्तु आज ऐसे पशुओं को बाजार में बेच दिया जाता है। इस बारे में अभी हमारे प्रदेश के ऋषिकेश नगर पंचायत के सभासदों और अध्यक्ष द्वारा बहुत अच्छा कदम इसमें उठाया गया है। उन्होंने जो शहर में आवारा पशु थे जो कि गंदगी आदि खाते थे उन्हें चीला रेंज में छोड़ दिया।

अभी हमने वहाँ से वन गूजरों को हटवाया था तो इससे भी वहां का चक्र अच्छा चला और आज वहां पर लेपर्ड्स और टाइगर्स की संख्या में अच्छा इंप्रूव हुआ है। वहां पर ह्यूमन कानफ्लिक्ट उनका बढ़ रहा है। लेकिन आज के हिसाब से वहां पर ऐसे ही छोड़ दिया जाय तो यह भी सामान्य रूप से सम्भव नहीं होगा। यह सब जन जागृति और सहभागिता से ही सम्भव होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने गुलदार वाली बात कही थी तो यही उसका समाधान है। मान्यवर, यदि हम वन्य जीवों के क्षेत्र में या उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनका साइकल अपने आप चलता रहेगा तो वह भी इंसानी आबादी की ओर रुख नहीं करेंगे। यही वैज्ञानिक और हमारी सामान्य दृष्टि से व्यवहारिक होगा।

देहरादून में पेयजल के समाधान हेतु योजना

*2–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तरांचल सृजन के पश्चात जनसंख्या दबाव के कारण पेयजल समस्या समाधान की सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

यदि हाँ, तो उस योजना का स्वरूप क्या है तथा योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

जी हाँ।

देहरादून नगर निगम क्षेत्र हेतु वर्ष 2036 तक की आवश्यकता हेतु भारत सरकार को प्रेषित पी0एफ0आर0 अनुमानित लागत रू0 4508.26 लाख के क्रम में एक वृहद योजना देहरादून पेयजल योजना (कम्प्रेहेन्सिव) विरचित की जा रही है। भारत सरकार की स्वीकृति उपरान्त योजना में प्रस्तावित कार्य कराये जायेंगे एवं नगर निगम के समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में निर्मित योजनाओं के पुनर्गठन हेतु समय–समय पर प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है।

लागू नहीं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि "भारत सरकार को प्रेषित पी0एफ0आर0 अनुमानित लागत 4508.26 लाख रुपये के क्रम में एक वृहद योजना देहरादून पेयजल योजना (कम्प्रेहेंसिव) विरचित की जा रही है"। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जब तक भारत सरकार से यह योजना संस्तुत होकर आती है, तब तक के लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं ? क्या तब तक यहां की जनता को रामभरोसे छोड़ दिया है ? दूसरा यह है कि जनसंख्या का दबाव देहरादून में बढ़ रहा है, क्या उसका अध्ययन आपकी ओर से हो रहा है ? उनके लिए कितने पानी की आवश्यकता है और मानक क्या हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों के क्या मानक हैं और शहरी क्षेत्रों के क्या मानक हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जैसे कि माननीय सदस्य ने जानकारी चाही तो हमने वर्ष 2036 के लिए 4508.26 लाख की जरूरत होगी, यह 2036 के लिए प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, वर्तमान

में जो हमारी आबादी है और उसके साथ ही 2036 की आबादी के लिए भी हमने एक सुनियोजित प्लान तैयार किया है। आपनें यह जानकारी चाही कि वर्तमान में हम क्या करने जा रहे हैं ? मान्यवर, हम निरन्तर पेयजल की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रयासरत हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि 2003–2004 के लिए 92.98 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। जिसमें अम्बेडकर नगर, डी0एल0 रोड पर नलकूप की खुदाई जारी है। देहरादून पुनर्गठन योजना के तहत विजय नगर में भी शीघ्र ही नलकूप लगाया जाएगा। बीजापुर कैनाल, जिससे लगभग 12 एम0एल0डी0 पानी हमें प्राप्त होता है, उसके लिए भी कार्ययोजना बनायी गयी है। इसके साथ ही हैण्डपम्प तथा अन्य सुविधाओं से भी पेयजल उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम हर स्तर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। हर्रावाला में ट्यूबवेल अण्डर कंस्ट्रक्शन है। इसके अतिरिक्त बालावाला, जनरल महादेव सिंह रोड तथा माजरी माफी में भी ट्यूबवेल अण्डर कंस्ट्रक्शन है। कुंज विहार तथा सजवान खेरा में मिनी ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं।

मान्यवर, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेयजल विभाग की समीक्षा की थी और निर्देश दिए थे कि यहाँ की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए नये नलकूपों के शीतलन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाय। ब्राह्मणवाला, विजय नगर कॉलोनी, लोवर नत्थनपुर तथा अन्य बहुत सी कॉलोनियों के लिए भी हमने पेयजल योजनाएं तैयार की हैं और हम इन योजनाओं पर कार्य भी कर रहे हैं। हमने नियोजित ढंग से एक योजना तैयार की है। 2036 तक हमारी आबादी क्या होगी और उस समय पानी की कितनी आवश्यकता होगी इसके सम्बन्ध में एक नियोजित प्लान का प्रस्ताव हमने भारत सरकार के पास भेजा है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके अनुरोध पर यहां आ रहे हैं, उस दिन यदि आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो इस योजना को स्वीकृति मिल जाएगी। मान्यवर, 2036 में हमारे सामने पेयजल की कठिनाइयाँ न आएं इसके लिए हमने एक नियोजित योजना तैयार की है।

श्री हरबंस कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति के मानक क्या हैं ? इसके साथ–साथ मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि देहरादून नगर निगम बनने के पश्चात् जो ग्रामीण क्षेत्र नगर पालिका में जोड़कर नगर निगम बनाया गया, क्या उन ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के अनुसार मानक निर्धारित किये गये हैं ? यदि नहीं किये गए हैं, तो क्यों ? अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि चकराता रोड पर ओ0एन0जी0सी0 चिकित्सालय के सामने एक जलाशय का निर्माण किया गया था

और उसमें दो नलकूपों को जोड़ना था। एक नलकूप के लिए तो भू-खण्ड उपलब्ध हो गया था और नलकूप लगा दिया गया था लेकिन दूसरे नलकूप के लिए भू-खण्ड उपलब्ध न होने के कारण वह नहीं लग सका था। इस प्रकार आज लगभग 7-8 साल पश्चात् श्री रामपुरम् में जगह उपलब्ध हुई है।

मान्यवर, पहले का जो नलकूप था उसकी क्षमता एक चौथाई रह गई। उस नलकूप का आधा पानी लक्ष्मण चौक क्षेत्र में और गाँधी नगर में दे दिया गया। जो जलाशय ओ0एन0जी0सी0 के सामने है, वह बिल्कुल बेकार हो गया। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की चिंता है उस क्षेत्र में जो पानी का अभाव उत्पन्न हो गया है उसे दूर करने के लिए वहां पर दूसरे नलकूप की स्थापना होनी चाहिए जिससे कि जलाशय का उपयोग हो सके और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जिज्ञासा प्रकट की है कि शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र में कितना पानी दिया जा रहा है, तो इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्र में 135 एम0एल0डी0 और ग्रामीण क्षेत्र में 40-60 एम0एल0डी0 के अनुपात में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय श्री कपूर साहब ने जिस क्षेत्र की बात कही है कि वहाँ जलाशय है लेकिन पानी कम होने से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, दो वर्ष पूर्व जब हमने कार्यभार सम्भाला था तो मैंने पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया था और एक विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए धन उपलब्ध करवाया था। विगत वर्ष बरसात कम होने से हमारा अन्डर ग्राउन्ड पानी का लेविल भी काफी नीचे चला गया। जलाशय हेतु जो स्रोत थे वे भी कम हो गये। हमने इस कठिनाई को दूर करने के लिए तत्काल हैण्ड पम्पों की स्थापना की और ट्यूबवेलों की स्थापना भी की। फिर भी कुछ क्षेत्रों में ट्यूबवेलों में पानी कम हो रहा है। इस सम्बन्ध में हमने एक रिव्यू बैठक की है उसमें निर्णय लिया गया है कि जहाँ-जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पर ट्यूबवेल का निर्माण करवाया जाएगा और इसके अतिरिक्त एक प्रारूप हमने भारत सरकार को भेजा है, जो हमारा मास्टर प्लान है पूरे शहर का उसमें 25 ट्यूबवेलों के निर्माण की बात है।

मान्यवर, लगभग 100 के करीब हमने हैण्ड पम्प स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। मान्यवर, उन दूरदराज के क्षेत्रों को जिनको हमने नगर निगम के अन्तर्गत सम्मिलित किया है, इनको सम्मिलित करते हुए एक वृहद योजना बनायी है।

श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम के अन्तर्गत सम्मिलित हुए हैं और उनका रहन-सहन शहरी क्षेत्रों की तरह है और

यहां ग्रामीण मानक के अनुरूप पेयजल की आपूर्ति थी। मान्यवर, अब जबकि ये नगर निगम के अंग बन गये हैं, क्या अब इनके मानकों के अनुसार इन्हें पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मानक के आधार पर परिवर्तन किया जायेगा, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है जल की कमी होने का प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है और न ही मांग की गयी है, इससे यह जाहिर होता है कि वहां पर पानी सही मात्रा में है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बता रहे हैं हर्रावाला में ट्यूबवेल का काम चल रहा है, यह मेरे क्षेत्र से सम्बन्धित मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यह काम किस जगह पर चल रहा है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि पानी में बड़ी मूल्य वृद्धि की गयी है यह 40 रुपये से बढ़ाकर 90 रु0 कर दिया है तथा कनेक्शन साढ़े बारह सौ से बढ़ाकर पच्चीस सौ कर दिया है क्या यह सही है ? इस शासनादेश को लाने के लिए मैं तीन बार महाप्रबन्धक कार्यालय गया तो वहां बाबू नहीं मिला। क्या यह शासनादेश उपलब्ध हो जायेगा ? मान्यवर, पिछले दो वर्षों से मोहकमपुर गांव में एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है जो लगा है वह लाल पानी दे रहा है। अंतिम सवाल मेरा यह है कि क्या ट्यूबवेल के टैंक में सीधे कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, हर्रावाला में ट्यूबवेल का टेंडर हो चुका है इस पर काम प्रारम्भ होने वाला है। भूमि पूजन में माननीय सदस्य भी सम्मिलित थे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वह हर्रावाला नहीं बल्कि मियांवाला था।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय सदस्य को मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा ट्यूबवेल आपके ही क्षेत्र में लगे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी केवल 7 विधायकों का ध्यान न रखें, बल्कि 70 विधायकों का ध्यान रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने 70 विधायकों की बात कही है, हम तो 71 विधायकों का ध्यान रख रहे हैं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को बाद में नामित किया गया और जब

70 विधायकों के लिए विधायक निधि स्वीकृत की थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे क्यों छोड़ दिया गया, पर हमने व्यवस्था की। मान्यवर, इसलिए हम कह रहे हैं कि हम 70 नहीं 71 माननीय विधायकों का ध्यान रख रहे हैं।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ठीक है कि आपने 71 विधायकों को विधायक निधि दी, पर 71वें विधायक का विधानसभा क्षेत्र कौन सा होगा ? मान्यवर, यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया मूल प्रश्न का उत्तर आने दीजिए, समय कम है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मूल्य वृद्धि के बारे में चूँकि प्रश्न बिल्कुल अलग है, अगर आप चाहें तो अलग से प्रश्न कर लें, उत्तर आप तक पहुँचा देंगे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आपकी जानकारी में है तो बता दें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मुझे मूल्य वृद्धि की जानकारी है, पर आप अलग प्रश्न कर लें तो बनाकर दे देंगे।

जनपद देहरादून की सफाई व्यवस्था को सुधारने पर विचार

*3–श्री मदन कौशिक–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि देहरादून नगर में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है ?

क्या यह सत्य है कि नगर की सड़कों, गलियों एवं पार्कों, नालों आदि में गन्दगी फैलती जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर को स्वच्छ बनाने हेतु विशेष अभियान चलाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

व्यवस्था में कुछ कमी है।

जी नहीं।

सड़कों, गलियों, पार्कों व नालों आदि में लोगों द्वारा फेंके जाने वाली गन्दगी की सफाई की नियमित व्यवस्था है। नगर में ऐसे स्थान, जहाँ नियमित सफाई के अतिरिक्त विशेष सफाई की आवश्यकता होती है, वहाँ समय-समय पर विशेष अभियान द्वारा सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

जी हाँ।

वर्ष 2003 के दौरान निम्नलिखित विशेष सफाई अभियान चलाये गये :-

1. 05-06-03 से 20-06-03

2. 07-07-03 से 26-07-03

3. 25-08-03 से 05-09-03

4. 21-10-03 से 28-10-03

5. 01-11-03 से 15-11-03 तक

जनवरी, 2004 में निम्नलिखित विशेष अभियान चलाये जाने प्रस्तावित हैं :-

1. 11-01-04 स 20-01-2004 तक

2. 05-02-2004 से 15-02-2004 तक

3. 10-03-2004 से 25-03-2004 तक

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नव प्रभात-

मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर के तृतीय संलग्नक की दूसरी लाइन में अंक "985" के स्थान पर अंक "969" पढ़ा जाए।

श्री मदन कौशिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि "देहरादून नगर में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है" तो उत्तर आया "जी हाँ"। फिर मैंने पूछा "नगर की सड़कों, गलियों एवं पार्कों, नालों आदि में गन्दगी फैलती जा रही है" तो उत्तर आया "जी नहीं"। फिर अगले प्रश्न के उत्तर में "जी हाँ"। मान्यवर, एक ही प्रश्न का उत्तर हाँ-नहीं आ रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा सही है ?

श्री नव प्रभात-

मान्यवर, इसमें चारों सही हैं। मान्यवर, आपने कहा कि मैंने इसमें बहुत सारे संलग्नक लगाये हैं तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह एक्ट ऑफ इण्डिया का गजट है,

जो 25 सितम्बर, 2000 को लागू हुआ। मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ जिन्होंने ऐसा किया। मान्यवर, चूंकि 1 जनवरी, 2004 को लागू होने जा रहा है, तो वह माननीय सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता के सम्मुख आ जायेगा।

मान्यवर, एक नई व्यवस्था के अन्तर्गत नगरों की सफाई को ले जाना है, जो कार्य आज तक होता रहा उससे परिवर्तित बहुत सारी व्यवस्थायें करनी हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा उत्तरांचल के जी0ओ0 की ओर और उससे भी बढ़कर मैं इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो महामहिम राज्यपाल के सहयोग से एक बिल्कुल ही नई परिकल्पना इन नगरों की सफाई की है वह है जन सहभागिता के आधार पर।

(व्यवधान)

मान्यवर, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसे मैं आपके एवं प्रदेश की जनता के संज्ञान में लाना चाहता हूँ जो मौहल्ला स्वच्छता समिति के बारे में है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, प्रश्नकाल समाप्त होने जा रहा है, कृपया इस पर चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

जनपद चम्पावत में विकास भवन का निर्माण आगणन

*4–श्री प्रकाश पन्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद चम्पावत में विकास भवन निर्माणाधीन है ? यदि हाँ, तो कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित भवन हेतु आगणन रु0 3.07 करोड़ के स्थान पर उत्तर प्रदेश की संस्था 'निर्माण निगम' को रु0 4.17 करोड़ में निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हाँ, तो क्या इस वित्तीय हानि लेने के कारणों पर सरकार विचार करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

चम्पावत में विकास भवन निर्माणाधीन है। कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा तैयार किया गया कोई आगणन शासन को प्राप्त नहीं हुआ। उत्तर प्रदश निर्माण निगम ने आगणन तैयार कर प्रस्तुत किये जिसका परीक्षण करने के उपरान्त स्वीकृत किया गया। अतः वित्तीय हानि का प्रश्न नहीं उठता है। वर्तमान में निर्माण कार्य उत्तरांचल पेयजल विभाग को दिया गया है।

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम में कार्यरत मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के विकल्प की जांच

*5–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 8 अप्रैल, 2003 को उत्तराखण्ड क्रान्तिदल के माननीय विधायकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है, जिसमें उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवम् निर्माण निगम में कार्यरत मुख्य अभियन्ता स्तर–2 द्वारा उत्तरांचल हेतु अपना विकल्प नियत तिथि के बाद जालसाजी करके भरे जाने के विरुद्ध जाँच की माँग की गई थी ?

यदि हाँ, तो उक्त मामले की जाँच में अभी तक क्या प्रगति हुई ?

क्या सरकार जांच को सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

पर्व0 उपसंवर्ग का आवंटन तत्कालीन उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता की पुष्टि सम्बन्धित अभिलेखों से ही सम्भव होने के कारण प्रकरण की जाँच हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम से पत्र द्वारा अनुरोध कर लिया गया है। जाँच आख्या अभी तक प्रतीक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

सरकार की कृषि वानिकी प्रोत्साहन हेतु कार्ययोजना

*6–काजी निजामुद्दीन–

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि सरकार कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

राज्य में कृषि वानिकी को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना राज्य की वन नीति का एक महत्वपूर्ण बिन्दु है, मैदानी क्षेत्रों में कृषि वानिकी का कार्य पूर्व से ही चल रहा है, वर्तमान में विभाग द्वारा पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में कृषि वानिकी के अन्तर्गत उगाई जा सकने वाली उपयुक्त प्रजातियों के चयन की कार्यवाही की जा रही है, उत्तरांचल में कृषि

वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा निजी भूमि पर उगाये गये पौपलर एवं बॉस प्रजाति के प्रकाष्ठ को अभिवहन शुल्क से मुक्त किया गया है तथा अंगू, चमखड़िक, जमनोई तथा महुआ को कटान हेतु प्रतिबन्धित प्रजातियों की सूची से पृथक कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री प्रकाश पन्त—

द्वितीय सोमवार के अता0प्र0—66 में स्था0।

जनपद चमोली में पैजी कुजासू मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित काश्तकारों को दिये मुआवजे की जानकारी

2—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत पैजी कुजासू मोटर मार्ग निर्माण के कारण जिन काश्तकारों की भूमि नष्ट हो गयी है, क्या सरकार द्वारा उन्हें मुआवजे का वितरण कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो किन—किन परिवारों को कितनी—कितनी राशि दी गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)—

मोटर मार्ग निर्माण से प्रभावित 18 खातेदारों में से 14 खातेदारों को मुआवजा भुगतान किया जा चुका है।

विवरण संलग्न है।

शेष 4 खातेदारों के भुगतान हेतु उपस्थित न होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 136 पर)

जनपद रुद्रप्रयाग में डी0आर0डी0ए0 द्वारा वर्ष 2002—2003 में कृषकों को उद्यान/कृषि प्रशिक्षण पर व्यय धनराशि एवं भौतिक उपलब्धि

3—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में डी0आर0डी0ए0 के द्वारा कितने कृषकों को उद्यान/कृषि प्रशिक्षण हेतु कृषि वि0वि0 पंतनगर एवं हिमाचल प्रदेश के भ्रमण पर विगत वर्ष 2002—2003 में कुल कितनी धनराशि

खर्च हुई है ? उक्त प्रशिक्षण के उपरान्त भौतिक उपलब्धि का आंकलन किस प्रकार किया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में वर्ष 2002–2003 में 125 कृषकों को प्रशिक्षण हेतु एवं 197 कृषकों को किसान मेले में भाग लेने हेतु भेजा गया, जिस पर क्रमशः रुपये 2,59,350.00 एवं रु0 2,82,407.00 का व्यय किया गया। प्रशिक्षण एवं किसान मेले में कृषकों द्वारा प्राप्त जानकारी का प्रयोग करके सब्जी एवं फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि कर कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में नलकूप लगाने पर विचार

4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट तथा लिफ्ट पेयजल योजनाओं की असफलता को देखते हुए क्या सरकार उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में नलकूप लगाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अब तक कितने स्थानों का चयन कर लिया गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

लागू नहीं।

जनपद ऊधमसिंह नगर सितारगंज ब्लॉक में लो0नि0वि0 द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी

5–श्री नारायण पाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत 2002 व 2003 में व 2003–2004 में सितारगंज ब्लॉक जनपद ऊधमसिंह नगर में विभाग द्वारा राज्य/जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त क्या–क्या कार्य कराए गये ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अनुरक्षण कार्यों को छोड़कर स्वीकृत कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य विभाग द्वारा नहीं कराया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

6–श्री नारायण पाल–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

रुद्रप्रयाग, छेनागाड़ उछोला मोटर मार्ग निर्माण में हुई अनियमितता की जाँच

7—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने छेनागाड़ उछोला मोटर मार्ग (वि०ख० जखोली, रुद्रप्रयाग) के निर्माण में हुई अनियमितता की जाँच के लिए पत्र लिखा था ?

यदि हाँ, तो शासन द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हाँ।

जाँच समिति गठित कर दी गई है। जो जाँच कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग की ढौन्डिक तल्ला नागपुर एवं आरस्यूँ, बछणस्यूँ पेयजल योजना की मरम्मत में हुई धाँधली की जाँच

8—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग की पेयजल योजना ढौन्डिक तल्ला नागपुर तथा पेयजल योजना आरस्यूँ, बछणस्यूँ की मरम्मत में हुयी धाँधली/धन के दुरूपयोग के बारे में मंत्री जी तथा सचिव पेयजल को प्रश्नकर्ता से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ?

यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उक्त दोनों पेयजल योजनाओं की जाँच टेक्निकल सेल से करवाई गयी है।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हाँ।

जी हाँ, जाँच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में सम्पूर्ण ग्रामीण योजना का क्रियान्वयन

9—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सम्पूर्ण ग्रामीण योजना के अन्तर्गत काम के बदले अनाज की आपूर्ति जनपद चमोली में समयबद्ध ढंग से हो रही है ?

यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार अनाज मुहैया कराने के लिए कोई दूसरी योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में काम के बदले अनाज की आपूर्ति समयबद्ध ढंग से की जा रही है। उक्त योजना भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार चलाई जाती है तथा वर्तमान में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार अनाज सुचारु रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद चमोली, विकास खण्ड कर्णप्रयाग में डिमर–टड़ासू मोटर मार्ग के विस्तारीकरण की योजना

10–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत डिमर–टडासू मोटर मार्ग का तलाई, वणसोली वल्ली व पल्ली तक विस्तार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उक्त मार्ग की स्वीकृति कब तक दी जाएगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

11–श्री नारायण पाल–

द्वितीय शु०क्र० के अता०प्र०–01 में स्थानान्तरित।

ऊधमसिंह नगर, सितारगंज नगर पालिका एवं शक्तिगढ़ टाउन एरिया को राज्य एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि

12–श्री नारायण पाल–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सितारगंज नगरपालिका व शक्तिगढ़ टाउन एरिया जिला ऊधमसिंह नगर को वित्तीय वर्ष 2002–03 व 2003–04 में कितनी–कितनी धनराशि राज्य एवं केन्द्र सरकार से किन–किन कार्यों हेतु प्राप्त हुई ?

श्री नव प्रभात–

जिला ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, सितारगंज एवं टाउन एरिया शक्तिगढ़ को वित्तीय वर्ष 2002–2003 एवं 2003–04 में प्राप्त धनराशि का विवरण निम्वत है :–

क्र0	न0पा0प0/न0पंचा0 का नगर एवं कार्य का नाम	(वित्तीय वर्ष 2002–03) में स्वीकृत धनराशि	(वित्तीय वर्ष 2003–04) में स्वीकृत धनराशि
1.	न0पा0प0 सितारगंज		
(1)	राज्य वित्त आयोग से वेतन आदि हेतु	55,85,750.00	54,79,000.00
(2)	ग्यारहवें वित्त आयोग से विकास कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि	5,77,038.00	5,77,038.00
(3)	अवस्थापना विकास हेतु रिवाल्विंग फण्ड से प्राप्त धनराशि	7,18,474.00	—
	कुल योग	68,81,262.00	60,56,038.00
2.	न0पा0 शक्तिगढ़		
(1)	राज्य वित्त आयोग से वेतन आदि हेतु	9,75,000.00	8,74,800.00
(2)	ग्यारहवें वित्त आयोग से विकास कार्यों हेतु प्राप्त धनराशि	1,95,660.00	1,95,660.00
(3)	अवस्थापना विकास हेतु रिवाल्विंग फण्ड से प्राप्त धनराशि	83,851.00	—
	कुल योग	12,54,511.00	10,70,460.00

जनपद चमोली के मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिकल खण्ड लो0नि0वि0 को सरकार द्वारा बन्द करने पर विचार

13—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के मैकेनिकल एवं इलैक्ट्रिकल खण्ड लो0नि0वि0 को सरकार बन्द करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो क्या कारण है ?

तथा उक्त खण्ड बन्द कर दिये जाने पर खण्ड को आवंटित कार्य किस प्रकार निष्पादित किया जाएगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

14—श्री प्रकाश पन्त—

द्वितीय सोमवार के अता0—67 में स्था0

राज्य में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण की व्यवस्था

15—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत एवं पुनः निर्माण के लिए शासन द्वासरा क्या व्यवस्था की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्गों के पुनः निर्माण एवं मरम्मत हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आगणन पर स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है। बन्द हुए मार्गों को यातायात के लिए विभागीय श्रमिकों एवं उपलब्ध बुलडोजरों आदि के द्वारा खोला जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में विकास खण्डों की बैठकों में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की कार्ययोजना

16—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री के संज्ञान में है कि उत्तरांचल की विकास खण्डों की बैठकों में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति नगण्य रहती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार

उक्त बैठक में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

विकास खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में सरकारी कर्मचारी नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व ही समस्त जिलाधिकारी को क्षेत्र पंचायतों की बैठकों में अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

17–श्री हरबंस कपूर–पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

पिथौरागढ़ सीवरेज योजना (फेज–1) को प्राप्त तकनीकी स्वीकृति की वांछित औपचारिकतायें

18–श्री प्रकाश पन्त–

क्या पेयजल मंत्री बतायेंगे कि पिथौरागढ़ सीवरेज योजना (फेज–1) को राष्ट्रीय पेयजल व स्वच्छता कार्यक्रम (नगरीय) (एन0डब्लू0एस0एस0) द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ?

यदि हाँ, तो कितनी धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी ?

क्या सरकार द्वारा सदर्भित योजना की समस्त वांछित औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं ? यदि हाँ तो निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हाँ।

रू0 2823.45 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है किन्तु अभी तक धनराशि का आवंटन नहीं हुआ है।

भारत सरकार से धनावंटन के उपरान्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की संख्या एवं श्रेणी

19–श्री हरबंस कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर निगम, देहरादून क्षेत्र में वर्तमान में कितने स्थायी, दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा के आधार पर सफाई कर्मचारी कार्यरत है?

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बतायेंगे कि नगर निगम बनने से पूर्व नगरपालिका क्षेत्र देहरादून में विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत थे ?

क्या नगर विकास मंत्री नगर निगम, देहरादून जो कि उत्तरांचल की अस्थायी राजधानी भी है, में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुरूप सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नव प्रभात–

नगर निगम, देहरादून में वर्तमान में निम्नानुसार सफाई कर्मचारी कार्यरत है।

1–स्थाई	646
2–दैनिक वेतन	07
3–संविदा	316
योग	969

नगर निगम बनने से पूर्व नगरपालिका परिषद्, देहरादून में निम्नानुसार सफाई कर्मचारी कार्यरत थे।

1–स्थाई	646
2–दैनिक वेतन	54
3–संविदा	122
योग	822

जी हाँ, नगर विकास/आवास विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 4059/न0वि0आ0–2001– 50(ए0क्यू)/01 द्वारा संयुक्त सचिव/अपर सचिव शहरी विकास विभाग की अध्यक्षता में निकायों में जनसंख्या क्षेत्रफल एवं अन्य तथ्यों के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु मानकों के निर्धारण के लिये एक समिति का गठन किया गया है।

गठित समिति की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

घनी आबादी एवं मुख्य मार्गों पर खड़े जर्जर एवं कमजोर वृक्षों को हटाने की योजना

20–श्री हरबंस कपूर–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि घनी आबादी क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर खड़े जर्जर एवं कमजोर वृक्षों को हटाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो वह योजना क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

घनी आबादी क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर स्थित जर्जर एवं कमजोर वृक्षों का निस्तारण उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से करने की व्यवस्था पूर्व से ही प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

2002–2003 में ऊधमसिंह नगर, पंतनगर एवं गदरपुर में गड्ढा मुक्त मार्गों की लम्बाई

21–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि वर्ष 2002–2003 में ऊधमसिंह नगर में कितने कि0मी0 मार्गों को गड्ढा मुक्त किया गया ?

पंतनगर तथा गदरपुर में कितने कि0मी0 मार्ग का गड्ढा मुक्त हुआ ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

311 कि0मी0

26 कि0मी0।

प्रदेश में खैर की लकड़ी बेचने की नीति

22–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार ने खैर की लकड़ी बेचने के लिए क्या कोई नीति बनाई है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उसका प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं, प्रदेश में खैर की लकड़ी का विक्रय/निस्तारण उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है, निगम द्वारा खैर प्रकोष्ठ का विक्रय सार्वजनिक निविदा/नीलामी की प्रक्रिया के द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लिए नई वन नीति

23–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश के लिए नई वन नीति बना ली गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नई वन नीति के प्रारूप को सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

उत्तरांचल राज्य की वन नीति वर्ष, 2001 में ही सार्वजनिक की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम के निर्माण कार्य हेतु टेण्डर नीति

24–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जल निगम के निर्माण कार्य तथा पाईप लाईन बिछाने, टैंक निर्माण करवाने तथा चैम्बर आदि बनाने हेतु टेण्डर नीति बना ली है ?

यदि हाँ, तो क्या टेण्डर नीति के अनुसार कार्य करवाया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि पेयजल योजना पैरका वि0ख0 भिलंगना टिहरी गढ़वाल के निर्माण के न्यूनतम रेट वाले ठेकेदार को कार्य न देकर अधिकतम रेट वाले ठेकेदार को कार्य दिया गया ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच करायेंगी।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं, पेयजल निगम में टेण्डर नीति उ0प्र0 की सार्वजनिक कार्यलेखा नियमावली, वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड–6 के अनुसार है।

उपरोक्तानुसार।

जी नहीं, कार्य सम्पादन हेतु अनुकूल न्यूनतम दर वाले ठेकेदार को कार्य दिया गया।

वित्त हस्तपुस्तिका भाग–6 के पैरा–364 के आधार पर निर्णय लिये जाने के कारण जाँच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक एवं संविदा कर्मियों को हटाने की जानकारी

25—श्री हरबंस कपूर—

क्या नगर विकास मंत्री जी यह बतायेंगे कि स्थानीय निकायों में कार्यरत दैनिक एवं संविदा कर्मियों का हटाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या इनके स्थान पर नियमित कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे ? यदि हाँ तो कितने एवं कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री नव प्रभात—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग में रोजगारपरक योजनाओं से क्षेत्रीय जनता को रोजगार देने की नीति

26—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन विभाग द्वारा क्षेत्रीय जनता को रोजगार देने की कोई नीति सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उसका प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री नव प्रभात—

क्षेत्रीय जनता के लिए रोजगार—परक कार्यक्रमों का संचालन "उत्तरांचल राज्य वन नीति" का एक प्रमुख बिन्दु है।

उत्तरांचल राज्य की वन नीति सार्वजनिक की जा चुकी है।

प्रदेश के विकास खण्डों में रिक्त खण्ड विकास अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार

27—श्री प्रकाश पन्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के विकास खण्डों में रिक्त स्थानों पर खण्ड विकास अधिकारियों को नियुक्त किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों के सापेक्ष सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है। चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग द्वारा की जानी है।

हल्द्वानी फोरेस्ट हास्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज को आवंटित धनराशि

28—श्री हरबंस कपूर—

क्या वन मंत्री जी बतायेंगे कि हल्द्वानी स्थित उत्तरांचल फोरेस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज सरकारी संस्थान है ?

यदि हाँ, तो इस संस्थान को सरकार द्वारा अब तक किस–किस मद में कितना पैसा आवंटित किया गया है ?

क्या मंत्री जी इस संस्थान को प्रदान की गयी सुविधाओं एवं सहयोग का विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात—

प्रश्नगत मेडिकल कॉलेज, उत्तरांचल वन चिकित्सालय ट्रस्ट, हल्द्वानी के नियंत्रणाधीन एक संस्थान है।

राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु पूर्ववर्ती उ0प्र0 के उत्तरांचल विकास विभाग से रु0 4.00 करोड़ तथा उत्तरांचल राज्य गठन से अब तक उत्तरांचल शासन द्वारा रु0 16.9125 करोड़ की धनराशि अनुदान के रूप में ट्रस्ट को दी गयी है।

उपरोक्त सहायता राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा इस संस्थान हेतु 99 वर्ष की लीज पर 22.72 एकड़ भूमि दी गयी है, इसके अतिरिक्त पीपल्स कॉलेज, हल्द्वानी की 23.05 एकड़ भूमि एवं उस पर स्थित भवनों का हस्तान्तरण भी ट्रस्ट को किया गया है, ट्रस्ट द्वारा उक्त भवनों की मरम्मत कराकर मेडिकल कॉलेज के उपयोगार्थ तैयार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के गोचर से भट्ट नगर–रानों, मोटर पुल का आगणन पर विचार

29—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या लोक निर्माण मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के गोचर नामक स्थान से भट्ट नगर–रानों मोटर पुल का आगणन शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उक्त संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

पुल निर्माण एवं एप्रोच रोड का आगणन शासन को प्राप्त हुआ है।

शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषकों की फसलों को जंगली जानवरों से बचाने की नीति

30—श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कृषकों की गेहूँ, गन्ने की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नव प्रभात–

अति संवेदनशील स्थानों पर हाथियों से कृषि फसलों को नुकसान पहुँचाने से बचाने के लिए कम विद्युत शक्ति की तारबाड़ लगायी जाती है तथा सुरक्षा खाई का खुदान किया है, हाथियों द्वारा गेहूँ, गन्ना अथवा अन्य कृषि फसलों को नुकसान पहुँचाये जाने की क्षति का आंकलन कर अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय जनता द्वारा मोटर मार्गों के निर्माण व पुनर्निर्माण के प्रस्ताव

31—श्री प्रकाश पन्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में जनप्रतिनिधियों तथा क्षेत्रीय जनता से मार्च, 2003 से अक्टूबर, 2003 तक विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण पुनर्निर्माण के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ?

क्या सभी प्रस्तावों को स्वीकृत कर लिया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

17 प्रस्ताव।

जी नहीं।

स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा भवन के दैनिक वेतन भोगी विद्युत कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही

32–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा भवन में विद्युत अनुरक्षण का कार्य करने वाले जिन कर्मचारियों को उत्तरांचल राज्य गठन के बाद दैनिक वेतन पर रखा गया था, को नियमित करने की कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है ?

यदि हाँ, तो कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

दैनिक वेतन पर कोई कर्मचारी नहीं रखे गये हैं। अत: नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन पटल पर रखने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, आज की कार्यसूची की मद संख्या–23 में दिया गया है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। मान्यवर चूँकि यह पीठ का भी निर्देश है, इसी पीठ के माध्यम से आपके द्वारा कृपापूर्वक निर्देश दिए गये और उसका सरासर उल्लंघन लगातार सरकार करती जा रही है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा और सदन का संरक्षण चाहूँगा। मान्यवर, यह हमारी नियमावली जिसके माध्यम से सदन संचालित होता है यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित करती है। इसके नियम–123 (1) में कहा गया है कि "नियम–114 के अधीन रहते हुए किसी भी विधेयक की पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियाँ प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक से सदस्यों को उपलब्ध न करा दी गयी हों।" मान्यवर, इसी नियमावली के नियम–253 में कहा गया है कि "प्रवर समिति में ऐसे अनुकूलनों के साथ जो चाहे रूप–भेद के हों अथवा अंश जोड़कर या निकाल कर किये गये हों जैसा अध्यक्ष आवश्यक या सुविधाजनक समझे यथासाध्य वही होगा, जिसका सदन में विधेयक के विचार प्रक्रम के दौरान अनुसरण किया जाता है।" अर्थात मान्यवर, यहाँ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जैसा कि विधेयक के पारण के समय की जाती है। श्रीमन्, इसी नियमावली के नियम–258 (4) में कहा गया है कि "जब विधेयक में रूपान्तर किया गया हो, तो प्रवर समिति, यदि वह ठीक समझे, अपने प्रतिवेदन में विधेयक के भार साधक सदस्य के लिये यह सिफारिश सम्मिलित कर सकेगी, कि उनका अगला प्रस्ताव परिचालन का प्रस्ताव होना चाहिए या जब विधेयक पहले ही परिचालित किया जा चुका हो, तो पुनः परिचालन का।"

श्रीमन्, हमारी लोकसभा में इसका प्रावधान है और चूँकि हमारी प्रक्रिया संसदीय प्रणाली के अनुसार संचालित होती है, मान्यवर, इसमें नियम–77(1)(क) का परन्तुक में यह कहा गया है कि "यदि विधेयक का प्रभारी सदस्य यह प्रस्ताव करे कि प्रवर या संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार किया जाये तो कोई भी सदस्य इस आधार पर प्रस्ताव किए जाने की आपत्ति कर सकता है कि समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां प्रस्ताव किए जाने के दिन से कम से कम दो दिन पहले सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराई है, जैसा कि अपेक्षित है। यह आपत्ति अभिभावी रहती है, परन्तु अध्यक्ष चाहे तो अविलम्बनीय मामलों में, समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने की अनुमति दे सकता है।" तो मान्यवर, मद संख्या–23 में आज प्रतिवेदन प्रस्तुत हो रहा है और आज मद संख्या–34 के माध्यम से इसके पारण के लिए विचार किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। मान्यवर, यह सरासर संसदीय मान्यताओं का, संसदीय परम्पराओं का तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियावली, 1958 का उल्लंघन है।

पीठ के माध्यम से आपने कृपापूर्वक यह आदेश दिया था कि यह परम्परा नहीं बननी चाहिए। मान्यवर, इस पर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए। उत्तरांचल का भूमि विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर सभी सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। मान्यवर, इस विधेयक पर इतनी जल्दी निर्णय लेना केवल संख्या बल के आधार पर पारित कराना न्यायोचित नहीं है यह न मर्यादाओं के अनुकूल है। मान्यवर, मैं इसमें विनिश्चय की मांग करता हूँ।

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति में यह सर्वसम्मति से तय किया गया और नेता प्रतिपक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य पूर्व नेता प्रतिपक्ष इन दोनों की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के अनुरूप ही यह तय हुआ कि इसे 29 या 30 को रख लिया जाय, क्योंकि 29 तारीख को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण इसे आज लाये। आज यह प्रश्न उठाया जाना मेरी राय में उचित नहीं है। मान्यवर, जब यह बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी में इसे बिजनेस के रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि 30 तारीख को प्रस्तुत होगा तो इस प्रश्न को इस समय यहां पर उठाया जाना ठीक नहीं है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को 27–28 साल का अनुभव है मैं तो उनके सामने बच्चा हूँ। मान्यवर, प्रवर समिति का जो निर्णय है वह किस दिन टेबिल रखा

जाएगा यह निर्णय हुआ था, इसके पारण के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हुआ था। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस संकट से अब आप ही बचा सकते हैं। मैंने जिस प्रक्रिया की ओर ध्यान आकर्षित किया है, यह जो संसदीय प्रक्रिया हमारी नियमावली की चलती है इसका इसमें उल्लंघन हुआ है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया मैं भी प्रकाश पंत जी के उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करता हूँ। मान्यवर, यह सदन कार्य संचालन नियमावली के आधार पर चलती है और जो किताब कहती है जो नियम बने हुए हैं। आप जो निर्देश देंगे वह मान्य होंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी कानून बने वह उत्तरांचल की जनता के हित में बने। मान्यवर, यह जल्दबाजी में बनाया गया है ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, सदन में चर्चा करने के बाद जो निचोड़ निकलेगा वह उत्तरांचल की जनता के हित में होगा। जब प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में रखेंगे तब इस पर चर्चा करायेंगे तो इस पर बहुत से सदस्यों को बोलने का टाइम नहीं मिलेगा, कैसे हम सुझाव दे पायेंगे, इसमें समय मिलना चाहिए ताकि हम अपना सुझाव दे सकेंगे तब जाकर यह कानून बने। हमारे पिता तुल्य नेता सदन है और आपको अच्छा ज्ञान है मैं आपसे अनुरोध करूँगा।

मान्यवर, प्रवर समिति की जो रिपोर्ट पटल पर रखी जायेगी उसके लिए माननीय सदस्यों को समय मिलना चाहिए और उनको चर्चा में भाग लेने का समय मिलना चाहिए। मान्यवर, माननीया संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि कार्यमंत्रणा में बात हो चुकी है तो हम सदन को गुमराह नहीं करना चाहते। हमने उस समय भी यही कहा था कि इसमें समय मिलना चाहिए। इतने छोटे से समय में क्या होगा ? मान्यवर, जल्दबाजी का कदम प्रदेश की जनता के हित में नहीं होगा और व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार करते हुए हम यह चाहते हैं कि समय दे दिया जाए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस विषय पर आपका विनिश्चय आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

यह मद संख्या–23 में है जब आयेगा तो आपकी बात को रख लिया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम–224 कृपया देखने का कष्ट करें। उसमें सारी चीजें स्पष्ट है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियम–224 में समिति के कृत्य का वर्णन है। मान्यवर, प्रवर समिति किस दिन अपनी रिपोर्ट देगी यह तय किया गया लेकिन प्रवर समिति के आधार पर विधेयक

बनाया जायेगा या फिर उसमें संशोधन किया जायेगा यह बात नहीं हुयी थी और मान्यवर, यह नियम है कि कोई भी विधेयक पास करने से पहले दो दिन की चर्चा होनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष द्वारा वार्ता होने के बाद यह दिन तय किया गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, क्या बात हुयी इसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस चीज की वार्ता एक उच्च स्तर पर हो गयी जिसमें हम मौजूद नहीं थे और उसी वार्तानुसार प्रवर समिति को यह दे दिया गया। चूँकि दिनांक 29 दिसम्बर, 2003 को गजेटेड छुट्टी थी और माननीय नेता सदन और माननीय नेता प्रतिपक्ष के सम्मानजनक वार्ता के बाद इसको आज रखा गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 24 दिसम्बर, 2003 की बैठक में सदन के दिनांक 25 दिसम्बर, 2003 से 30 दिसम्बर, 2003 तक का कार्यक्रम निम्नवत रूप में रखे जाने की सिफारिश की है। दिनांक 30 दिसम्बर, 2003, मंगलवार उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार एवं पारण।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने हमारा प्रस्ताव स्वीकार किया, मगर हमने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि उसी दिन प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाये और उसी दिन इसे पारित कर दिया जाये। मान्यवर, इसके लिए समय मिलना चाहिए। (व्यवधान)

*श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आपको पूरा अधिकार है कि आप शिथिलता ला सकते हैं। यह प्रक्रिया सम्बन्धी विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपसे निवेदन है कि दिनांक 24–12–2003 की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक जिसमें सभी सदस्यगण उपस्थित थे, में यह तय हुआ था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा कहना है कि कहीं ऐसी परम्परा न पड़े क्योंकि विधि–विधान के हिसाब से 2–3 दिन का समय मिलना चाहिए था। माननीय काशी सिंह ऐरी जी बहुत पुराने सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत पुराने सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय काशी सिंह ऐरी जी इसे प्रवर समिति को भेजने के ही विरोधी थे।

*श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, सदन में भू–अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे पारित कराने की अनुमति दे रहा हूँ।

*श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, मेरी नियम–64 की एक सूचना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण कराया जा रहा है। (व्यवधान)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–301 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट, श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री काशी सिंह ऐरी एवं श्री कैलाश शर्मा, श्री प्रकाश पंत, श्री नारायण पाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री अनिल नौटियाल, एवं श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल जी की कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई है। चूँकि आज सदन का अन्तिम दिन है। इसलिए मैं इन सभी सूचनाओं को स्वीकृत कर रहा हूँ। ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

(संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई)

राजधानी देहरादून के घंटाघर से गाँधी पार्क "दिल्ली माल योजना" की स्वीकृति एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, वर्ष 2003 में उत्तरांचल की अस्थाई राजधानी देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बिना किसी सहमति के घंटाघर से गांधी पार्क तक

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

"दि माल योजना" स्वीकृत की गई है। जिसके तहत सन् 1950 से 1970 के मध्य बसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हटाये जा रहे हैं।

दि माल योजना क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में लगभग पांच सौ व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं इन पर निर्भर 3000 रोजगारशुदा लोग तथा इन रोजगारशुदा लोगों से जुड़ी लगभग 25000 लोगों की आबादी की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। यदि उक्त योजना लागू होती है तो लगभग पच्चीस हजार लोग रोजी रोटी से वंचित हो जायेंगे और एक नयी समस्या का जन्म होगा।

उपरोक्त संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर सरकार से अनुरोध किया गया और सरकार द्वारा व्यापारियों को न हटाने का मौखिक आश्वासन दिया जाता रहा है, किन्तु सरकार द्वारा कोई लिखित समझौता नहीं किया गया, जिससे व्यवसायी भविष्य के प्रति आशंकित हैं तथा व्यवसायियों में भारी असन्तोष एवं रोष व्याप्त है।

अतः अविलम्बिनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।

उत्तरांचल विधान भवन/सचिवालय भवन के सुरक्षा दल एवं अग्निशमन दल का गठन कराये जाने तथा वर्तमान में कार्यरत सुरक्षा दल के कर्मियों को उसमें सम्मिलित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सचिवालय सुरक्षा दल के कर्मचारियों ने प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि वर्तमान में विधान भवन/सचिवालय भवन की सुरक्षा हेतु अस्थायी व्यवस्था है। यह देखने में भी आया है कि विभिन्न गेटों पर नियुक्त अस्थायी कर्मियों द्वारा विभिन्न अति विशिष्ट व्यक्तियों को उचित सम्मान भी नहीं दिया जाता है, जिससे शासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

विदित हो कि प्रत्येक राज्य की विधान भवन/सचिवालय भवन की अपनी अलग विशिष्टता होती है। लेकिन उत्तरांचल राज्य में इस ओर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है। अभी तक "अग्निशमन दल" का गठन भी नहीं किया गया है, जबकि विधानसभा की लॉबी एवं मंत्रीगण के कक्ष में अग्नि दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी हैं।

उपरोक्त परिवेश में उत्तरांचल विधान भवन/सचिवालय भवन में सुरक्षा दल एवं अग्नि शमन इकाई का पूर्ण ढांचा तैयार किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जैसे ज्ञात हुआ है कि सुरक्षा संवर्ग का 19 कर्मियों का एक न्यूनतम कोर का ढांचा विचाराधीन है, लेकिन उक्त ढांचे में सचिवालय सुरक्षा दल के उन सात (7) कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया है, जो इस कार्य हेतु पूर्ण प्रशिक्षित भी हैं एवं गत 3 वर्ष से सेवारत भी हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उत्तरांचल विधान भवन/सचिवालय भवन के सुरक्षा दल एवं अग्नि शमन दल का गठन कराये जाने एवं वर्तमान में कार्यरत् सुरक्षा दल के उक्त 7 कर्मियों को उसमें सम्मिलित किये जाने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूँ।

उत्तरांचल में मॉडल कैडर के समायोजित विकल्पित अध्यापकों का संशोधित चयन वेतनमान का निर्धारण न होने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में केन्द्रीय वेतनमान के शासनादेश संख्या–1007 दिनांक 10–07–1998 के द्वारा पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी एवं चमोली के राजकीय विकल्पित माडल कैडर के शिक्षकों के चयन वेतनमान रु0 4625 से रु0 6750 पर वेतन निर्धारण किया गया है और उत्तरांचल के शासनादेश संख्या–160 दिनांक 20–12–2001 के अनुसार चयन वेतनमान रु0 4625 से रु06750 का संशोधित चयन वेतनमान रु0 6500 से रु0 10500 प्राप्त कर रहे हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित विकल्पित अध्यापकों एवं मॉडल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का इससे पूर्व समान वेतन था। लेकिन उत्तरांचल में मॉडल कैडर के समायोजित विकल्पित अध्यापकों को अभी तक संशोधित चयन वेतनमान का निर्धारण न होने से इन्हें आर्थिक हानि हो रही है जिससे इन अध्यापकों में व्यापक रोष व्याप्त है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा सरकार का ध्यान प्रेषित ज्ञापनों द्वारा किया गया। मेरा अनुरोध है कि इन अविलम्बनीय एवं तात्कालिक लोक महत्व की सूचना को नियम–301 के अन्तर्गत लेकर सरकार को आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें।

जनपद हरिद्वार में शिवालिक नगर को नवनिर्मित नगर पंचायत घोषित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या 3846/9–1–95 (4/01/95), दिनांक 19 मई, 1995 के द्वारा नगर पंचायत बी0एच0ई0एल0 रानीपुर हरिद्वार का कुछ भाग औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर नगर पंचायत समाप्त कर दी गयी थी। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या 4458/9–1–95–56 सा0/95 नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ, दिनांक 04–10–1995 के द्वारा आदेश जारी किया गया कि जब तक नगर पंचायत का यथेष्ट विधायन नहीं हो जाता तब तक पूर्वगामी नगर पंचायत की समस्त सम्पत्तियां, दायित्व/अधिकारी/कर्मचारी शासन के अग्रिम आदेशों तक यथावत बनी रहेंगी। नगर

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायत बी0एच0ई0एल0 रानीपुर, हरिद्वार शिवालिक नगर कॉलोनी जिसकी आबादी वर्तमान में लगभग 20 हजार हो चुकी है। जिससे निवासियों को जन मूलभूत सुविधायें जलापूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाईट, सफाई, सड़कें आदि उपलब्ध करा रही है। उक्त नगर पंचायत में कुल 11 कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका वेतन आदि भी अपने संसाधनों द्वारा वहन कर रही है। इस नगर पंचायत को वर्ष 1995 से दशम वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग के द्वारा अभी तक कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। जिसके कारण निवासियों को जन सुविधा उपलब्ध कराना दुर्लभ हो गया है। शासनादेश संख्या 1323/9-1-99-56 सा0, दिनांक 14 मई, 1999 द्वारा शिवालिक नगर को नव निर्मित नगर पंचायत गठित करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन नगर पंचायत बी0एच0ई0एल0 एवं भेल प्रबन्धिका के संयुक्त प्रस्ताव व मानचित्र सहित मांगे गये थे जो जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या-1544/एम0सी0, दिनांक 18-02-2000 द्वारा उक्त नगर पंचायत का गठन करने हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है। चूँकि उक्त कार्य अब उत्तरांचल सरकार द्वारा किया जाना है जनहित को ध्यान में रखते हुए शिवालिक नगर को नवनिर्मित नगर पंचायत घोषित किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है।

विषय तात्कालिक, अविलम्बनीय, लोकमहत्व का है। अतः सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद अल्मोड़ा के क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत "गगास चमड़खान पम्पिग पेयजल योजना" के आगणन को स्वीकृत कर योजना प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत चमड़खान क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट बना हुआ है। क्षेत्र की जनता ने कई बार पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जन आन्दोलन किये हैं, पिछले वर्ष पूरे क्षेत्र में जबरदस्त आन्दोलन हुआ, अल्मोड़ा जिले के प्रशासन एवं स्वयं मेरे द्वारा चमड़खान जाकर गगास नदी से लिफ्ट द्वारा पानी लाने का आश्वासन दिया गया तथा आन्दोलनकारी ग्रामीणों को "गगास से चमड़खान" तक पेयजल योजना का आगणन शासन को भेजने के आश्वासन के साथ ही आन्दोलन समाप्त हुआ तथा शासन को, जल निगम अपर निर्माण शाखा रानीखेत द्वारा शीघ्र आगणन भी भेज दिया था, परन्तु आज तक भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में जबरदस्त जनआक्रोश है तथा जनता पुनः आन्दोलित है। इसलिए इस विषय को आज सदन के सम्मुख रखना पड़ा है।

अतः मेरा अनुरोध है कि चमड़खान क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या को मद्देनजर रखते हुए पूर्व में भेजे गये "गगास चमड़खान पम्पिग पेयजल योजना" के आगणन को स्वीकृत कर, योजना प्रारम्भ करवाने का कष्ट करें।

जनपद चमोली में जिला पंचायत मद के तहत वर्ष 2001—2002 के खाद्यान्नों का वितरण ग्रामीणों को नहीं किये जाने के सम्बन्ध में नियम—301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

मान्यवर, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को मजदूरी के बदले खाद्यान्न का वितरण किया जाता है जिससे कि उनको तत्काल मजदूरी का भुगतान प्राप्त हो सके और उनके परिवार का पालन—पोषण हो सके।

उक्त योजनान्तर्गत जनपद चमोली में जिला पंचायत मद के तहत वर्ष 2001—2002 के खाद्यान्न का वितरण ग्रामीणों को नहीं किया गया है जिससे कि वे अपनी मजदूरी के भुगतान की प्राप्ति से वंचित हैं तथा उनके सम्मुख आजीविका का प्रश्न खड़ा हो गया है।

खाद्यान्न का वितरण न होने से ग्रामीण व नगर क्षेत्रों की सम्पूर्ण रोजगार योजना के कार्यों पर कुप्रभाव पड़ रहा है तथा मजदूरी करने वाले श्रमिक अपनी मजदूरी की प्राप्ति के सम्बन्ध में आशंकित हैं।

अतः मेरा सदन के माध्यम से इन अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने का पुरजोर अनुरोध है।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि में पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना के सम्बन्ध में नियम—301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती आशा देवी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि में पॉलिटेक्निकल संस्थान खोलने के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ। महोदय, नव सृजित जनपद रुद्रप्रयाग में पॉलिटेक्निकल संस्थान न होने के कारण इस जनपद के प्रशिक्षणार्थियों को अन्य जनपदों में जाना पड़ता है या वंचित रह जाते हैं। जनपद रुद्रप्रयाग के इस सुदूरवर्ती क्षेत्र अगस्त्यमुनि में जनता कई वर्ष से औद्योगिक विकास हेतु पॉलिटेक्निक की मांग करती आ रही है। लेकिन प्रशासन द्वारा उक्त विषय पर कोई ठोस पहल नहीं की गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर अविलम्ब कार्यवाही हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।

जनपद चमोली के पोखरी स्थित रा0उ0मा0 विद्यालय गोदली के उच्चीकरण के सम्बन्ध में नियम—301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र भट्ट—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी स्थित रा0उ0मा0 विद्यालय गोदली के उच्चीकरण की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन की ओर दिलाना चाहता हूँ।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय, उक्त विद्यालय के उच्चीकरण की कार्यवाही विगत कई वर्षों से शासन में लम्बित है। क्षेत्रीय जनता द्वारा माननीय सदन के सम्मुख एक याचिका के माध्यम से भी अपनी गुहार लगाई गयी, परन्तु अभी तक भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त है।

महोदय, जिलायोजना के वार्षिक परिव्यय में उक्त विद्यालय के उच्चीकरण हेतु धनराशि का प्राविधान किया गया है तथा विद्यालय मानकों को पूरा करता है एवम् जिलायोजना में प्रस्तावित है।

अतः महोदय, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विद्यालय उच्चीकरण की कार्यवाही की मांग करता हूँ।

संविलियन सेवा नियमावली में संशोधन कर एक ही वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को अवर वर्ग सहायक पदनाम दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काशी सिंह ऐरी एवं श्री कैलाश शर्मा–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की स्थापना के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को उत्तरांचल सचिवालय में संविलियन करने की एक अस्थाई सेवा नियमावली (संविलियन सेवा नियमावली) बनाई गई। जिसके तहत कार्मिकों को समायोजन किया गया है। समायोजित करते समय एक ही वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को अलग–अलग पदों पर मौलिक नियुक्ति प्रदान की गई। 4000–6000 के वेतनमान में कार्यरत व0 लिपिक व व0 सहायक को तो अवर वर्ग सहायक पदनाम दे दिया गया वहीं विभागों मे पदों की अनुपलब्धता के कारण पदोन्नत वेतनमान प्राप्त कनिष्ठ लिपिक जो कि 4000–6000 का वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं का संविलियन कनिष्ठ वेतनक्रम 3050–4500 में किया गया है जबकि संविलियन का आधार पदनाम न होकर एक ही वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को एक समान पद अवर वर्ग सहायक का पदनाम दिया जाना चाहिए था।

तद्नुसार सेवा संविलियन नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक है। ऐसा न होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगभग 22 कार्मिक ऐसे हैं जो 4000–6000 के वेतनमान में कार्यरत हैं एवं अवर वर्ग सहायक के मूलवेतन 4500 से ऊपर वेतन ले रहे हैं उन्हें कनिष्ठ लिपिक के वेतनमान 3050–4500 में संविलियन किया गया है। इस कारण सचिवालय सेवा में संविलियन के फलस्वरूप उनसे कनिष्ठ कर्मचारी मात्र 14 वर्ष की सेवा में 4500–7000 का वेतनमान प्राप्त कर चुके हैं वहीं वरिष्ठ कार्मिक 4000–6000 के वेतनमान में ही कार्यरत होने से गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ कार्मिकों के मनोबल को बढ़ाने एवं न्यायिक

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दृष्टि के अनुरूप सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन कर एक ही वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को अवर वर्ग सहायक पदनाम देने पर सरकार विचार करेगी। इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

दिनांक 27–12–2003 को पिथौरागढ़ के ग्राम पामें में हुए भयंकर अग्निकाण्ड से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दिनांक 27–12–2003 की सायं 7 बजे ग्राम पामें विकासखण्ड विण, पिथौरागढ़ में हुए भयंकर अग्निकाण्ड के कारण श्री रमेश चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री केदार पाण्डे, श्री महेश पाण्डे पुत्र श्री मोहन चन्द्र पाण्डे तथा श्री हर्षवर्धन पाण्डे पुत्र श्री केशव पाण्डे के भवन पूर्ण रूप से नष्ट हो गये हैं। श्री रमेश चन्द्र पाण्डे उम्र 55 वर्ष की घटना स्थल पर ही बुरी तरह से जल जाने के कारण मृत्यु हो गयी है। श्रीमती कला पाण्डे पत्नी श्री रमेश चन्द्र पाण्डे उम्र 45 वर्ष को अत्यन्त गम्भीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

अज्ञात कारणों से हुए इस अग्निकाण्ड के कारण तीन परिवार प्रभावित हो चुके हैं। जिन्हें तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। ताकि वे अपने आवास की व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जिला ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज में हो रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जिला ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक सितारगंज में हो रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000–2001, 2001–2002, 2002–2003 के हो रहे कार्यों में ग्राम्य विकास विभाग एवं यू0आई0डी0पी0 (प्राइवेट एजेन्सी) द्वारा कान्ट्रैक्टर को लाभान्वित किया जा रहा है। इस मामले में साधुनगर, बिजराण सड़क को कान्ट्रैक्टर को लाभान्वित करने के इरादे से तय स्थान से परिवर्तित करा दिया गया है। जहाँ पर क्षेत्रीय जनता को कोई भी यातायात में लाभ नहीं होगा। उसी परिपेक्ष्य में रुद्रपुर भक्तिनगर व बरकान्डी, धूमखेड़ा, सुनखरी ग्रामों में 10 (दस) फुट के सड़क किनारे गड्ढे बना दिये गये हैं, जो कि अनुचित है। मैं इस मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पौड़ी के अशासकीय जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूलों को अनुदान श्रेणी में लाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

जनपद पौड़ी गढ़वाल की लगभग 30 अशासकीय जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल जो कि अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी अनुदान श्रेणी में आने से वंचित रह गये थे, और पूर्व में अन्तरिम सरकार ने भी उनको प्राथमिकता में अनुदान देने की कार्यवाही शुरू की थी, अभी तक सरकारी अनुदान से वंचित है, जबकि उन सभी विद्यालयों ने आवश्यक मानक व शर्तें पूरी करते हुए फाइल राज्य सरकार के पास लम्बित है, उक्त विद्यालयों को सरकारी अनुदान की श्रेणी में न रखे जाने के कारण विद्यालयों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त नाजुक हो गयी, और विद्यालय बन्द होने के कगार पर है। और शासन ने द्वारा इन विद्यालयों को अनुदान देने पर विचार नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः मेरा निवेदन है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अनुदान से वंचित रह गये अशासकीय जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूलों की अनुदान की श्रेणी में लाने हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।

उत्तरांचल में 228 राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, समूचे उत्तरांचल में 228 राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाई स्कूल अवस्थित है। इन कालेजों के पाठ्यक्रम, वेतन, भत्ते, पेंशन एवं अन्य सभी सेवाशर्तें राजकीय कालेजों के समान है। दोनों का वित्तीय प्रभार राजकीय कोष पर अवलम्बित है। परन्तु निरन्तर मांग के बावजूद इन विद्यालयों का प्रान्तीयकरण नहीं किया जा रहा है। जिन कारण अधिकांश कालेज राजनीति के केन्द्र बन गये है। शिक्षा जैसे गरिमामय संस्थानों का राजनीतिकरण राज्य के हित में नहीं है तथा एक ही प्रकार की सुविधाओं एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम के होते हुए एक ही राज्य में दोहरी शिक्षा प्रणाली का होना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। इस संदर्भ में यह भी सूच्य है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना के तुरन्त बाद वहाँ की सरकार ने दोहरी शिक्षा प्रणाली तुरन्त समाप्त कर दी थी। वही व्यवस्था उत्तरांचल राज्य में कर दी जाय तो शिक्षा का बहुत बड़ा हित होगा। इस संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी पूर्व में आश्वासन दिया था कि इन सभी विद्यालयों का प्रान्तीयकरण करने पर सरकार विचार कर रही है चूँकि शिक्षा विभाग का प्रस्तावित ढांचा बनना तय है। अतः उक्त सभी 228 विद्यालयों का प्रान्तीयकरण किये जाने हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।

प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके सामने अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूँ। मान्यवर, सरकार एक ओर आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रही है परन्तु प्रदेश के अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की लम्बे समय से नियुक्ति न होने से सामान्य शैक्षणिक कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। ऐसे में आधुनिक शिक्षा प्रदान करना सम्भव कैसे हो सकता है। अतः मैं शासन से मांग करता हूँ कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की जाय।

जनपद चमोली में डिम्मर सम्पर्क मार्ग निर्माण में अधिग्रहीत श्री लोकनन्द डिमरी की भूमि का मुआवजा विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से डिम्मर सम्पर्क मार्ग 1984 में प्रारम्भ हुआ था, किन्तु इस मार्ग के यातायात हेतु सुलभ होने के 18–19 वर्ष के बाद भी श्री लोकानन्द डिमरी को अभी तक भी भूमि, फलदार पेड़ों आदि का मुआवजा नहीं मिल पाया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।

लालकुआँ नगर पंचायत के सीमा विस्तार हेतु पंचायत सीमा से लगी खाली भूमि को उपलब्ध करने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, धारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत लालकुआँ एकमात्र नगर पंचायत है तथा लालकुआँ में बहुत पुराना ऐतिहासिक रेलवे जंक्शन भी है।

वर्तमान में, जहाँ एक ओर मैदानी क्षेत्रों के अधिकांश पर्यटक विभिन्न रेलमार्गों से यहाँ पर आते है वही व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिड़ला समूह का विशाल कागज उद्योग भी लालकुआँ में स्थित है जिस कारण यहाँ पर लकड़ी का बड़ा कारोबार होता है। नगर के निकट से गौला नदी होने के कारण, यहाँ पर रेता बजरी का भी भारी कारोबार होता है। इस वजह से भारी वाहनों के मुख्य मार्ग पर ज्यादा आवागमन के कारण अक्सर यातायात बाधित रहता है। जिससे आम जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः माननीय शहरी विकास, वन एवं पर्यावरण मंत्री जी से अनुरोध है कि लोकमहत्व की इस समस्या के समाधान के लिए लालकुआँ नगर पंचायत के सीमा विस्तार हेतु नगर पंचायत की सीमा से लगी खाली भूमि को नगर पंचायत के सीमा विस्तार के लिए उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे, ताकि यहाँ के मुख्य व्यवसाय के लिए ट्रान्सपोर्ट नगर तथा पर्यटकों के लिए पर्यटक आवास गृह निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये जा सकें।

नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा के वर्ष, 2003 के द्वितीय सत्र में, उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के निदेश संख्या–14(3) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002–2003) का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एवं छठा प्रतिवेदन

*चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002–2003) का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002–2003) का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002–2003) का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002–2003) का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

चौ0 यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002–2003) का पांचवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौ० यशवीर सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल विधान सभा की लोक लेखा समिति (2002–2003) का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति 2002–2003 का पहला प्रतिवेदन

डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तरांचल विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2002–2003) का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

जगदेई तीर्थ, विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी को तीर्थ एवं पर्यटक स्थल घोषित किये जाने विषयक याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जगदेई तीर्थ, विकास खण्ड चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी को तीर्थ एवं पर्यटक स्थल घोषित किये जाने विषयक श्री कैलाश खरोला एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी में अवस्थित रूपनौल डांडा को पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने विषयक याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उत्तरकाशी में अवस्थित रूपनौल डांडा को पर्यटन क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवती प्रसाद डोभाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी गढ़वाल के नगुण–मवान मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण विषयक याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद उत्तरकाशी एवं टिहरी गढ़वाल के नगुण–मवान मोटर मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण विषयक श्री भागदेई पंवार एवं अन्य निवासीगण जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद रूद्रप्रयाग विकास खण्ड अगस्तमुनि एवं ऊखीमठ में रा०उ०मा० विद्यालय खुमेरा, मणिगृह एवं रामपुर के उच्चीकरण विषयक याचिका

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रूद्रप्रयाग विकास खण्ड अगस्त्यमुनि एवं ऊखीमठ में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खुमेरा, मणिगृह एवं

रामपुर के उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री सुनील बेंजवाल एवं अन्य निवासीगण, जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा हस्ताक्षारित याचिका उपस्थित करती हूँ।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के जूनियर हाई स्कूल कुण्डबगड के उच्चीकरण विषयक याचिका

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के जूनियर हाई स्कूल कुण्डबगड के उच्चीकरण विषयक श्री अमर सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद उत्तरकाशी में पंचकोशी (वारूणी यात्रा) को धार्मिक यात्रा घोषित करने विषयक याचिका

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उत्तरकाशी में पंचकोशी (वारूणी यात्रा) को धार्मिक घोषित करने के सम्बन्ध में श्री जबर सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद उत्तरकाशी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

देहरादून शहर के कॉवली रोड़ स्थिति भाटड़ा मोहल्ला में सीवर लाईन चोक होने विषयक याचिका

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से देहरादून शहर के कांवली रोड़ स्थित भाटड़ा मोहल्ला में पचास वर्ष पुरानी सीवर लाईन चोक होने के सीवर का गन्दा पानी ओवर फ्लो होकर पूरे क्षेत्र में फैलने के सम्बन्ध में श्री मुरलीधर शर्मा एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

देहरादून शहर के बीच डांडीपुर क्षेत्र की पुरानी सीवर लाईन को खुले नाले में छोड़े जाने विषयक याचिका

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से देहरादून शहर के बीच डांडीपुर क्षेत्र की पुरानी सीवर लाईन को खुले नाले में छोड़ने से मन्नुगंज एवं अन्य निवासियों को हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश प्रजापति एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद अल्मोड़ा एवं नैनीताल के विकास खण्ड ताड़ीखेत, भिकियासैंण एवं बेतालघाट के अन्तर्गत कोसी वाला खेत (रीच–थापला) पेयजल योजना के निर्माण विषयक याचिका

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद अल्मोड़ा एवं नैनीताल के विकास खण्ड ताड़ीखेत, भिकियासैंण एवं बेतालघाट के अन्तर्गत कोसी कालाखेत (रीच–थापला) पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में श्री पूरन चन्द्र पाण्डे एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(कार्यसूची की मद संख्या–21 व 22 के अन्तर्गत श्री प्रेमानन्द महाजन, सदस्य विधान सभा की याचिका के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे।)

उत्तरांचल विधान सभा की प्रवर समिति का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री–(श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–315(10) के अन्तर्गत प्रवर समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

विधान सभा की सर्वदलीय जाँच समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या–1216/वि0स0/58/सं0/2002, दिनांक 03 अक्टूबर, 2003 के क्रम में मुझे आपको अवगत कराना है कि विधान सभा की लॉबी में हुए अग्निकांड तथा आनुषंगिक विषयों एवं राजधानी निर्माण तथा क्रय सम्बन्धी समस्त प्रकरणों की सर्वदलीय जाँच समिति, का कार्यकाल आगामी सत्र के अन्तिम उपवेशन की तिथि अथवा समिति के प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापना की तिथि, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

उत्तरांचल राज्य में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास राज्य मंत्री की वक्तव्य

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही लम्बा संसदीय अनुभव रहा है। उन्हीं संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुए माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के विकास के लिए और विशेषकर औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं माननीय सदन में देना चाहता हूँ कि हमारे नवोदित राज्य में एक ग्रोथ सेन्टर की स्थापना होने जा रही है। यह ग्रोथ सेन्टर भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ

हो रहा है इसके लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं। इसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी तथा भारत सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूरी ने बहुत परश्रू किया, इसके लिए उनका आभारी हूँ। इस ग्रोथ सेन्टर की स्थापना बहुत पहले होनी थी। लेकिन अभी 16 दिसम्बर को इसकी मंजूरी भारत सरकार से मिल गयी है। अभी हमारा विधान सभा का सत्र चल रहा है इसलिए यह महत्वपूर्ण जानकारी मैंने सदन में देना उचित समझा। मान्यवर, यह ग्रोथ सेन्टर 16 करोड़ 84 लाख रुपये से स्थापित होगा। मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए हमारे जो सम्मानित सदस्य, विशेषकर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, जिन्होंने सुबह भी इस पर चिन्ता जाहिर की, उनकी तथा पूरे प्रदेश के निवासियों की इच्छा पूरी हो गयी है। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर रखने की आपने मुझे अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

*पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जैसा कि सदन को मालूम ही होगा कि वर्ष, 1987 में भारत सरकार के द्वारा ग्रोथ सेन्टर योजना चलायी गयी थी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय केन्द्र में मंत्री थे। उस समय अविभाजित उत्तर प्रदेश में 6 ग्रोथ सेन्टर स्वीकृत हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से कोटद्वार में एक ग्रोथ सेन्टर स्वीकृत था। लेकिन बाद में यह प्रयास किये गये कि इस ग्रोथ सेन्टर को कहीं और स्थानान्तरित कर दिया जाय। अलीगढ़ और कानपुर में इस ग्रोथ सेन्टर को स्थानान्तरित करने के आदेश भी जारी हो गए थे। 1993 में उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने प्रयास किया कि इसको कोटद्वार में ही स्थापित किया जाय। इसको अन्यत्र स्थानान्तरित करने के लिए यह तर्क दिया गया था कि कोटद्वार वह क्षेत्र है, जो राजाजी नेशनल पार्क की 15 किलोमीटर की परिधि में आता है, इसलिए यहाँ पर ग्रोथ सेन्टर स्थापित करना उचित नहीं है। हमने निरन्तर प्रयास के बाद 1993 में भारत सरकार से आदेश कराए। उसके बाद से निजी संस्थाओं के माध्यम से भी इसे स्थापित करने का हम प्रयास करते रहे। 2002 में जब पं0 नारायण दत्त तिवारी जी ने इस प्रदेश का नेतृत्व संभाला, तब उनके निरन्तर प्रयास से इस ग्रोथ सेन्टर को कोटद्वार में स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। एक बार तो यह कहा जाने लगा था कि नये ग्रोथ सेन्टर की माँग हमें कर रहे हैं, लेकिन हमने भारत सरकार से अनुरोध किया कि यह नया ग्रोथ सेन्टर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में जिन 6 ग्रोथ सेन्टरों के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई थी, उनमें से ही एक यह भी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह योजना 1987 में स्वीकृत की गई थी। लिहाजा इसको नई योजना के रूप में स्वीकृत न करते हुए पुरानी योजना के रूप में स्वीकृत किया जाए। मान्यवर, इसमें निरन्तर कुछ न कुछ कठिनाइयां आती रही लेकिन अन्ततः 2003 में हमें सफलता प्राप्त हुई। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके नेतृत्व में हमें यह महत्वाकांक्षी योजना प्राप्त होने में सफलता मिली। यह औद्योगिक पैकेज भारत सरकार ने दिया जो राज्य में एक नया वातावरण बनाने में सहयोग सिद्ध होगा। वरना पूर्व में स्थिति यह थी कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत आ जाती थी। जैसाकि अभी माननीय जंतवाल जी ने एच0एम0टी0 फैक्ट्री के बारे में अवगत कराया।

मान्यवर, नया औद्योगिक क्षेत्र कोटद्वार ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित होगा और इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। एक बार मैं पुनः भारत सरकार का जो सहयोग मिला उसके लिये आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। पुनः माननीय तिवारी जी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में और उनके प्रयासों से हमें कोटद्वार में ग्रोथ सेन्टर स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में दो–तीन बैठकें भी अधिकारियों के साथ हुई और उन बैठकों में विस्तृत रूप में इसको अन्तिम रूप दिया गया। भूमि की उपलब्धता के लिए स्थल का चयन भी किया गया। पहले यह शंका भी थी कि कहीं भूमि उपलब्ध न हो पाएगी, किन्तु अब सभी कठिनाईयाँ दूर हो गई और कोटद्वार में ग्रोथ सेन्टर की स्थापना हो गई एवं आज उसकी विधिवत घोषणा सदन में की गई। औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए जो सहयोग हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने दिया इसके लिए एक बार मैं पुनः उनका आभार प्रकट करता हूँ।

पेयजल मंत्री का शोधन वक्तव्य

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मदन कौशिक, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं0–2 के दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में माननीय अध्यक्ष विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश सं0 43(1) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण उत्तर का संशोधन वक्तव्य इस प्रकार है:–

मूल प्रश्न	मूल उत्तर	संशोधित उत्तर
क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरिद्वार नगर में वर्तमान में कितने एम0एल0डी0 शुद्ध जल की आवश्यकता है और अभी कितने एम0एल0डी0 शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है ?	वर्तमान में हरिद्वार नगर के लिए 69.03 एम0एल0डी0 शुद्ध जल की आवश्यकता है। वर्तमान में 65.8 एम0एल0डी0 शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है।	वर्तमान में हरिद्वार नगर के लिए 69.03 एम0एल0डी0 शुद्ध जल की आवश्यकता है वर्तमान में तीन नग अन्तः स्रोत कूप एक नग नलकूप चालू कर दिये जाने तथा अर्द्धकुम्भ मेला, 2004 के अन्तर्गत तीन नलकूप और लगाये

सरकार ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुधारने के तए क्या योजना बनाई है ? योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ?	अर्द्धकुम्भ मेले से पूर्व नलकूप निर्मित किए जाने प्रस्तावित है जिनमें 8.64 एम0एल0डी0 जल की बढ़ोत्तरी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त दो अवर जलाशय 2000 कि0ली0 एवं 2250 कि0ली0 क्षमता के निर्माण भी प्रस्तावित है।	जाने से नगर में कुल 53.184 एम0एल0डी0 जल उपलब्ध हो गया है इसके अतिरिक्त एक अन्य नलकूप का खनन कार्य प्रगति पर है जिससे 1.728 एम0एल0डी0 शुद्ध जल वृद्धि अप्रैल, 2004 तक की जानी प्रस्तावित है तदोपरान्त हरिद्वार नगर में कुल 54.912 एम0एल0डी0 जल उपलब्ध हो जायेगा। उक्त के साथ-साथ अर्द्धकुम्भ मेला, 2004 के अन्तर्गत केवल एक ही अवर जलाशय 2000 कि0ली0 हेतु धन उपलब्ध हुआ है, जिसका निर्माण कार्य तहसील प्रांगण में किया जा रहा है, जो मार्च, 2004 तक पूर्ण कर चालू किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रश्न के उत्तर में पूर्व में हुई त्रुटि के लिए उत्तरदायी श्री जी.पी. त्यागी, अधिशासी अभियन्ता निर्माण शाखा उत्तरांचल पेयजल निगम हरिद्वार के विरुद्ध शासन को गलत सूचना उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रतिकूल प्रविष्टि अंकन के आदेश किये गये है।

उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

*समाज कल्याण मंत्री (श्री राम प्रसाद टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं उत्तरांचल अल्पसंख्यक आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जाँच के सम्बन्ध में श्री रणजीत सिंह सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज श्री रणजीत सिंह रावत जी ने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। हम इसे गम्भीरता से ले रहे हैं, इसका परीक्षण करा रहे हैं। यदि आवश्यकता होगी तो इसे हम बाद में सुन लेंगे।

श्री रणजीत सिंह–

मान्यवर, मेरी शिकायत सड़क निर्माण गुणवत्ता से थी। जब इसकी शिकायत की गई तो सरकार ने निर्माणाधीन एजेंसी को ही जाँच कार्य सौंपा। जाँच अधिकारी ने जाँच दायरे से बाहर जाँच की। मान्यवर, आज ही सत्र समाप्त हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना को हम गम्भीरता से ले रहे हैं यदि आवाश्यकता होगी तो बाद में इस पर आपको सुन लेंगे। कृपया आप बैठ जाईयें, सभी माननीय सदस्य शांत रहें।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–56 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मैं श्री अनिल नौटियाल, श्री शहजाद, श्री हरिदास तथा श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी की सूचना को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वरूणावत पर्वत के लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि दो–दो शब्द आप सुन लें, जिससे सरकार का पक्ष आ जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, जो सूचनायें नियम–56 में स्वीकृत हुई हैं उन्हीं का सरकार जवाब देगी।

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि चार सूचनायें स्वीकृत की हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि जो स्वीकृत हुई हैं उन्हीं का सरकार जवाब देगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूँ कि जो सूचनायें बाकी हैं उसमें कम से कम वक्तव्य रख दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आज सत्र का आखिरी दिन है, वैसे तो कार्यस्थगन आज नहीं आना चाहिए था।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, कम से कम वक्तव्य आ जाये।

श्री अध्यक्ष–

हमने चार सूचनायें ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु स्वीकृत की हैं।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका विशेषाधिकार है, आप सुन सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन उत्तरांचल की जनता के हित के लिए बनाया गया है और माननीय सदस्यगण अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में कुछ बातें आपके संज्ञान में लाते हैं। मान्यवर, आपने चार सूचनाएं स्वीकार की हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि शेष सूचनाओं को 2–2 मिनट सुनकर आप अपना निर्देश सरकार को दें, जिससे उस पर कार्यवाही हो।

श्री अध्यक्ष–

श्री अनिल नौटियाल जी, आप अपनी सूचना पर बोलें।

*श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मेरी सूचना को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर, उत्तरांचल में समय–समय पर भू–स्खलन, बाढ़ की आपदायें आती रहती हैं, उससे काफी नुकसान पर्वतीय क्षेत्रों को होता रहा है। मान्यवर, अभी पिछले दिनों पिंडर नदी के बहाव के कारण जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली, कर्णप्रयाग आदि कई गाँवों को अत्यधिक नुकसान हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद चमोली का केन्द्रीय स्थान कर्णप्रयाग है।

मान्यवर, जहाँ पर 2–2 नदियों का संगम भी है उसे पूरे नगर को पिण्डर नदी के कटाव के कारण नुकसान हुआ है, कई आवासीय भवन, कई व्यापारिक प्रतिष्ठान आज ऐसी स्थिति में हैं जिनकी नीचे से जमीन, फाउण्डेशन खिसकनी शुरू हो गयी है, वहाँ के विद्यालयों को भी काफी नुकसान हो रहा है और सिमली नामक स्थान माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद चमोली उद्योग केन्द्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घोषित है जहाँ पर उद्योग विभाग द्वारा 500 नाली भूमि अधिग्रहित की गयी है। आज यह औद्योगिक क्षेत्र जो उद्योग विभाग द्वारा अधिग्रहीत किया गया है, उसको पिण्डर नदी के कटाव के कारण बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है व जमीन नीचे धंसनी शुरू हो गयी है। मान्यवर, वहाँ पर नदी के दूसरे छोर पर बहुत प्रतिष्ठित गाँव डिम्मर गाँव पड़ता है उसको भी इस नदी के कारण नुकसान हुआ है और वर्तमान में उस नदी के कटाव के कारण ये दोनों तरफ नदी की जो जमीन खिसक रही है, आने वाले दिन में इस कटाव के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठान और आवासीय भवनों और साथ ही पूरे गाँव को क्षति होने की सम्भावना है।

मान्यवर, इससे पूर्व भी पिछले दिनों सरकार के ध्यान में यह बात लायी गयी थी, अधिकारियों के ध्यान में लायी गयी थी, लेकिन अभी भी उस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया तो माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार के संज्ञान में यह प्रकरण विचाराधीन है ? क्या इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है और कब तक इस पर कार्य प्रारम्भ हो जाएगा? क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से आग्रह भी करूँगा कि इस पर कार्य स्थगन करते हुए इस पर चर्चा करायी जाए, क्योंकि उत्तरांचल भू-स्खलन आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है, इसलिए इस पर विस्तृत चर्चा करायी जानी चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।

सिंचाई मंत्री (श्री शूरवीर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जिन क्षेत्र के बारे में चिन्ता व्यक्त की है, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। सिमली के आस-पास एवं कर्णप्रयाग के आस-पास के क्षेत्र में वर्षों-वर्षों से जमीन खिसकने की और कटाव की सूचनाएं थी। वर्ष 2001 में एक योजना स्वीकृत भी करायी गयी थी, उसके लिए उस समय धन उपलब्ध नहीं था। बाद में धन उपलब्ध कराया गया जिसकी लागत रु0 20.57 लाख की है और जिसको गाँधीनगर कर्णप्रयाग बाढ़ सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। मान्यवर, इस पर कार्य चल रहा है और इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण हो जायेगा।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न यह है कि जो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में नहीं आया होगा कि सिमली उद्योग क्षेत्र हैं उसमें अधिकतर जो उद्योग भूमि है उसमें नदी के कारण कटाव हो रहा है। उसमें डिम्मर गाँव है उसे इस बाढ़ से खतरा हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी सुरक्षा हेतु माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे।

श्री शूरवीर सिंह–

मान्यवर, सिमली और सिमली के आस-पास एक हरिजन बस्ती है उसकी सूचनायें मिली है कि वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है, सरकार इस पर गम्भीर है। मान्यवर,

64.16 लाख की योजना इस पर प्रस्तावित है, इस पर कुछ अन्य परीक्षण कराये जाने बाकी है जैसे ही परीक्षण हो जायेंगे सरकार इस पर कार्य करेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–56 में सुनने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार में जो 78 जूनियर हाई स्कूल हैं जिनमें उर्दू अध्यापक 12 हैं। मान्यवर, सरकार ने उत्तरांचल के तीन जिलों में पुस्तकों का वितरण किया है। मान्यवर, उर्दू पढ़ने वाले काफी बच्चे हरिद्वार में भी हैं। वहाँ पर कुल 12 अध्यापक हैं, क्या पुस्तक देने से उर्दू पढ़ने वालों का भला जो जायेगा ? मान्यवर, 69 पदों पर सीधी भर्ती है जिसमें केवल साइंस विषय की भर्ती की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर चर्चा करायी जाय और प्रदेश की जनता को बताया जाय। जहाँ अध्यापक होना चाहिए वहाँ पर नहीं है, जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं और कोई माँ–बाप पढ़ाना चाहते हैं तो वह कैसे पढ़ा सकते हैं। मान्यवर, इससे पता चलता है कि सरकार कितनी जागरूक है। मान्यवर, यही हाल प्राइमरी स्कूलों का है, जिन स्कूलों में बच्चे हैं तो वहाँ अध्यापक नहीं हैं और जहाँ अध्यापक हैं तो वहाँ बच्चे नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माँग करता हूँ कि सरकार उर्दू विषय पर इस सदन में कार्य स्थगित करके चर्चा करायें ताकि सुझाव सामने आये। सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है और जनता की डिमाण्ड क्या है ? मैं यह माँग आपके माध्यम से करता हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिया है, उस नोटिस में कुछ और है और वक्तव्य कुछ और ही दे रहे हैं। मान्यवर, यद्यपि इसमें माननीय सदस्य ने उर्दू शिक्षकों का कोई उल्लेख नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में परीक्षण कराया जा रहा है और जिस भी विद्यालय में उर्दू को पढ़ने वाले विद्यार्थी मानक के अनुसार उपलब्ध होंगे। उस आधार पर उर्दू के शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री शहजाद एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरिदास–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, जिला हरिद्वार के सर्वानन्द घाट भूपतवाला में गत 20 वर्षों से बंगाली समाज के लोग निवास कर रहे है और 1985 से ये सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग भी भिन्न–भिन्न चुनावों में करते आ रहे है। इनके वोटर लिस्ट में नाम होने के साथ–साथ इनके फोटो पहचान पत्र भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये जा चुके है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन द्वारा इनको उक्त स्थान से अतिक्रमण के बहाने उजाड़ा जा रहा है और इनके रहने की व्यवस्था शासन–प्रशासन द्वारा नहीं की गयी। ये सभी लोग अपने बीबी–बच्चों को लेकर दर–दर की ठोकरें खाते फिर रहे है। जबकि शासनादेश के अनुसार नियम यह है कि 10–15 वर्षो से जो लोग किसी स्थान पर रह रहे हो उन्हें उजाड़ने से पूर्व शासन–प्रशासन द्वारा उनके रहने की व्यवस्था की जायेगी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया और वहाँ की जनता आन्दोलित है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्यवाही रोकर चर्चा कराए जाने की मैं मॉग करता हूँ।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, सर्वानन्द घाट भूपतवाला से बंगाली समाज अथवा किसी व्यक्ति को इस वर्ष में बेदखल नही किया गया है। भूपतवाला स्थित सर्वानन्द घाट कुम्भ मेला भूमि है। गत कुम्भ मेला वर्ष 1998 के दौरान मेला प्रशासन द्वारा मेला भूमि के अतिक्रमणकारियों को हटाया गया था। वर्तमान में सर्वानन्द घाट, भूपतवाला पर कोई आबादी दर्ज नहीं है और न ही कोई मतदाता दर्ज है और तद्नुसार फोटो पहचान पत्र भी जारी नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य श्री हरिदास एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम–56 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद स्थित द्वाराहाट में कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज है। यह पिछले तीन वर्षों से अव्यवस्था का शिकार बनता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने जिस आशा और विश्वास के साथ 1986 में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इसे खोला था, आज वे सारी आशायें धूल–धूसरित हो चुकी है। आज यह कॉलेज भ्रष्टाचार के दल–दल में डूब चुका है। कॉलेज का शैक्षणिक कार्य बुरी तरह से प्रभावित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो रहा है। कॉलेज का शैक्षणिक कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कॉलेज में विगत तीन वर्षों से स्थाई प्रधानाचार्य न होने से स्थिति और बदतर हो चुकी है। कॉलेज के कुल सचिव के विरूद्ध कई बार गम्भीर अनियमितताओं, महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, कैम्पस में गुटबाजी के गम्भीर आरोप और छात्राओं के साथ छेड़छाड, यौन उत्पीड़न आदि के चलते कॉलेज व शैक्षणिक कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

21 अगस्त, 2000 को तत्कालीन सचिव, प्राविधिक शिक्षा द्वारा उसे पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से सम्बद्ध किया गया। 12 दिसम्बर, 2001 को पुनः राज्य तकनीकी शिक्षा सचिव द्वारा प्रशासनिक आधार पर पुनः पौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज से सम्बद्ध कर दिया गया। कई बार कॉलेज के कर्मचारी उसके विरुद्ध आंदोलन कर चुके हैं। 20 सितम्बर, 2002 को माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री ने उक्त कुल सचिव को अपने कार्यालय से सम्बद्ध किया। उक्त कुल सचिव के विरुद्ध गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच बिड़ला इंस्टीट्यूट भीमताल के निदेशक को सौंपी गयी। लगभग एक वर्ष पूर्व उन्होंने अपनी जांच शासन को सौंप दी परन्तु उस जांच का क्या हुआ ? आज तक अज्ञात है। उसको पुनः कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दिया गया है यही नहीं आज उक्त कुल सचिव को जिसने पूर्व मे कॉलेज के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया था। कॉलेज का कानूनी सलाहकार भी बना दिया है।

मान्यवर, कॉलेज की छात्राओं के साथ छेड़–छाड़ करने व उन्हें गंदे–गंदे पत्र लिखने के आरोप में शासन की विस्तृत जांच के बाद दो शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। अब यही कुल सचिव उन्हें पुनः बहाल करने की कार्यवाही में लगा हुआ है। कॉलेज में स्थाई प्रधानाचार्य के अभाव में एक सहायक प्रोफेसर कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्य देख रहा है। आज उक्त कार्यवाहक प्रधानाचार्य को 2 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद की इजाजत दी गई है जबकि इससे पूर्व के कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर इस आधार पर प्रतिबन्ध था कि वे कार्यवाहक है। कॉलेज में इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्प्यूटर साईस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायो कैमिकल इंजीनियरिंग एवं एम०सी०ए० सहित 5 ट्रेड चल रहे हैं। लगभग 800 छात्र–छात्राए शिक्षारत हैं। जिनमें 80 अध्यापकों के विपरीत मात्र 19 स्थाई व 2 संविदा पर कार्यरत हैं। पूरे कॉलेज में एक भी प्रोफेसर नहीं है। कर्मचारियों के कई पद रिक्त हैं। कुल सचिव व कार्यवाहक प्रधानाचार्य की मनमानी से पूरे कॉलेज में दहशत व आतंक का वातावरण पैदा हो गया है तथा कभी भी कोई गंभीर घटना घट सकती है। मैंने इस संदर्भ में सभी तथ्यों सहित विस्तृत पत्रों के माध्यम से विगत 2 वर्षों में कई बार माननीय मुख्यमंत्री, मा० तकनीकी शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा को अवगत करवाया है। परन्तु मेरे पत्रों को गंभीरता से न लिया जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार स्वयं उक्त कॉलेज को बर्बाद करने पर तुली है।

मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार ने कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज को रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की घोषणा की थी तथा इस हेतु भारत सरकार को भी संस्तुति की थी।

परन्तु मुझे लगता है कि स्वयं सरकार ने उक्त कॉलेज को बर्बाद करने का फैसला ले लिया है। मान्यवर, क्षेत्रीय जनता में कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज की बदहाली से भारी रोष है। मान्यवर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2003 के सण्डे पोस्ट समाचार पत्र के मुखपृष्ठ पर इसकी पूरी कहानी छपी है। मैं इसकी केवल एक लाईन पढ़ना चाहता हूँ "तिवारी के 16 वर्ष पुराने सपने का हश्र : कॉलेज प्राचार्य विहीन, प्रोफेसर एक भी नहीं, शिक्षक यौन दुराचार के चलते बर्खास्त, विवादों के घेरे में कुल सचिव, कॉलेज पूरी तरह बदहाल।" मान्यवर, यह हाल है। मैं इस समूचे प्रकरण की विजिलेंस से जाँच कराने की मांग करता हूँ। यदि विजिलेंस जाँच में मेरे आरोप असत्य सिद्ध हो गये तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। अतः मान्यवर, मैं समस्त कार्यवाही रोककर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा किए जाने की मांग करता हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री त्रिपाठी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की, लेकिन जो तथ्य उन्होंने कहे, तथ्य से विपरीत भी कहे। वहां पर प्रशासन अच्छा चले, इसका निरन्तर प्रयास हुआ है और गत वर्ष में रैगिंग होती रही परन्तु इस वर्ष ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। इस इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही वर्ष 1987 में की गई थी और वहां पर कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ हुआ था राज्य गठन के समय इस विद्यालय में प्राचार्य प्रतिनियुक्ति पर थे, वर्ष 2002 में प्राचार्य की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर वरिष्ठतम शिक्षक को प्राचार्य का पदभार प्रदान किया गया, वर्ष 2001 में श्री उदय शंकर एवं श्री बलराम शर्मा, प्रवक्ताओं द्वारा छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायत शासन के संज्ञान में आने पर इन दोनों शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई।

कुलसचिव द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध शासन स्तर से जांच की गई थी, जांच के उपरान्त कुलसचिव को चेतावनी दी जा चुकी है तथा प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन की कार्यवाही की जा चुकी है। रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार यथाशीघ्र प्रवक्ता, प्राचार्य एवं अध्यापकों के पदों पर मानकों के आधार पर नियुक्तियां की जायेंगी। शैक्षिक हित में संस्था के रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर निश्चित मानदेय पर 14 अंशकालिक शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। यहां के प्राचार्य के पद के सम्बन्ध में मैंने स्वयं आई0आई0टी0 के डाइरेक्टर को व्यक्तिगत तौर पर कहा। लेकिन उस विद्यालय में जाने को कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं है। विज्ञापनों के माध्यम से और मानकों के अनुसार वहां पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, जहां तक 2 करोड़ रुपये के अधिकार दिये जाने की बात है, तो यह अधिकार किसी को नहीं दिया गया है, इन सबके के लिए समिति होती है और वही खरीद करती है और वहां पर भी जो अति आवश्यक उपकरण थे, जिनकी विद्यालय को तत्काल

आवश्यकता थी, वह खरीदे गये हैं। जहां तक कुल सचिव के विरुद्ध जांच का सवाल है तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा बिड़ला इन्स्टीट्यूट, नैनीताल को जांच का कार्य सौंपा गया था, कुल सचिव ने एक टी0ए0 बिल बनाया था, उसका भुगतान नहीं हुआ है, एवं उन्हें चेतावनी दी जा चुकी है। यह चिन्ता हमारी भी है कि कॉलेज में प्रधानाचार्य नहीं हैं, यहां भी और पौड़ी में भी, शीघ्र ही इनकी नियुक्ति करने का हम प्रयास करेंगे। रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं मैंने गत वर्ष ए0आई0सी0टी0 को एक पत्र इसी सम्बन्ध में लिखा था। इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम शायद सफल भी होंगे। जहां तक अनियमितताओं और आरोपों की बात है वे सब सत्य से परे हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय त्रिपाठी जी, और विद्यालय के बारे में उनकी चिन्ता स्वाभाविक है। मान्यवर, मात्र राजनीतिक कारणों से वहां पर ऐसा करना मैं नहीं समझता कि उचित है, अभी कुछ दिन पहले वहां पर दो टीचरों को पीट दिया गया, वहां पर कुछ लोगों द्वारा दादागिरी की जा रही थी, ऐसे में, मैं समझता हूँ कि ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पालिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। विद्यालय को विद्यालय के अनुरूप मानकों के आधार पर ही चलना चाहिए जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो मेरे जैसे आदमी के इस पद पर रहते हुए ऐसी घटना हो तो दोषी कोई भी हो, मैं उसे नहीं बख्शूगा।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, आप इसकी जांच ....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय त्रिपाठी जी, मैं आपको सुन चुका हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया है।

(व्यवधान)

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं चुनौती देकर कहता हूँ कि इस प्रकरण की जांच विजिलेंस से करवा लें, यदि मैं या मेरा दल इसमें कहीं से भी सामने आता है तो मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही दल का मैंने उल्लेख ही नहीं किया।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य ने कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज के सम्बन्ध में, वहां हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराया था। मान्यवर, दोनों बातें हुईं। माननीय मंत्री जी ने पहले तो यह कहा कि आप वहां पर प्रिंसिपल नियुक्त करना चाहते हैं लेकिन वहां पर जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, आपके व्यक्तिगत प्रयासों के बाद भी यही स्थिति है। ये बातें यह इंगित करती हैं कि वहां पर अनियमितताएं हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां पर दादागिरी हो रही है और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कॉलेज प्रशासन कार्य नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार दो आरोप लगे हैं। हमारे माननीय सदस्य ने कहा और माननीय मंत्री जी खुद भी इसे स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर अनियमितता है और राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है। इसके जवाब में माननीय सदस्य ने मांग की कि इसकी विजिलेंस जांच करा ली जाय यदि इसमें कोई सच्चाई होगी तो वह अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे देंगे। यह बहुत ही गंभीर बात है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसकी विजिलेंस जांच करायेंगे ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यदि आप यह जानकारी दे दें कि वहां पर यह अनियमितता हो रही है, तो मैं जांच के आदेश दे दूँगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई जांच करायेंगे ही नहीं इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसकी विजिलेंस जांच के आदेश दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं, अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही 3:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, प्रतिवेदन अभी तक मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, प्रतिवेदन बनने में काफी देर लगी इसको बनने में रात के लगभग 12:00 बज गये थे। इसलिए आपको उपलब्ध नहीं हो पाया। मैं इसकी एक प्रति अभी आपको उपलब्ध करा रही हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, पर विचार किया जाए।

मान्यवर, उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति की ओर से मैं प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूँ। उपरोक्त विधेयक पर चर्चा करने हेतु दिनांक 24–12–03 को समिति की पहले बैठक हुई। माननीय सदस्यों की राय पर पुनः समिति ने 28 दिसम्बर, 03 तथा 29 दिसम्बर, 03 को बैठक आयोजित की और इस विधेयक पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। इस पर चर्चा एवं विचार–विमर्श हेतु राजस्व विभाग के प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रमुख सचिव राजस्व एवं विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण राय ली गई। मैं समिति के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करती हूँ तथा प्रशासनिक अधिकारियों और विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना पूरा समय इस समिति को दिया। मैं माननीय श्री नव प्रभात जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने वैधानिक दृष्टि से भी और इसके सभी पहलुओं पर कानूनी दृष्टि से तथा उसके इतर भी राय देने में बहुत सहायता दी और भरपूर सहयोग दिया। मैं सम्मानित श्री नारायण राम आर्य जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इसमें हमें सहयोग दिया। मैं माननीय श्री प्रकाश पंत जी और श्री मदन कौशिक जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बिल में आने वाले उन बिन्दुओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जिनमें बाद

में कानूनी रूप से उंगलियाँ उठ सकती थी और उन्होंने इसे सरल बनाने में वैधानिक दृष्टि से भी हमें सहयोग दिया। मैं माननीय श्री हरिदास जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपने दल के उन भावनाओं को प्रकट किया जिसके कारण वे इसमें संशोधन चाहते थे उन्होंने बिन्दुवार चर्चा भी की। हमें माननीय श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी का भरपूर सहयोग मिला। मान्यवर, प्रवर समिति ने इसके प्रत्येक खण्ड पर और प्रत्येक बिन्दु पर विचार किया।

मान्यवर, एक-एक खण्ड और अंश को वहां पढ़कर सुनाया गया। इसमें जो संशोधन हुए वे सर्वसम्मति से हुए हैं। समिति में इस पर गहनता से विचार-विमर्श होने के बाद ही संशोधन हुए हैं। इसके एक-एक पहलू का गम्भीरता से अध्ययन किया गया। माननीय सदस्यों के जो सुझाव विधेयक के सरलीकरण की दृष्टि से आये उनका सम्मान हुआ। भविष्य में व्यवहारिक दृष्टि से कोई अड़चन न आये इस पर भी गहनता से विचार-विमर्श हुआ। मान्यवर, अध्यादेश जो लाया गया है उसके पीछे सभी दलों की मानसिकता एक ही थी, जो समय-समय पर उनके घोषणा-पत्रों और विचारों में भी परिलक्षित होता रहा। सीमान्त प्रदेश होने के कारण और अलग राज्य बनने का लाभ यहां की जनता को प्राप्त हो, उस दृष्टि से अनियंत्रित भूमि की खरीद-फरोक्त पर अंकुश लग सके तथा कृषि की भूमि को बचाया जाय। मान्यवर, ये सब उद्देश्य सबके मन में थे।

मान्यवर, कोई भी विधेयक जनहित में सदन में आये और जनहित में ही लागू हो, जैसा कि उसमें अपेक्षा की थी। मान्यवर, निर्वाचन के दौरान घोषणा-पत्रों द्वारा सभी ने अलग-अलग दृष्टि से कभी धारा-370 तथा धारा-371 को लागू करने तथा कभी इससे भी अधिक सख्त कानून बनाने की बातें की। सभी माननीय सदस्यों ने संसदीय मर्यादाओं के साथ अपनी-अपनी आवाज उठायी है। मान्यवर, शायद पहली बार माननीय काशी सिंह ऐरी ने तेज आवाज में इस विधेयक को और कठोर बनाने की बात कही। श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने प्रवर समिति में अपनी बातों को रखा। समिति में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी बिन्दुओं पर चर्चा हुई। मान्यवर, मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता तक इस विधेयक को पहुंचाने की कोशिश की, फिर भी कुछ बिन्दुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। मान्यवर, 1946-50 में जो जमींदारी एक्ट तत्कालीन सरकार के समय में आया था, उस समय से इसमें संशोधन हुए हैं। मान्यवर, विश्वविद्यालय संशोधन हमने स्वयं सदन के सदस्य होते हुए देखा, पंचायत नगर विकास आदि संशोधन देखें। मान्यवर, भू-अध्यादेश में जनहित में कुछ और जोड़ा जाना रह गया, तो वह जोड़ा जायेगा, इसे अंतिम न माना जाय।

मान्यवर, यह सरकार माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में किसी भी संशोधन को लाने में हिचकिचायेगी नहीं। मान्यवर, जब तक यह भू–अध्यादेश प्रत्येक वर्ग के चाहे वह तराई का हो, चाहे पहाड़ का हो, चाहे भूमि हीन हो उन सब के हितों की रक्षा नहीं करेगी तब तक हम इस भू–अध्यादेश को सरकार की उपलब्धि के रूप में नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार भू–अध्यादेश आ गया तो इसमें कभी कोई संशोधन नहीं हो सकता है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यदि व्यवहारिक रूप से कहीं कोई कठिनाई पाई जायेगी, कहीं कोई चूक हुई होगी तो उस चूक को सुधारने के लिए सरकार तैयार है। मान्यवर, इसकी मंशा जनहित में लाना था। मान्यवर, भू–माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए इसे लाये। मान्यवर, हम तो चारों दिशाओं में बार्डर से घिरे हैं, इसी भाव से इसे लाया गया, इसके पीछे कोई दुराग्रह का भाव नहीं है।

मान्यवर, आपको यह विदित है कि जब यह बिल प्रस्तुत किया तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद छावनी परिषद क्षेत्र में अधिनियम लागू नहीं हैं। मान्यवर, नगर विकास विभाग कोलोनाइजर्स को नियमित करने का प्राविधान है, उन्होंने इस पर कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया। मैं कल माननीय नेता प्रतिपक्ष के यहां भोज पर गई तो मैंने वहां देखा कि कच्ची सड़क है, यह जिसने कॉलोनी बनाई उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वहां बिजली, पानी, सड़क बने, तो हमारा यह दायित्व है कि किसी कार्य के निर्वहन में कोई कोताही नहीं की जाये। मान्यवर, हम बिल में लाये थे कि कोई मुख्तारनामा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा जो धारा 171, 172, 174 तथा 175 के अन्तर्गत आते हैं। मान्यवर, ऐसे खातेदार या सम्पत्ति के स्वामी के परिवार का कोई सदस्य जिसका आशय पति, पत्नी तथा उनकी संतान, सौतेली तथा दत्तक संतान सहित, माता–पिता, दादा–दादी, भाई और अविवाहित, विधवा, पृथक्ता तथा तलाकशुदा बहन, से है कि पक्ष में अपनी भूमि विक्रय कर सकेगा। मान्यवर, मुख्तारनामे पर इस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विधेयक में व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, विधेयक में आया कि 12–09–2003 से पूर्व के मुख्तारनामे के विरूद्ध विलेख का पंजीकरण 31–03–2004 तक ही किया जा सकता था, परन्तु अब प्रवर समिति के माध्यम से यह संस्तुति की गयी है कि कलेक्टर द्वारा सकारण अभिलिखित करने पर इस अवधि को कलेक्टर द्वारा 31 मार्च, 2004 के बाद भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जिसके परिवार के लोग मान लीजिए विदेश में रहते हैं और वे किसी कारणवश नहीं आ पाए तो यदि कलेक्टर उचित समझता है तो वह इसे ऐसा न करे कि रद्द कर दे और उसको उसका हक ही न मिले तो प्रवर समिति ने इस सुविधा को और बढ़ा दिया गया है। मान्यवर, जो व्यक्ति जमीन खरीद फरोख्त कर सकते हैं उनकी स्थिति भी स्पष्ट कर दी गई है, क्योंकि इसको लेकर ही बवण्डर मचा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो संक्रमणीय

या असंक्रमणीय भूमि या पट्टेदार हो वह उत्तरांचल में भूमि खरीदने का हकदार है, इसलिए किसी भी खातेदार को कोई चोट नहीं पहुँचाई गई है, बल्कि वह भूमि को खरीदने व बेचने के लिए स्वतन्त्र है। इसी के साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 500 वर्गमीटर भूमि खरीद सकता है, यह विधेयक में लाए थे, परन्तु श्री मदन कौशिक जी ने सुझाव दिया कि यदि किसी के पास इतने पैसे न हों तो वह एक बार में कैसे 500 वर्गमीटर भूमि खरीद सकता है। तो मान्यवर, प्रवर समिति ने इसे भी मान लिया और प्रवर समिति ने निर्णय लिया कि वह अपने जीवनकाल में 500 वर्गमीटर जमीन खरीद सकता है। मान्यवर, बिन्दुवार जो विचार प्रवर समिति में व्यक्त किए गए, उसे उसी रूप में माना गया। तो मान्यवर, जो 500 वर्गमीटर भूमि को एक बार में खरीदने की बात थी उसे अब संशोधित करके एक बार के स्थान पर जीवनकाल कर दिया गया है।

मान्यवर, प्रवर समिति में यह प्रकरण भी आया कि ऐसा कोई सकारण अभिलिखित विलेख आपके पास आए तो क्या यह 31 मार्च, 2003 की जो तिथि है वह ब्लैक लाइन है तो प्रवर समिति में इस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया गया कि यदि वह कोई सकारण विलेख प्रस्तुत करता है तो जिलाधिकारी द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। मान्यवर, इसी प्रकार जो कम्पनी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन बनाई गई हो वह भी इस नियम की परिधि के बाहर रहेगी तथा वे अपनी भूमि का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

मान्यवर, पहले इसमें यह व्यवस्था थी कि निजी कम्पनियों, जिन्हें सरकार द्वारा भूमि अर्जित कर दी गयी थी, को भूमि क्रय करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं थी लेकिन प्रवर समिति जो सुझाव लायी है वह अब ऐसी कम्पनियों को यह सुविधा समाप्त कर दी गयी है। अगर किसी की जमीन अधिग्रहीत कर ली गई है और वह खातेदार भी नहीं रह गया, ऐसे लोग जिनकी भूमि जो दूसरे के नाम चढ़ गई हो वह भी अन्य जगह जमीन ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो खातेदार न हो, राज्य आवास विकास परिषद, अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी अन्य सांविधिक निगम से मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि खरीदता है या खरीदना चाहता है अथवा बना बनाया मकान या दुकान खरीदता है, कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदना चाहता है जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा अनुमोदित कर दिया गया है, तो उसे मकान और भूमि खरीदने की सुविधा दी जाय। ऐसी सुविधा इस विधेयक में दी गई है।

कोई व्यक्ति उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के अनुसार भूमि क्रय करना चाहता है तो वह भूमि खरीदने के लिए स्वतंत्र है। मान्यवर, ये संशोधन जिस रूप में आये, बिल में जो संशोधन आये वह और सरल बनाने के लिए आये हैं। सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि भूमि अनियंत्रित खरीद फरोख्त जो लगातार हो रही थी इस भू-अध्यादेश

की मनक से बढ़ी, उसे इस भू–अध्यादेश से रोका जायेगा। और किसानों के हितों की रक्षा की जायेगी। मुख्त्यारनामे के आधार पर जो भूमि खरीद करके राज्य की रेवेन्यू को धोखा देता था उनको रोकने का यह उद्देश्य है। जो लोग जमीन सस्ती खरीद कर इकट्ठा कर लेते थे और फिर एक वातावरण बनाकर बहुत बढ़े दामों पर बेचते थे उन्हें भी रोकने का एक उद्देश्य था और जो कृषि भूमि की बलि चढ़ा रहे थे उन्हें रोकना था। मान्यवर, गरीब कृषक को अगर धन की जरूरत है तो वह कृषक इन बिचौलियों को अपनी जमीन बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। मान्यवर, जो इस प्रकार के अनियंत्रित व्यापार से जुड़े लोग थे उन्होंने इस भू–अध्यादेश को रोकने के लिए काफी दबाव भी बनाया, लेकिन सरकार को निर्णय लेना था। मान्यवर, जो आधुनिकवाद का चोला पहने हुए हैं वह भी इसमें शामिल हैं। हमारे पास उनको रोकने का कोई आधार नहीं था। अब इससे हम उन्हें रोक सकते हैं।

मान्यवर, इसलिए इसको राष्ट्रहित में लाना आवश्यक था। विभिन्न राजनीतिक दल व्यक्तिगत रूप से हमको और सार्वजनिक रूप से बातचीत में पड़ोस के राज्य हिमाचल की बात कहते हैं कि उत्तरांचल को बने दो साल हो गए लेकिन अभी तक उत्तरांचल ने जिस प्रकार से हिमाचल में भू–कानून बना है उसको नहीं बना पाया। मान्यवर, हमारे लोगों ने हिमाचल के कानून का अध्ययन किया। उत्तरांचल और हिमाचल में प्रमुख रूप से उनकी सीमाओं में पर्याप्त अन्तर है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जनहित में लचीला रुख अपनाते हुए उन लोगों को जो हमारे तराई के इलाके में बसे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान आकृष्ट किया कि तराई के इलाकों में बसाए गए, उनके हितों की रक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया।

मान्यवर, सरकार की मंशा और मंतव्य दोनों किसानों के हितों की रक्षा करना, पैसे वाले लोगों से जो उनकी जमीन खरीदते थे, और उनको बेघर कर देते हैं उन पर लगाम कसने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, यही हमारा उद्देश्य है। जहां शंका और आशंका का प्रश्न है तो राजनैतिक दलों की अपनी प्रतिबद्धता अलग–अलग होती है, उसके आधार पर आपके मन में कोई भाव है लेकिन व्यवहारिक कठिनाई जहां भी पायी गयी तो वह जनहित में पाई गयी। इसमें ऐसे लोग जिन्होंने कोई जमीन परमीशन से खरीदी लेकिन भूधारी राइट नहीं है अब वे उस पर कब्जा या कार्य नहीं कर सकते बिना परमीशन के इसलिए यह संशोधन मान लिया गया है जो जमीन खरीदेगा उन्हें उसी प्रयोजन हेतु भूधारी राइट मिलेगा परन्तु जब दूसरा खरीदेगा तो उन्हें परमीशन लेनी पड़ेगी। जिस प्रयोजन के लिए खरीदेगा उसी प्रयोजन के लिए उन्हें बेचना होगा। ऐसे लोगों को विशेष श्रेणी का भूमिधर घोषित कर दिया है। मान्यवर, मैं समझती हूँ कि प्रवर समिति के जो भी भाव हैं उसे सरकार ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, प्रवर समिति ने जो भी अपने सुझाव दिये हैं, सरकार ने पूरा प्रयास किया और महसूस होता है कि वैसा ही लाया गया है लेकिन इसमें एक दो चीजें क्योंकि इस विधेयक को पास होने में कुछ ही क्षण बाकी है, आपके संज्ञान में लाना आवश्यक होगा। मान्यवर, सबसे पहले यह बात है कि सरकार ने इसको मान लिया कि विधेयक का जो दस्तावेज लाया गया था उसमें कमियाँ थीं। इसलिए इस पर हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। विधेयक के आने के बाद यह बात आयी कि भूमि का सम्बन्ध सीधे किसानों से है कहीं किसानों को उच्च अधिकारियों छोटे अधिकारियों को सुपुर्द नहीं कर दिया गया। कहीं ऐसी प्रक्रिया अपनायी गयी जिससे किसान परेशान हो जाए।

मान्यवर, इस विधेयक के उपबन्ध–5 के (क) एवं (ग) में लिखा है कि "(क) निबंधक अथवा उप निबन्धक के समक्ष जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त किये गये हों, ऐसी भूमि के अन्तरण से सम्बन्धित कोई विलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में यह आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अन्तरण से धारा–154(3) अथवा 154(4) (3) का उल्लंघन होता है, अथवा (ग) (1) राज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर या स्वयं, किसी कार्यवाही या वाद के अभिलेख, उसकी या उस पर पारित आदेश की वैधता अथवा औचित्य पर अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकती है और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे। (2) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश, जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाय।" तो मान्यवर, इससे यह महसूस होता है कि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी प्रयोजन के लिए जमीन ली और दो साल बाद कोई शिकायत कर दे तो जिलाधिकारी तो उसका सारा खेल बिगाड़ देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। और जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त करने की भी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, जिसके अंदर प्राप्त शिकायतों का निराकरण हो सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मान्यवर, किसान तो जिलाधिकारी का बंधक बन कर रह जायेगा। इसमें समय सीमा का प्रयोजन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। मान्यवर, मैं यह सुझाव दूँगा कि इस विधेयक को लागू करने से पहले सरकार इसमें समय सीमा अवश्य निर्धारित कर दे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने एक बात रखी कि सर्वसम्मति से यहाँ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन आया है। मैं इस बात से नाइत्तफाक करता हूँ क्योंकि जो प्रतिवेदन आया है वह सर्वसम्मति से नहीं आ पाया है, बल्कि नियम–259 के अन्दर विमति की टिप्पणी इसमें दर्ज कराई गई है। प्रवर समिति के सदस्य माननीय श्री प्रकाश पंत जी एवं श्री नदन कौशिक जी, दोनों का कागज मेरे पास है, जिसमें उन्होंने विमति की टिप्पणी दर्ज कराई है। विमति की टिप्पणी में उन्होंने 4 मुख्य बिन्दु इसके दिये हैं, पहला है, उक्त संदर्भित विधेयक वैधानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। उत्तरांचल राज्य में भूमि व्यवस्था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 1952 तथा उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1901 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुर्नगठन विधेयक, 2000 के उपबन्धों के आधार पर प्रचलित है। विधेयक के कारण त्रुटिपूर्ण भू–व्यवस्था लागू होने की व्यापक संभावना है। "दूसरा यह था कि विधेयक में उत्तरांचल की विविध भौगोलिक परिस्थितियों पर व्यापक विचार नहीं किया गया है" तीसरा यह है कि "विधेयक निर्माण में जन सहभागिता के स्थान पर केवल सत्ता प्रतिष्ठान का ही हस्तक्षेप प्रदर्शित हो रहा है।" तथा चौथा "विधेयक हेतु सम्मानित सदन की प्रवर समिति का कार्यकाल अत्यन्त न्यून मात्र 6 दिन का रखा गया है। जिसमें प्रस्तावित विधेयक के समस्त पहलुओं पर व्यापक अध्ययन कर पाना संभव नहीं हो सकता है"

मान्यवर, विमति की टिप्पणी आई हुई है, यह कार्यवाही में भी दर्ज हुआ होगा, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सर्वसम्मति हुई है, ऐसा नहीं हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इसमें खण्डवार संशोधन किया गया है और खण्डवार आम सहमति से हुआ है, नीतिगत हुआ है। खण्डवार कोई विवाद नहीं हुआ है। खण्डवार सहमति है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस बात को इसलिए रखा गया, मैं कहना चाहता हूँ कि आज यह स्थिति आखिर आई ही क्यों ? हमने तो पहले से ही कहा था कि इसमें संशोधन आने चाहिए क्योंकि यह एक त्रुटिपूर्ण विधेयक है। दो दिन हाउस नहीं चला हमें बहुत कष्ट हुआ, ऐसा महत्वपूर्ण बिन्दु पर हम चर्चा नहीं कर सके। जब सरकार ने 12 सितम्बर, 2003 को इस अध्यादेश को रखा और इस पर आज यह विधेयक लाया गया इसमें त्रुटियां थी, कमियां थी फिर इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया, और इससे यह पूर्णतः साबित हो गया कि इस विधेयक में कमियां हैं। आज भी इसमें काफी त्रुटियां हैं, कई ऐसी बातें हैं जिनका खुलासा अभी नहीं हुआ है। मान्यवर, यह जो 12 सितम्बर को अध्यादेश लाया

गया। मान्यवर, इसे लाने की आवश्यकता ही नहीं थी प्रशासनिक आदेश जारी किये जा सकते थे कि वहाँ–वहाँ के लोगों को नहीं लेना है या कैसे परचेज करना है या फलाने की सम्पत्ति के बारे में आज से यह आदेश है, ऐसा भी हो सकता था, आप लिमिट लगा सकते थे। स्थिति को बिगाड़कर ऐसा बना दिया गया कि कभी यह शो किया गया कि हम जो लोग पहाड़ विरोधी हैं, कभी ऐसा शो किया गया कि हम मैदान विरोधी हैं। इस विधेयक के कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक सर्वमान्य व्यक्ति हैं जिनका हम सभी आदर करते हैं उन्हें रोना पड़ा, उनके आंसू गिर गये, उनकी अन्तर्वेदना को हम समझते हैं। क्यों हरिद्वार को अलग करो, ऊधमसिंह नगर को अलग करो, के नारे आये, इस सबके पीछे यही विधेयक था, यदि यह विधेयक ही नहीं आता तो आज यह स्थितियां सामने नहीं आती। अगर विधेयक लाना ही था तो जगह–जगह जाकर लोगों से पूछा जाता, उनकी ओपिनियन लिया जाता, विपक्ष के लोगों को भी साथ में लेकर यह कार्य किया जाता तो एक सर्वमान्य विधि सामने निकलती।

मान्यवर, आज उत्तरांचल राज्य बना है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर विधेयक आ रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष द्वारा "हाँ" कह कर और हमारे द्वारा "ना" कह कर ये विधेयक पास हो रहे हैं। मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि नये राज्य की अपनी विधि होनी चाहिए। अगर यह विधेयक मौलिक रूप से आता तो उचित होता। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली 1952 तथा उत्तर प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम 1901 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 के उपबन्धों के आधार पर प्रचलित है। मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने में भी भूमि व्यवस्था होती थी। आदि काल में ऑक्यूपेशन थ्योरी के आधार पर जिस जमीन का कोई स्वामी नहीं होता था, उस पर जो व्यक्ति सबसे पहले कब्जा कर लेता था, वहीं उस जमींन का स्वामी हो जाता था। इस प्रकार से भूमि पर कब्जे होते रहे। मुस्लिम काल में अकबर के जमाने में टोडरमल का भूमि बन्दोबस्त लागू हुआ इसी प्रकार औरंगजेब के जमाने में भी इसके लिए व्यवस्था की गयी। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट, नार्थ वैस्टर्न प्राविन्स एक्ट, बनारस का स्थायी बन्दोबस्त, 1959 में रैन्ट रिकवरी एक्ट, आगरा टीनेन्सी एक्ट, यू0पी0 काश्तकारी अधिनियम, 1939 एवं स्वतंत्रता के बाद उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 पारित हुआ। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल के लिए कुमाऊँ उत्तराखण्ड जमींदारी एबोलेशन एक्ट (कूजा एक्ट) एवं जौनसार बाबर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 बनाया गया। ये दोनों एक्ट यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर बनाए गए।

मान्यवर, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। कूजा एक्ट में नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिले आए। इन जिलों में इसे लागू किया गया, बाकी जिले बाद में बने। तब 3 ही जिले उत्तराखण्ड में थे जौनसार बाबर के लिए अलग एक्ट बना। आज

हमारे यहाँ पर कई प्रकार की भूमि व्यवस्थाएं हैं। पर्वतीय क्षेत्र भाबर क्षेत्र तथा 3 तराई क्षेत्र के इनके लिए अलग–अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मान्यवर, यह राज्य हमें इसलिए मिला है कि हम लोग यहाँ के लोगों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान कर सकें। लोगों को परेशानियों और शंकाओं को दूर कर सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक कम्पलीट एक्ट लाकर सब जगह के निवासियों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हम एक पूर्ण एक्ट क्यों नहीं ला रहे हैं? मान्यवर, इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं थी। 154–ख जो अध्यादेश में पहले था, वह बहुत कठोर था। जिसमें लिखा गया था कि "अकृषक व्यक्ति को भूमि के हस्तान्तरण का प्रतिबन्ध था जिसके अनुसार कोई संविदा कोई इकरारनामा, परम्परा में कोई प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भूमि (दीवानी न्यायालय) की डिग्री अथवा भू–राजस्व के रूप में वसूली के लिए (हस्तांतरण सहित) विक्रय, उपहार, वसीयत, पट्टे, कब्जे सहित बंधक अथवा अभिधृति अथवा अन्य प्रकार से अकृषक व्यक्ति को भूमि का हस्तांतरण अवैध था इस अध्यादेश का विरोध हमने इसलिए किया कि पहाड़ व मैदान दोनों के लिए घातक था, मान्यवर, क्या पट्टा एक ही जगह होता है। यह तो पहाड़ में भी होता है और प्लेन्स में भी होता है। वसीयतनामा हर जगह होता है। मान्यवर, भूमिहीन मजदूरों के लिए अनूसूचित जाति, जनजाति के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, भूमिहीन ग्रामीण, शिल्पकार तथा अकृषक व्यक्ति कभी भी उत्तरांचल में भूमि का मालिक नहीं बन सकता है। वह जीवन भर मजदूरी करता रहेगा लेकिन वह बुढ़ापे तक भी किसी भूमि का मालिक नहीं बन पायेगा। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विधेयक में धारा–171, 172, 173, 174, 175 जिनके बारे में कहा गया है कि इसमें जेड0ए0 एक्ट का प्रोवीजन है। जेड0ए0एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत मुख्तार नामित होने की बात कही गयी है। परन्तु धारा–143 के अन्तर्गत कोई भूमि अकृषित घोषित हो जाती है तो उस पर जमींदारी विनाश अधिनियम लागू नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भी मुख्त्यार नियुक्त करने पर कोई आपत्ति है इसके बारे में एक्ट कोई क्लीयर प्राविधान नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे है।

मान्यवर, इसी प्रकार नगरपालिका, नगर परिषद्, महानगर निगमों के अन्तर्गत भी जमींदारी विनाश अधिनियम लागू नहीं होता हैं, वहाँ भी क्या मुख्त्यार नामित करने पर कोई प्रतिबन्ध है ? माननीय मंत्री जी को इनका जिक्र भी जब वे अपना उत्तर भाषण दें तो करना चाहिए। मेरे संज्ञान में एक बात और आई है कि सरकार उत्तरांचल विकास प्राधिकरण बनाने की सोच रही है। जब विकास प्राधिकरण बन जायेगा तो फिर इस एक्ट का क्या महत्व रहेगा ?

मान्यवर, धारा–157 दलित वर्ग के लिए है। यहाँ पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि 50 नाली से अधिक भूमि किस दलित के पास है। मान्यवर, यदि किसी कमजोर दलित वर्ग के पास 5 नाली भूमि है और वह किसी कारण इसको किसी दलित को बेचना चाहता

है तो इसका प्राविधान इसमें नहीं है। मान्यवर, पहाड़ में सबसे ज्यादा दुरूपयोग धारा–143 का होता है, इसके अनुसार जब अकृषक भूमि के बाद जब जे0ए0 के प्रविधान लागू नहीं होगें तो भूमि–माफिया यहाँ आ जायेंगे। मान्यवर, इसमें यह प्राविधान होना चाहिए कि जो बाहर (उत्तरांचल से बाहर) का आदमी यहाँ आना चाहता है तो उसे सरकार की परमीशन लेना अनिवार्य करे तथा जो यहाँ के निवासी है, उनको डिप्टी कलेक्टर की परमीशन से ही अकृषक भूमि घोषित करानी चाहिए, मान्यवर, इसमें एक नहीं अनेक त्रुटियां है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठिये।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस पर मुझे और बोलने का मौका देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

समय कम है, अभी इस पर बहुत माननीय सदस्यों को बोलना है।

*श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा। सुझाव के रूप में मैं सिर्फ 2–3 बातों को कहना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए निजी भूमि तक नहीं है। मान्यवर, विशेषकर ऊधमसिंह नगर में जो बंगाली, बिहारी तथा ईस्ट यू0पी0 के लोग जो 30–40 सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये लोग मतदान कर रहे हैं, इसके पास राशन कार्ड हैं, उनके पास आवास की भूमि तो है, लेकिन उनके पास इसकी रजिस्ट्री नहीं है। पूर्व सरकार भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम बनाया था जो 15 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनको स्थाई निवास प्रमाण पत्र दिया जाए लेकिन आज तक इनके पास स्थाई प्रमाण–पत्र नहीं है, इनके बच्चों को नौकरी मिलनी मुश्किल हो गयी है। मान्यवर, इनके बारे में भी सोचा जाय इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मान्यवर, इसके लिए मैं संसदीय कार्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने विपक्ष की भावनाओं को सुनने के लिए प्रवर समिति बनाई, हालांकि मेरा दल प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पक्ष मे नहीं था, फिर भी प्रवर समिति में रखा और बात सुनी और फिर विधेयक सदन में लाई। मान्यवर, इस पर और भी बिन्दुवार चर्चा हो सकती है, यह अलग बात है। मान्यवर, हम तो आरम्भ से ही कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद-371 के तहत विशेष व्यवस्था लागू की जाये। मान्यवर, आप को याद होगा कि कुछ साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की अर्थ व्यवस्था बर्बादी के कगार पर आ गई थी, विकासशील देश के अन्तर्गत हम भी आते हैं, तो यह चर्चा हुई कि क्या भारत सरकार की अर्थ व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी ? तो बड़े-बड़े विद्वानों ने कहा कि भारत की अर्थ व्यवस्था कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था है और कृषि आधारित व्यवस्था स्थायित्व होती है, इसलिए ऐसा संकट नहीं आयेगा, यह उनकी राय थी।

मान्यवर, यह चिन्ता हम लोगों के यहाँ भी है, अगर भूमि होगी तो कृषि कहाँ रहेगी। मेरे ख्याल से सरकार को भी इसकी चिन्ता है। मान्यवर, इसमें भावानात्मक पक्ष भी है, जमीन से हर व्यक्ति का लगाव होता है, जिसके पास होती है वह खोना नहीं चाहता है और जिसके पास नहीं होती है वह पाना चाहता है, लेकिन अगर भूमि का व्यापार करने लगे और गरीबों की गरीबी का फायदा उठाये या दूसरा वातावरण बनाकर उस भूमि का व्यापार करें तो मैं इसको अपराध मानता हूँ। मान्यवर, इसलिए हमने माँग की कि इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। मान्यवर, हमने कभी यह नहीं कहा कि किसी को विक्रय या क्रय करने की इजाजत न हो। मान्यवर, कल को यह स्थिति भी आ सकती है कि किसी के पास भूमि न हो।

मान्यवर, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सरकार कभी डरी, कभी दबाव में आयी तो कभी अपने किये फैसले पर ही सरकार को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अंततोगत्वा आज तक सरकार को तथा जनमत को प्रभावित करने के लिए कई हथकण्डे अपनाएं जाते रहें। मान्यवर, हमने प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर लाखों रुपयों के विज्ञापन देखे जो भूमि बचाओ संघर्ष के नाम से थे, कृषक के नाम से थे तो मैं नहीं समझता कि ऐसे कौन से कृषक हो सकते हैं जो इतना पैसा एडवरटाइजमेन्ट पर खर्च कर सकते थे। हालांकि 371 की हमारी भावना जो थी उस पर कार्य नहीं हुआ, हिमाचल के आधार पर भी यह विधेयक नहीं था, लेकिन जो शुरूआत की गयी थी उस पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए इतने बड़े हथकण्डे अपनाएं गए। इसलिए मेरा कहना है कि इसे विधेयक के रूप में पारित होना चाहिए, हमने इसलिए कहा क्योंकि अभी एक सुझाव फिर आया कि एक समग्र रूप से एक नया बिल उत्तराखण्ड के लिए लाया जाए, मैं इसका समर्थन करता हूँ लेकिन जो हालात पैदा हो चुके हैं 6 दिसम्बर को कैबिनेट बैठक हुयी, उसको लाने का फैसला किया गया और दूसरे दिन समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ और इस पर राज्यपाल महोदय के दस्तखत भी नहीं हुए थे और उसके बाद ही कितने ज्यादा स्टाम्प की बिक्री हुई। मैंने सुझाव भी दिया प्रवर समिति में स्वीकार हुआ, यह स्वागत योग्य है।

मान्यवर, अभी आप नियमावली बनायेंगे मेरा आग्रह है कि नियमावली में इसे देखें उसकी समीक्षा होनी चाहिए यदि सारी जमीन लोग जल्दबाजी में समेट लें तो क्या इसका खतरा नहीं बना रहेगा ? जमीनों की बिक्री दिन दूनी और रात चौगुनी दर से बढ़ती रहे और जब हमारे पास जमीन ही नही रहेगी तो इसका क्या फायदा। मान्यवर, आधा–अधूरा ही सही, डरकर ही सही सरकार ने एक कदम तो उठाया। मान्यवर, आज कम जोत वाले के लिए कोई सोचने वाला नहीं। मान्यवर, मेरा कहना यह भी है कि हमने यह भी कहा था कि जो प्रवर समिति में सम्भवतः स्वीकार नहीं हुआ और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि नगर क्षेत्र में अलग विधि बन रही है, नगर क्षेत्र को किस तरह नियंत्रित किया जाएगा उसके लिए नगर विकास मंत्री जी एक अलग से विधि लायेंगे लेकिन मेरा मानना है कि जो अधिनियम लागू हुआ है उसे शहरी क्षेत्र में उसी समय से लागू होना चाहिए था। जो नगर क्षेत्र का विकास हुआ था, जो जमीन की खरीद–फरोख्त की गतिविधियाँ हुई हैं, उनका केन्द्र नगर अथवा नगर से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। मेरा मानना है कि उस पर अंकुश लगना चाहिए ताकि सार्थक परिणाम निकलें। इस पर मेरा समाधान हो गया कि इस पर एक अलग से विधि बनाने की बात कही है। मान्यवर, जो 6 तारीख से 12 तारीख के मुख्तारनामे आदि की समीक्षा की बात कही उस पर भी ध्यान देगें और नियमावली में इस पर विचार करेंगे।

मान्यवर, खण्ड (4)(2)(क) में सरकारी नियमों, कम्पनियों जो सरकारी अधिनियम के तहत गठित हुई हैं, उनको छूट दे रखी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है प्राधिकरण भी उस परिभाषा के तहत आता है। कुछ दिन पहले शिकायत आई कि एम0डी0डी0ए0 देहरादून में जमीन का अधिग्रहण कर रहा है वह ऐसी जगह कर रहा है जो कि अच्छे क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं जहाँ पर कि गन्ना क्षेत्र और जो बासमती के लिए जाना जाता है। वहाँ के किसानों की आपत्ति आयी कि एम0डी0डी0ए0 हमारी जमीन का अधिग्रहण कर रहा है। प्रश्न उठता है कि विकास प्राधिकरण जहाँ चाहेगा वह भूमि का अधिग्रहण कर लेगा क्या दूसरे लोगों की भूमि को छीन लेगा तो मैंने उस दिन जिस दिन यह प्रश्न यहाँ पर उठा था, कहा था प्राधिकरण को लोग भू–माफिया कहने लगेंगे। प्राधिकरण जो भूमि अधिग्रहीत करेगा वह सरकार की परमीशन से करेगा। मान्यवर, इसको सख्त बनाना होगा।

किसी उद्देश्य के लिए भूमि का अर्जन जरूरी है तो उसे सरकार को देखना चाहिए कि वह प्लान क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है और उससे कौन सा जनहित हो रहा है ? प्राधिकरण गरीब किसानों की जमीन लेकर बाहर के बिल्डरों को बेच रही है। मैं खुरपा ताल का उदाहरण देना चाहता हूँ वहाँ पर झील प्राधिकरण द्वारा लोगों की जमीन अधिग्रहीत कर बाहर के बिल्डर को दे दी वह वहाँ पर कालोनी बनाकर फ्लेट लोगों को बेच रहा है। अगर बाहर के व्यवसायियों को भूमि को एक वस्तु बनाकर उनके हाथों में सौंपने के लिए अगर सरकार खरीदती है तो वह लोकप्रिय सरकार का काम नहीं है।

विपक्ष के माननीय सदस्यों ने आशंका जाहिर की है कि सरकार किसी भी क्षेत्र में लोगों, किसी भी जाति भाषा के लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। हम लोगों को पब्लिक हित में राजनीति करनी है जब तक हम जनहित में काम नहीं करेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते हमारी चिन्ता है कि सबका भला हो। सरकार ने अपनी मंशा घोषित की। आज संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि लोगों की भूमि को बचाने के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर हमारी सरकार ने इसे विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को मजबूती से इसे लागू करना होगा। मान्यवर, जैसाकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह अन्तिम लकीर नहीं है यह जो विधेयक लाया गया उसमें अगर कोई कमी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो समय–समय पर उसको परिवर्तन किया जायेगा। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और जैसे माननीय बीना जी ने कहा, वह व्यवहारिक है इसको भी देखा जाए। इससे लोगों को कोई तकलीफ न हो, कोई परेशानी न हो क्योंकि यह विधेयक जनता के लिए लाया गया है इसी के साथ मैं सरकार द्वारा लाए गए विधेयक का समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

अभी काफी सदस्यों को बोलना है इसलिए आप लोग अपनी बात पाँच मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, आज ही प्रवर समिति की रिपोर्ट आयी और आज ही यह विधेयक पास किया जा रहा है। मान्यवर, यह एक ज्वलंत मुद्दा है। इसमें हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। यह राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यह हम सब लोगों का प्रयास है। मान्यवर, मैं महसूस करता हूँ और व्यथित हूँ कि आजादी के बाद पचास वर्षों से जो लोग यहाँ रह रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे है उनको इस विधेयक में नजर अन्दाज किया जा रहा है, यह बहुत बड़ी परेशानी की बात है। हम महसूस करते है कि अनुसूचित जाति/जनजाति को इसमें कोई रिलीव देने की बात नहीं कही गयी है उन्हें भूमि खरीदने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इस बात पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारे मन में 100–100 विचार आते है तो उनमें से 1 या 2 विचार ही कार्यान्वित होता है और बहुत सारी बातों कार्यान्वित नहीं होती है वही बात इस विधेयक में है। मैं महसूस करता हूँ कि इसमें आगे कुछ दिनों के लिए लम्बी बहस हो सभी लोगों का राय मशविरा हो तब इसमें सकारात्मक बात हो सकती है।

जैसाकि हमारी जानकारी में है मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उन्होंने अपने पचास साल के राजनैतिक जीवन में कई बार थारू, बुक्सा, बंगाली, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अपने प्रयासों से कभी-कभी अपनी कलम से उनको लाभ देने के लिए उनको सुरक्षित करने के बहुत सारे प्रयास किये। मैं सोचता हूँ कि अगर यह विधेयक इतना पॉजिटिव होता तो 20 साल पहले ही कारगर होता। हमारे राज्य की विषम परिस्थितियाँ हैं।

मान्यवर, इस विषय पर जो बहस चल रही है, उसमें कई-कई चीजों से हम अन्जान थे, वे तर्क हमारे सामने आये हैं। इस विधेयक में हमने देखा कि जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों से हमें एन0ओ0सी0 लेनी पड़ेगी। अभी माननीय चीमा जी कह रहे थे कि शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि कितने समय में इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। यह संशोधन इस विधेयक में कर दिया जाये तो बहुत ही अच्छा होगा। मान्यवर, अलग-अलग क्षेत्रों के लोग यहाँ पर है, वे भी अपनी बात कहेंगे, लेकिन मान्यवर, मेरी जो सोच है, उसे मैंने आपके सामने रखा है। यहाँ पर एक मिनट के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तरांचल शासन के 2-3 आई0ए0एस0 अधिकारी है जब उनसे मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यदि यह कानून लागू हो गया तो बहुत सारे जो लोग है उन्हें यहाँ आने में असुविधा होगी। मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रदेश खुशहाल हो, यहाँ इंडस्ट्री लगें, यहाँ शान्ति-सम्पन्नता हो। मान्यवर, जो तर्क मैंने दिये हैं उन पर भी यदि आप गौर कर लें तो आपकी कृपा होगी। धन्यवाद।

*श्री प्रदीप टम्टा-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया है। मैं इस विधेयक के पक्ष में बल देता हूँ। यह ऐतिहासिक विधेयक था हमारी सरकार का, मेरी इच्छा तो कुछ और थी। मान्यवर, बहुत से बिन्दु है जिन पर मैं बोलना चाहता था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी चिन्ता से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है। मैं आज देख रहा हूँ और सदन में बहुत सी बातें भी उठी हैं। जो संशोधन विधेयक आया है उसमें लिखा है कि "ए भूमिधर विद ट्रान्सफरेबल राइट में सेल हिज लैण्ड टू एनी ऑफ द कैटगरीज ऑफ टैनुवर होल्डर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तरांचल ऐज मेन्शन्ड इन सेक्शन 129" मान्यवर, इससे साफ हो गया है कि किन वर्गों को हम भूमि बेच सकते हैं। इसमें भूमिधर की 3-4 कैटेगरी भी दी गई है। मान्यवर, जो मूल आर्डिनेन्स आया था तो किस को भूमि बेची जा सकती है और एक्सेप्शन कि किन पर यह लागू नहीं होगा, दिया था। लेकिन संशोधित विधेयक में इसमें कुछ छूट दी गई है। जैसे इंडस्ट्री हेतु लैण्ड लेना चाहते हैं तो ले सकते है। यह इस संशोधन विधेयक में है। मान्यवर, इसमें एक विसंगति दिख रही है, उसके लिए मैं पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन/भूमि को बेचने का अधिकार नहीं हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारी लटी–पटी आज पहाड़ों में है, उसे भी आप बेच देना चाहते हो। यह विधेयक जब कानून बनेगा तो उत्तरांचल की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर फर्क पड़ेगा। ऐसा पीड़ित व्यक्ति जो भूमिहीन हैं, तमाम सरकारें चाहें हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो इन व्यक्तियों को भी जमीन दी जाये। यह उत्तरांचल के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए इस कानून के पेश होने के बाद जमीन खरीदने से वंचित होने जा रहा है। सारे इसमें आर्डिनेन्स में दिया है।

"भूमिहीन कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण शिल्पी कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति एवं अध्यादेश लागू होने की तिथि को उत्तरांचल के किसी होल्डिंग में कार्यरत व्यक्ति को बिना अनुमति के भूमि का क्रय कर सकते है।" और संशोधन के बाद रूपभेद मे यह बात है, विधेयक में कर दिया कि "इसमें भारत के नागरिक को 500 वर्ग मीटर भूमि एक बार खरीदने हेतु अधिकृत किया गया है।" इसे प्रवर समिति द्वारा यह कर दिया कि "बिना अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 500 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है" मान्यवर, अधिकतम 500 मीटर कर दिया, इस व्यक्ति की कौन सुनेगा जिसके लिए पूरा देश चिन्तित है और आज इस विधान सभा में कानून का रूप लेने जा रहा है इसलिए इसका मैं सरकार के इस विधेयक का समर्थन भी करता हूँ अपनी भावनाओं को कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने इनसे अवगत कराया था और आज फिर यहाँ विधान सभा में भी कह रहा हूँ कि यदि यह कानून बना और इतना बड़ा अत्याचार हो गया तो कोई कारण बाकी नहीं रह जायेगा। जय हिन्द, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रीतम सिंह पंवार जी, आप अपनी बात को संक्षेप में रखें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ मान्यवर, उत्तरांचल सरकार उत्तरांचल में सीमित कृषि भूमि की अनियंत्रित क्रय एवं विक्रय को रोकने के लिए और गैर कृषि कार्यों में इसका जो उपयोग किया जाता है उसको रोकने के लिए विधेयक के माध्यम से व अध्यादेश के माध्यम से रोकना चाहती थी। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन जिनके द्वारा चलाया गया था राज्य बनने से पहले इस लड़ाई में जो लोग थे, जो वर्ग था उसके द्वारा पहले ही इस बात को उठाया गया था उत्तराखण्ड की भूमि को बाहरी लोगों से बचाया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दो मिनट का समय दे दें, माननीय सदस्य बाद में बोल लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी इन आर्डिनेन्सों को मंगाया और माननीय प्रदीप टम्टा जी और श्री नारायण पाल जी की बातों से उन्होंने एक निर्णय करना चाहा है जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आप जो संशोधन ला रही हैं, पहले उस पर अनुज्ञा ले लें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह जो विधेयक रखा जा रहा है, इसे अध्यादेश माना जाए या विधेयक?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसमें संशोधन करने का अधिकार सरकार को प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डिनेन्स देख लिया है।

मान्यवर, मैं इस विधेयक में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करने की सदन से अनुज्ञा चाहती हूँ :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 की धारा–154 की उपधारा (4) के खण्ड (2) के प्रस्तर (च) के बाद निम्नांकित प्रस्तर बढ़ा दिये जाएं :

(छ) "उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूर, अथवा

(ज) उत्तरांचल का अनुसूचित अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भूमिहीन व्यक्ति अथवा

(झ) उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी, अथवा

(ट) उत्तरांचल का कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।"

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार स्वयं में अस्थिरता और अनिश्चितता जाहिर कर रही है। आर्डिनेन्स जारी किया, विधेयक लाए, विधेयक में संशोधन किया, प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और अब सरकार एक और संशोधन लाना चाहती है। सरकार स्वयं स्थिर नहीं है। यह अनिश्चितता का वातावरण पैदा कर रही है।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पार्लियामेन्ट्री पद्धति के बारे में जो अध्ययन किया है, उसके आधार पर वह स्वयं स्वीकार करेंगे कई बार स्वयं मुझे भी पार्लियामेन्ट्री

अफेयर मिनिस्टर होने के नाते उत्तर प्रदेश विधान सभा और दिल्ली में भी इस तरह के संशोधन लाने पड़े हैं। जो विधेयक प्रस्तुत होता है। उसमें संशोधन करने का अधिकार सरकार को होता है। उसी अधिकार का प्रयोग हम करना चाहते हैं। भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति, ग्रामीण शिल्पी तथा कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाले भूमिहीन व्यक्ति के बारे में सबने कहा कि इन सबको भी इसमें सम्मिलित होना चाहिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, चाहे पूरे भारतवर्ष का कोई भी व्यक्ति हो ?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमारा कहना है कि इसमें भाषा को ही सही कर लें, भाव से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, हम भाषा को ठीक कर लेंगे।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैंने जो समय सीमा की बात कही है, उसे भी इसमें जोड़ दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, वह नियमावली में आ जायेगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जो विधेयक आप लाना चाह रहे हैं, हम उस पर विरोध नहीं जता रहे हैं। लेकिन आप समय–समय पर इसमें संशोधन लाना चाह रहे हैं। कितना अच्छा होता कि एक बार में अच्छा अधिनियम ले आएं जिससे बार–बार संशोधन न करना पड़े।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल विज्ञ हैं कि भारत के संविधान में अब तक कुल 94 संशोधन हो चुके हैं। जब संविधान में संशोधन हो सकते हैं तो कानून में कोई संशोधन करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। विधान सभा होती ही इसलिए है कि विधान सभा में संशोधन हों। हम यह संशोधन इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारे यहाँ गरीबों, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की संख्या बहुत अधिक है और यह इन सबके हित में है।

श्री प्रीतम सिंह पवार–

मान्यवर, जब हम उत्तरांचल राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तब हम इस बात को कहते थे कि हमारे राज्य की जो सीमित भूमि है वह बाहरी लोगों द्वारा, धनपतियों द्वारा समय–समय पर औने–पौने दामों पर खरीदी जा रही है लेकिन जब हमारा राज्य बनेगा तो अन्य राज्यों की तरह उत्तरांचल में संविधान के अनुच्छेद–371 के अन्तर्गत भूमि के क्रय विक्रय के लिए विशेष प्राविधान करवायें जायेंगे। मान्यवर, कुछ प्राविधान सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से किए। सरकार ने इस पर रोक लगाने की कोशिश की, भू–माफियाओं और भू–व्यवसाइयों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई लेकिन इस कोशिश को सफल न होने देने के लिए सरकार पर भू–माफियाओं का, प्रभावशाली लोगों का तथा धनपतियों का काफी दबाव पड़ा। इस दबाव के कारण सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा। मान्यवर, जो विधेयक आया और उसमें जो संशोधन किये गये उससे साफ झलकता है कि यह सरकार प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर निर्णय ले रही है। इस राज्य के अन्दर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए उनकी बात कहीं पर भी नहीं सुनी जा रही है। चंद लोगों के दबाव में आकर सरकार काम कर रही है इसे हम दबाव की राजनीति भी कह सकते हैं। ब्लैक मेलिंग भी कह सकते हैं।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने दो जनपदों के दबाव में आकर इसमें संशोधन किए यदि उत्तरांचल के जो सीमान्त जनपद हैं वे भी इस तरह का दबाव डालें या धमकी दें तो सरकार उनके दबाव में आयेगी। मान्यवर, इस राज्य के हित के लिए जो व्यवस्था हो, यदि वह राज्य के लोगों के हित में हो तो सरकार को किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए मान्यवर, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और छावनी परिषद् की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में भू–अधिनियम लागू होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से एम0डी0डी0ए0 देहरादून से लगे ब्राहमण वाला, बासमती के लिए जाने जाने वाले इलाकों की जमीन किसानों के विरोध के बावजूद भी अधिग्रहित कर रही है। ऐसे क्षेत्रों में भू–माफियों के लिए रास्ते खुल गये हैं।

मान्यवर, धार्मिक प्रयोजनों के लिए भूमि की खरीद–फरोक्त पर रोक नहीं लगायी गयी है। मान्यवर, ऐसे प्रयोजनों के लिए भूमि की एक सीमा तय होनी चाहिए थी। मान्यवर, किसी होटल, भोजनालय, मद्यशाला, शैरगाह आदि के लिए भी भूमि की सीमा निश्चित होनी चाहिए थी। इस अध्यादेश में उत्तरांचल के मूल निवासी तथा स्थाई निवासी ही भूमि क्रय कर सकते है, शब्द भी जोड़ा जाना चाहिए। मान्यवर, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे इस पर सुना।

*श्री उम्मेद सिंह मांजिला–

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, उत्तरांचल में दो तरह की भूमि है पहली एग्रीकल्चर तथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी नॉन एग्रीकल्चर भूमि। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो उस समय एक जी0ओ0 द्वारा हमारी भूमि को वन विभाग में जोड़ा गया यह हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय प्रदीप जी ने कहा कि हम यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों को नहीं बसा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सन् 1960 में लैण्ड मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, जबकि यह कमेटी उत्तरांचल में नहीं बनी हुई है। आज हमारी बहुत सारी जमीन वन विभाग के पास है। मान्यवर, जनपद बागेश्वर में जब कलेक्ट्रेट के लिए भूमि नहीं मिल रही थी, इस प्रक्रिया में तीन साल लग गये बड़ी मुश्किल से अनुमति मिली, वहाँ पर जो छोटे-बड़े पेड़ थे उनके एवज में हमें 9 लाख रु0 देना पड़ा। मान्यवर, इस पूरे सदन में मेरा आग्रह है कि जब भू-अध्यादेश में आप परिवर्तन कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि जो जी0ओ0 उत्तर प्रदेश में हुआ था जिसके कारण हमारी जमीन वन विभाग को चली गयी थी, उनको निरस्त किया जाय। इससे हमारी कम से कम 80 प्रतिशत योजनाएं बाधित हो रही है। अन्त में इसी के साथ मैं अपनी विचारों को समाप्त करता हूँ।

श्री सहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने भू-विधेयक पर मुझे भी बोलने का अवसर दिया। मानीय अध्यक्ष जी, प्रवर समिति के माध्यम से, अन्य समितियों के माध्यम से काफी बदलाव इस विधेयक में किया गया, लेकिन मेरी एक शंका है कि शहरी क्षेत्र में जहाँ भू-माफिया रहते हैं, जहाँ चार दिन में करोड़ों रुपये के स्टाम्प बिके वहाँ इसका कोई प्रभाव है ही नहीं। मान्यवर, देहरादून, रुड़की, हरिद्वार में जमीन बिकी होगी तो जितने भी ऐसे शहर हैं, केवल वहाँ लागू किया होता तो सही होता। माननीय अध्यक्ष जी, मंगलौर में करने का क्या औचित्य है, ऐसा करने से गरीब किसान का शोषण होगा। माननीय अध्यक्ष जी, यह संशोधन जनहित में नहीं है, इसे जनहित में वापस लेना चाहिए और एक समिति बनाकर हर धारा पर विचार किया जाए। मान्यवर, सब की राय ली जाए तब वापस किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, धारा-167 जो इसमें दी गयी है जिसका प्रयोग जिलाधिकारी करेंगे, मेरा मानना है कि उसका बहुत दुरुपयोग होगा। इसमें मजदूर पिसेगा। माननीय अध्यक्ष जी, भू-माफिया ने हरिद्वार में सहारा इण्डिया के नाम हजारों रुपये की जमीन खरीद ली, उन पर उनका कोई असर नहीं, उनको जिलाधिकारी तुरन्त मान्यता दे देगा, लेकिन गरीब का क्या होगा। मान्यवर, इसको लागू होने से झोपड़-पट्टी को बढ़ावा मिलेगा। मान्यवर, माननीय नेता सदन बैठे हैं, सदन में काफी उदारता दिखाते हैं, मैं निवेदन करूँगा कि इसे वापस ले करके एक सही विचार-विमर्श के माध्यम से इस को दोबारा लाया जाए, वही जनहित में होगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री सहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार इस विधेयक को वापस ले और आम जनता की राय से एक अधिनियम बनाया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री अरविन्द पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने भूमि विधेयक संशोधन पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि जिस अध्यादेश की इस उत्तरांचल को आवश्यकता नहीं थी उसको बिना वजह काला कानून बनाकर जनता पर थोपा गया और इसी सत्र के पहले दिन विपक्ष के भारी दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और इस विधेयक में जो कई छेद थे, कई कमियाँ थी, उनको वापस लेना पड़ा। मान्यवर, इसके लिए विपक्ष बधाई के पात्र है और सरकार के इस दयालु हृदय के लिए मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जो इस संशोधन में 12 सितम्बर, 2003 के पहले जिनके पास अचल सम्पत्ति है वह 500 वर्गमीटर तक की जमीन डी0एम0 की अनुमति पर ले सकते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो कर्मचारी वर्ग है वह चाहे किसी भी विभाग में हो वह अपने बच्चों को पढ़ाने–लिखाने के बाद लाख–डेढ़ लाख रु0 ही बचा पाता है।

[XXX]

औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, इसका प्रमाण क्या है ? यह सदन की कार्यवाही में आ जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसका प्रमाण दीजिए, यह तो बहुत बड़ी बात है।

श्री अध्यक्ष–

इसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री अरविन्द पाण्डेय–

मान्यवर, जिनके पास 12 सितम्बर से पहले कोई भूमि नहीं है, उनको जमीन खरीदने के लिए डी0एम0 से कोई अनुमति न लेनी पड़े।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 500 वर्गमीटर तक फ्री है।

नोट–[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अरविन्द पाण्डेय–

मान्यवर, इसके अलावा इस विधेयक में कई खामियाँ हैं जो किसानों के हित में नहीं हैं। मान्यवर, मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय नेता सदन के आमंत्रण के बाद ही तराई क्षेत्र को बसाया गया था और उस समय यहाँ पर शेर, भालू और चीते तथा हाथी आदि की आवाजें ही आती थीं, किन्तु लोग माननीय तिवारी जी के आमंत्रण पर यहाँ आये और बसे उनके मन में आज इस विधेयक पर कहीं न कहीं भय व्याप्त है। मान्यवर, आपने हमें बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको धन्यवाद।

*श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद। मान्यवर, आपके माध्यम से सुझाव है कि जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य के लिए भूमि अध्यादेश में जो संशोधन की बात आई है कि इसमें अच्छा हुआ यह टाइम पर ही याद आया और सदस्यों ने इस सदन के अन्दर याद दिलाया है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मालूम करना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में बहुत सी जातियाँ है जैसे सपेरे और वन गूजर हैं और भी गरीब लोग हैं जो 40–50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके राशन कार्ड बने हैं और वोटर लिस्ट में उनका नाम है, मगर जहाँ पर वह रह रहे हैं वह जमीन उनके नाम नहीं है। वन गूजरो को जंगलों से बाहर किया जा रहा है उनकी पहले एक सूची बनी उनको अभी प्लाट दिये जा रहे हैं और बहुत से अभी वनों में ऐसे लोग रह रहे है जिनकी अभी तक सूची नहीं बनी है, जैसे चण्डीघाट पर भी बहुत दिनों से लोग बसे हुए हैं, जब वहाँ पर मेले का टाइम आता है तो उन्हें बार–बार परेशान किया जाता है। मान्यवर, ऐसे लोगों के लिए जिनके नाम अभी तक रहने के लिए जगह नहीं है, सरकार का भू–अध्यादेश पास होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए सरकार इसमें क्या प्रबन्ध कर रही है। क्या उनको वोटर लिस्ट के आधार पर राशन कार्ड के आधार पर उन भूमि हीनों को रहने के लिए जमीन दी जायेगी ? मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया वैसे तो इस विधेयक के प्रारम्भ काल से ही जब सदन में आया था और जो आशंका विपक्ष ने व्यक्त की थी सरकार उन पर सहमत भी हुई है। प्रवर समिति ने कुछ संशोधन दिये, अधिकतर संशोधन शामिल हुए है। मैं इन सब विषयों पर नहीं जाऊँगा। कुछ आशंकायें निश्चित रूप से अभी जन्म दे रही हैं यह विधेयक कृषि भूमि को बचाने के लिए कितना प्रमाणिक होगा, इस पर आशंका व्यक्त करते हुए मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चर्चा के दौरान लगा कि हम लोग उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपना विधेयक बनाने में कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं। यह स्पष्ट हैं कि भौगोलिक परिस्थिति से हमारा उत्तरांचल तीन हिस्सों में बंटा हुआ है। अच्छा होता हमारा जो नगरीय क्षेत्र हैं उस दृष्टि से भूमि का क्या कानून होना चाहिए वह इस विधेयक में अंकित होता, हमारे यहाँ पर चकबन्दी की स्थिति ठीक नहीं हो पायी है लोगों की भूमि एक स्थान पर न होकर कई जगहों पर है उस दृष्टि से भी यह विधेयक सही नहीं है। इसमें 500 मीटर तक छूट दी गई है, इसमें भारत के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति भूमि ले सकता है। हमारे देश के ऐसे उद्योगपति हैं कि वह कई गुटों में इकट्ठा होकर सामूहिक जमीन खरीद सकते हैं।

मान्यवर, इसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि कितने आदमी पाँच सौ वर्ग जमीन ले सकता है। पाँच सौ वर्ग मीटर के लिए प्राविधान की आवश्यकता थी। आखिर उस भूमि में सामूहिक दृष्टि से रोक लगा पा रहे हैं इसलिए वास्तव में इसकी मूल प्रमाणिकता है। मान्यवर, मैं मानता हूँ कि कृषि भूमि कृषकों को सुविधा देने के बावजूद भी नहीं बच सकती है। मान्यवर, कृषि भूमि आज तक कहीं नहीं बची है। कृषक कभी नहीं चाहता कि उसकी भूमि कूड़े के भाव बिके। इसलिए आज कृषक आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया जैसे अभी गन्ने की बात आयी थी। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि कुछ शंकाए हैं और अन्य माननीय सदस्यों को भी होगी। इसलिए इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति को दे दिया जाए पुनः चर्चा हो जाए। समय कम मिला है। वास्तव में यह बहुत बड़ी चर्चा है। हमारे माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव रखा और नेता सदन ने उसका संशोधन भी दिया। मान्यवर, कुछ समय के लिए इस पर बहस बढ़ायी जाए और इसको पुनः प्रवर समिति को दे दिया जाए। वास्तव में इस विधेयक को उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थतियों को देखकर ही बनाया जाना चाहिए।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल--

मान्यवर, जो विधेयक पेश किया गया उसमें अनेक कमियाँ तो है ही उसके साथ जो अभी संशोधन किया गया। इस सम्बन्ध में जानना चाहती हूँ कि और शायद पूरा सदन जानना चाहता है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 की धारा--154 की उपधारा (4) के खण्ड(2) के प्रस्तर (च) के बाद निम्नलिखित प्रस्तर बढ़ा दिये जाएं। भूमिहीन मजदूर अथवा तो मैं जानना चाहती हूँ कि भूमिहीन मजदूर कौन हैं ये उत्तरांचल के होंगे या फिर पूरे देश के। इसको परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति अथवा। इसमें कोई व्यक्ति कौन होगा यह भी परिभाषित नहीं किया गया है। ग्रामीण शिल्पी अथवा कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति इसमें भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है। मान्यवर, इससे कई विसंगतियाँ होंगी और बाहर से लोग आयेंगे और भूमि को खरीदेंगे। इसलिए कहीं न कहीं इसमें त्रुटियाँ है।

*काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, जिस प्रकार से यह विधेयक आया फिर संशोधन हुआ, फिर आया और फिर प्रवर समिति को दिया गया उससे तो हमें एक फिल्म की कहानी याद आती है कि एक फिल्म में जॉनीवाकर का एक दोस्त जब जॉनीवाकर के घर आया तो जॉनीवाकर बच्चे को पहाड़े याद करवा रहे थे कि दस एकम दस, दस दूनी बीस, दस तिया तीस और दस चौकम पैंतीस इस पर उसके दोस्त ने कहा कि ये क्या याद करवा रहे हैं, दस चौकम तो चालीस होता है। इस पर जॉनीवाकर ने कहा कि अभी यह पहले इक्तीस पर आया, फिर बत्तीस पर आया, फिर तैंतीस पर आया और अब पैंतीस पर आया। धीरे–धीरे चालीस पर आ जायेगा। मान्यवर, तो इस विधेयक का भी यही हाल हुआ।

मान्यवर, हम उत्तरांचल की तुलना हर समय हिमाचल से करते हैं क्यों नहीं हम उत्तरांचल की महाराष्ट्र से तुलना करते क्यों नहीं हम इसको आन्ध्र प्रदेश से तुलना करते। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में अलगाववाद वाली स्थिति मत आने दीजिए। इसको वापस ले लें। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में जेड ए एक्ट पास हुआ था जिसमें पहाड़ी राज्यों को छोड़ दिया गया था, उसी तरह हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। मान्यवर, मुसलमान कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता। निवेदन करते हैं कि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को इसको अलग कर दिया जाए। उसको एक्जम्पट कर दिया जाए। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की जनता इसको नहीं चाहती। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस दिन हरिद्वार का जिक्र आया था और आपके आँसू छलक आये थे तो कृपया आप इस बिल को वापस ले लें, वरना स्थिति बहुत भयंकर हो जायेगी। हरिद्वार की जनता रो रही है और वे अपने आंसू रोके बैठे हैं। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य को भूटान और असम बनने से रोक लें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं चन्द बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला यह है कि सरकार नहीं चाहती है कि कृषि योग्य भूमि के दाम बढ़े तो सरकार केवल कृषि भूमि की दाम बढ़ने से रोकना चाहती है और अन्य चीजों के दाम बढ़ाना चाहती है। मान्यवर, सरकार को अन्य चीजों के दाम भी नहीं बढ़ाना चाहिए। मान्यवर, दूसरा कि सर्किल रेट में 300 प्रतिशत वृद्धि हुई है या नहीं।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि कितना अच्छा होता यदि सरकार बिचौलियों को नियंत्रित करती, बिचौलियों पर अंकुश लगाती और यह नियम बनाती कि कृषक अपनी भूमि स्वयं बेचेगा। मान्यवर, इसके साथ–साथ एक बड़ी ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हास्यास्पद बात है, आपने कहा कि अभी तो हम संशोधन लाये हैं, अपने विधेयक को पास कर दिया (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) आपने प्रवर समिति को दिया, प्रवर समिति ने संशोधन किये, फिर आपने एक और संशोधन कर दिया। मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि यह विधेयक जो प्रवर समिति को सौंपा गया था, उसने कितने साक्ष्य लिये, क्या प्रवर समिति ने कहीं भ्रमण किया और कृषकों से बात की। मान्यवर, कितना अच्छा होता कि समिति दूर–दूर जाकर कृषकों से बात करती, उनकी राय जानती, और फिर जाकर उसके निर्णय लेने की बात होनी चाहिए थी। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है कहीं ऐसा न हो कि उत्तरांचल के कृषकों का अहित हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो यह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 है यह आज लागू है, लेकिन इसके साथ ही साथ उत्तरांचल में देखा जाय तो कुमाऊं में इसका अलग कानून है, जौनसार भाबर में अलग कानून है और टिहरी में अलग कानून है, तो आखिर जो यह भिन्नता है उसे दूर करने के लिए सरकार क्या करेगी, मैं इसका स्पष्ट उत्तर जानना चाहता हूँ कि इस विधेयक के बाद जौनसार भाबर में कौन सा एक्ट लागू होगा, कुमाऊं में कौन सा एक्ट लागू होगा, और टिहरी में कौन सा एक्ट लागू होगा?

मान्यवर, एक और महत्वपूर्ण बात मैं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सदस्य श्री अरविन्द पाण्डेय जी ने एक विषय यहां पर रखा था वह एक गम्भीर विषय था, परन्तु बीच में एक माननीय मंत्री जी द्वारा श्री अरविन्द पाण्डेय जी को रोक दिया गया। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं अपने पद से त्याग–पत्र दे दूंगा यदि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। मान्यवर, सब जगह भ्रष्टाचार है और आपकी सरकार को चाहिए कि उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए क्योंकि आप सत्ता में हैं, इस पर आप कठोर कदम उठायें। इस विधेयक के माध्यम से अगर यह कानून बन गया तो इससे निश्चित ही गरीब का शोषण होगा। उसे रिश्वत देनी पड़ेगी, उसी के सहारे उसे अपने काम कराने पड़ेंगे। उत्तरांचल की जनता भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण चाहती है। अतः इस पर विचार कराया जाना चाहिए।

मान्यवर, एक और निवेदन है, आपने यह कहा कि चिकित्सा स्वास्थ्य, शिक्षा संस्कृति एवं पर्यटन आदि को इनसे मुक्त कर दिया है, वह भूमि क्रय कर सकता है तो क्या मान्यवर, इसके द्वारा कोई भू–माफिया लाभ उठा ले और इनकी आड़ में अपना पुराना व्यवसाय शुरू कर दें यदि ऐसा हो गया तो इस कानून से क्या फायदा होगा? यह एक गम्भीर बात है इस पर भी विचार होना चाहिए था।

माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, नम्बर एक–बिचौलियों पर अंकुश लगना चाहिए। दूसरा यह कहना चाहता हूँ कि कितना अच्छा होता कि आप

सर्किल रेट तय कर देते कि इस एरिया में इस रेट से जमीन बिकेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से सरकार से एक निवेदन और करना चाहता हूँ, जमीन कृषक की है और अपनी जमीन को बेचने का अधिकार हमें संविधान देता है सम्पत्ति को क्रय करने और बेचने का मूल अधिकार हमें संविधान देता है, सरकार हमें उससे वंचित करना चाहती है ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1982 हमें जमीन खरीदने और बेचने का अधिकार देता है, इसका उल्लंघन सरकार कर रही है। यह संविधान के अनुच्छेद–258 का भी उल्लंघन है सरकार कृषकों के हित की बात नहीं कर रही है। आज किसान का आलू सड़ रहा है। कितना अच्छा होता कि सरकार किसानों के हित के लिए काम करती, मैं इसका स्वागत करता। किसान की जो जमीन है, उसको बेचने के लिए आपने उस पर नियंत्रण लगा दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम इसके पक्षधर हैं कि उत्तरांचल में एक अच्छा भूमि कानून बनाया जाए। किन्तु इसका निर्माण उत्तरांचल की जनता और कृषकों के हित के लिए विस्तृत चर्चा के बाद होना चाहिए। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए।, जैसा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि हम समय–समय पर इसमें संशोधन करते रहेंगे। आज यह कानून बना दिया, कल फिर संशोधन लाएंगे। इस प्रकार आप समय–समय पर संशोधन लाकर सदन का समय बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसे गम्भीरता से लें और उत्तरांचल की जनता के हित में काम करें। विस्तृत चर्चा के बाद भू–अधिनियम बनेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। आप जो संशोधन लाए हैं, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कृषकों का शोषण बढ़ेगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि विस्तृत चर्चा के बाद ही आप भू–अधिनियम बनाए।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रवर समिति में जो माननीय सदस्य थे, उन्हें भी 5–5 मिनट अपने विचार रखने के लिए दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, इस पर बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार रख चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जंतवाल जी कुछ संशोधन रखना चाहते हैं। मेरा अनुरोध है कि इन्हें थोड़ा समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, जंतवाल जी, आप अपनी बात रखिए।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। मान्यवर, आजादी की लड़ाई के दरमियान यह तय हुआ था कि आने वाले समय में देश के अन्दर क्या आर्थिक नीति होगी क्या विदेशी नीति होगी? इसी प्रकार उत्तराखण्ड राज्य के अन्दर विभिन्न कारणों से जो आन्दोलन चले उसमें यह महसूस किया गया था कि उत्तराखण्ड के अन्दर जो अनियंत्रित भूमि का क्रय–विक्रय हो रहा है उसे नियंत्रित करने के लिए जब राज्य का गठन हो जायेगा तो भू–कानून में संशोधन किया जायेगा। जैसा कि हमारे माननीय नेता श्री काशी सिंह ऐरी जी ने कहा और पूरे सदन की यही भावना है कि संशोधन राज्य हित में होना चाहिए। सरकार कोई भी आए आज जनता की यही अपेक्षा है कि ऐसे कानून भूमि सम्बन्धी होनी चाहिए जो राज्य की जनता के हित में हो। यहां का विकास हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

मान्यवर, जैसा कि माननीय कण्डारी जी ने कहा कि यह संशोधन जौनसार भाबर जमींदारी विनाश अधिनियम यू0पी0 टैनैन्सी एक्ट में बगैर संशोधन किए इसे लागू नहीं किया जा सकता इसलिए इस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तावित संशोधन विधेयक इस आशय का प्राविधान जोड़ना चाहिए। इसी प्रकार अधिनियम की धारा–154(3) का जोड़ा जाना प्रस्तावित है, परन्तु इसमें यह प्रस्तावित किया गया है कि धारा–129 में उल्लिखित उत्तरांचल के किसी भी श्रेणी के खातेदार के पक्ष में अपनी भूमि विक्रय कर सकता है जब कि इसमें शब्द, भूमि के बाद हस्तांतरण विक्रय या उपहार द्वारा कर सकता है, यह जोड़ा जाना आवश्यक होगा। मान्यवर, इसी प्रकार से मूल अधिनियम में धारा–154(4)(1) को जोड़ा गया है जिसमें यह प्राविधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से भले ही वह धारा–129 के अधीन खातेदार न हो बिना किसी अनुमति के एक बार में 500 वर्गमीटर भूमि खरीद सकता है। इस धारा को कु0जु0वि0अधि0 में जोड़ा जाना उचित नहीं है क्योंकि इसका दुरूपयोग हो रहा है।

मान्यवर, चिल्यानौला मछखाली भीमताल क्षेत्र में एक नाली खरीद कर उसके बाद लोगों ने 8–10 नाली पर अपना कब्जा कर लिया। यदि यह प्राविधान कु0जु0 में भी जोड़ा जाता है तो यह संशोधित विधेयक पर्वतीय क्षेत्र के लिए अर्थहीन हो जायेगा तथा विधेयक की जो मंशा है वह समाप्त हो जायेगी। यदि इस प्राविधान को

जमींदारी विनाश अधिनियम में जोड़ा जाना आवश्यक है तो यह केवल उन गाँवों में लागू हों जिनकी सीमायें किसी नगर, नगर पंचायत, नगर परिषद और छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमाओं से लगी हों। इसी प्रकार प्रस्तावित मूल अधिनियम में धारा–154(4)(2) को जो संशोधित विधेयक में प्रस्तावित है जिसके द्वारा 154(4)(2) (च) में यह प्राविधान किया गया है कि धार्मिक प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति सोसाईटी अथवा न्यास के हक में भूमि का हस्तान्तरण निषिद्ध नहीं है। धार्मिक प्रयोजन के लिये बगैर शासन/कलेक्टर की पूर्व अनुमति के खरीद का प्राविधान रखने से संशोधित विधेयक का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। उत्तरांचल एक सीमान्त राज्य है प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुये असामाजिक तत्वों द्वारा धर्म के नाम पर कृषि भूमि को क्रय कर राष्ट्रविरोधी एवं असामाजिक कार्य तथा अनुचित लाभ उठाने की सम्भावनायें बढ़ जायेंगी तथा इस प्रस्तावित विधेयक द्वारा कृषि भूमि को क्रय–विक्रय को नियंत्रित किये जाने का जो उद्देश्य है, समाप्त हो जायेगा इसलिए धार्मिक प्रयोजनों हेतु क्रय किये जाने वाली भूमि आदि में भी राज्य सरकार की या कलेक्टर की पूर्व अनुमति लिये जाने हेतु इसे धारा–154(4)(3) (क) में जोड़ा जाना आवश्यक है।

मान्यवर, 229 बी का दावा करने वाले किसान को वाद करने के बाद गवाई के बाद उसकी जमीन को अपने नाम करने का आदेश है। मान्यवर, जिस प्रकार से 1981 में एक संशोधन किया गया कि अनुसूचित जाति के खातेदार की जो भूमि है प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मौलिक अधिकार प्राप्त करने पर प्रतिबन्धित किया गया है अन्यथा विधेयक का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। मान्यवर, हमारा जो संघीय ढांचा है, उसके अनुसार हम क्षेत्र परिस्थितियों के अनुसार कानून बना सकते हैं। मान्यवर, यही कारण है कि नार्थ स्टेटों में धारा–371 के अन्तर्गत वहां के लोगों के अधिकार अक्षुण्ण हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें धारा–371 के बारे में विचार करना चाहिए। मान्यवर, हमारी पूरी भावनाओं के अनुरूप यह कानून है। जो संशोधन हमने प्रस्तुत किये हैं, उम्मीद करते हैं सरकार उन्हें स्वीकार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रवर समिति में, एक सदस्य होने के नाते मैंने अनेक सुझाव रखे थे। मान्यवर, इन सुझावों में कुछ सुझाव ऐसे थे, जिन पर सहमति व्यक्त की गयी तथा कुछ ऐसे थे, जिन पर सहमति व्यक्त न हो सकी। मान्यवर, जो अध्यादेश पहले लाया गया था, उस पर सभी माननीय सदस्यों ने बढ़ चढ़कर अपने विचार रखे। शायद सरकार ने सोचा भी नहीं था। सरकार इस अध्यादेश को राज्य

की अनियंत्रित भूमि को नियंत्रित करने हेतु जल्दी में इस अध्यादेश को लायी। मान्यवर, जो पहले वाला अध्यादेश था, उसकी एक प्रति मेरे पास है। इसमें बहुत सारी खामियां थी।

श्री अध्यक्ष–

समय बहुत कम है, कृपया आप बैठिये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूँगा। मान्यवर, मैं माननीय तिलकराज बेहड़ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने इसका विरोध किया, इसके लिए इन्होंने वास्तव में लड़ाई लड़ी। जिसके परिणाम स्वरूप एक समिति माननीय बहुगुणा जी की अध्यक्षता में गठित हुई। मान्यवर, मैं बहुगुणा जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर जनपदों का भ्रमण किया तथा कुछ किसानों का साक्षात्कार लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी टिप्पणी में स्पष्ट लिखा है कि यह अध्यादेश उत्तरांचल के हित में नहीं है, इसमें कहीं न कहीं मूल अधिकारों का हनन है। मान्यवर, फिर एक उप समिति बनी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह उप समिति नहीं थी, यह मंत्रि–परिषद् के सामने रखा था।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उस भू–अध्यादेश को लेकर आज जिस प्रकार से हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर में जनता के बीच में अविश्वास की भावना पैदा हुई है। मान्यवर, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल का हिस्सा है, सरकार को कम से कम आगे आकर उन लोगों की भावना को समझना चाहिए, उनकी भावनाओं के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए। मान्यवर, हरिद्वार की जनता उत्तरांचल से बाहर जाने के पक्ष में नहीं है, भले ही आन्दोलन चल रहे हैं, लेकिन सबका समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन आज जिस प्रकार की भावना से अविश्वास उत्पन्न हुआ है उस विश्वास को लाने की आवश्यकता है। मान्यवर, सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि वहाँ रहने वाली 30 लाख की जनसंख्या उसी विश्वास के साथ रहे, यही मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अर्ध नगरीय क्षेत्र में इसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है, प्रवर समिति में भी मैंने बताना चाहा था, आगे जब नियमावली बनायें तो ध्यान रखियेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज बार–बार संशोधनों की आवश्यकता पड़ रही है। मान्यवर, अधिकारी नहीं देखते हैं, इस पुस्तक के कवर पर ही गलत लिखा था, अब लिखा है तृतीय वर्षगांठ विकास को संकल्पित।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह हमने स्वयं देख लिया था और यह संशोधित हो चुका है। (व्यवधान)

* श्री फूल सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, उत्तराखण्ड की लड़ाई न केवल विकास की लड़ाई लड़ी गई थी, वह उत्तराखण्ड की पहचान के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। मान्यवर, मैं इस आन्दोलन से जुड़ा था। मान्यवर, कुछ लोग इस तरह की परिस्थिति पैदा करते हैं कि उत्तराखण्ड को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश करते हैं।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, उत्तराखण्ड क्या चीज है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के जनपदों की 90 फीसदी जमीन सरकार के पास है और 10 फीसदी जमीन पर 80 फीसदी लोग काबिज हैं।

मान्यवर, आज जो परिस्थिति है मैं उसके आगे नहीं जाना चाहता। मान्यवर, मैं केवल उत्तरकाशी की गंगा घाटी की बात कहना चाहता हूँ जैसा कि इस बिल में आया कि धार्मिक संस्थाओं के लिए औद्योगिक संस्थाओं के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। मान्यवर, मैं कहना नहीं चाहता हूँ हमारे जो साथी हैं वे चाहे साधू हों या अन्य उत्तरकाशी की सारी भूमि पर धार्मिक संस्थाओं का कब्जा है और उत्तरकाशी का बिड़ला धर्मशाला जो है उसका किराया 700 रु0 प्रति कमरा है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं टिहरी बांध के उस पार का हूँ, कई लोग बस गए इस क्षेत्र में और उनको 10 बीघे जमीन दी गयी। मान्यवर, यदि ऐसा होता रहा तो वे लोग चले जायेंगे। औद्योगिक क्षेत्र पर यदि पाबन्दी नहीं लगती, वहां के लोगों को यदि शेयर्स नहीं दिए जा सकते तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन धार्मिक संस्थाओं पर भी दिया जाना चाहिए, उद्योग पर भी दिया जाना चाहिए, शर्तें तय की जानी चाहिए और जो बात कही गयी है कि कलेक्टर के द्वारा दी जाए, या किस तरह से दी जाए तो मेरा निवेदन है कि इसको राज्य सरकार को परमीशन दी जानी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूँ। सम्मानित प्रतिपक्ष के सभी साथियों की और सत्ता पक्ष के विभिन्न साथियों के बहुमूल्य सुझाव इस विधेयक पर, इस बिल पर आए। प्रवर समिति के इस प्रतिवेदन के संदर्भ में आए। माननीय हरभजन सिंह चीमा जी ने जो विचार व्यक्त किए जो उन्होंने समय–सीमा का जिक्र किया और कहा कि हम लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के शिकार हो सकते हैं तो जो विधेयक प्रस्तुत किए गए इसके अनुपालन के लिए तो नियमावली बनानी ही होगी, बगैर इसके तो चलेगा ही नहीं। नियमावली ऐसी बनायी जायेगी जो सब कुछ कवर–अप कर लेगा, हम अधिकारियों को भी अनियंत्रित छूट नहीं देंगे। इसलिए आपने जो शंका व्यक्त की उसके बारे में हम आश्वस्त करते हैं और कई माननीय सदस्यों ने जो शंकाएं व्यक्त की हैं, उसको नियमावली में ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाएगा ताकि कठिनाईयां पैदा न हों और नौकरशाही की वजह से कोई भी साधारण व्यक्ति रजिस्ट्री आदि के लिए भटकता हुआ न रहे।

माननीय अजय भट्ट जी ने तो पूरी बात ही कह दी, लेकिन आज जो लैण्ड लार्ड के एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने जो बात कही इस पर बहुत सारे कानून बने हैं, हमने संशोधन के माध्यम से प्रवर समिति के माध्यम से, सदन की कार्यवाही के माध्यम से ज्ञान–वर्द्धन किया। भूमि के सम्बन्ध में कई नियम बने जैसे खामलैण्ड, नजूल लैण्ड आदि। भूमि के सम्बन्ध में कई कानून आते रहे हैं और उसमें संशोधन होते रहे हैं।

मान्यवर, यह संशोधन बहुत जरूरी था माफियाओं को रोकने के लिए। हम 16 महीने तक आपके साथ बैठे। अब राज्य गठन को 3 वर्ष हो गये हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी हरिद्वार को लेकर संवेदनशील हुए और भावविह्वल हुए। वह तारीख उत्तर प्रदेश के इतिहास में अंकित है जब इस बात का प्रस्ताव वह स्वतः लेकर आये कि हरिद्वार को जिला बना दिया जाय, उस समय उनको भान नहीं था कि उत्तरांचल बनेगा और हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल होने के लिए कोई विवाद खड़ा होगा। मान्यवर, धार्मिक, सांस्कृतिक परम्पराओं के अनुरूप हरिद्वार में तीन करोड़ यात्री प्रति वर्ष आते हैं। कुम्भ का यह महा पावन स्थान जिसमें इस दृष्टि से भी आवश्यक हो गया था कि जिले के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने यह जिला बनाया, लोग यहाँ बैठकर पर्वतीय और मैदानी की बात करते हैं, उन्होंने बलिया से लेकर उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल और उत्तरांचल के धारचूला, मुन्स्यारी का यह बार्डर देखा है, उनका दर्द स्वाभाविक था।

मान्यवर, कोई राजनीतिक दल कह दे कि हम सत्ता में नहीं रहे, हर राजनीतिक दल को सत्ता में बैठने का मौका मिला। उत्तराखण्ड दल के साथियों ने

सबसे पहले इस राज्य को बनाने की मांग की। मान्यवर, आज उधर बैठकर अलगाव की बात कहने वाले उत्तरांचल को कमजोर करने की बात करें तो यह कार्यवाही की किताब में आ जायेगा। हम कोई लड़ाई लड़ें, हम भू-अध्यादेश के बारे में कहें कि यह हरिद्वार में नहीं होना चाहिए तो आज यह प्रासंगिक भी नहीं है और औचित्यपूर्ण भी नहीं है।

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि इसको राजनैतिक दृष्टि से न देखें। अलग-अलग राजनैतिक दलों के अपने-अपने मंतव्य हो सकते हैं यह अलग बात है। इस विधेयक को इसलिए लाया गया क्योंकि उत्तरांचल को बने दो साल हो गए और हम यदि अनियंत्रित खरीद-फरोख्त को न रोक पाए और डर-डर के बैठे रहे जैसा कि माननीय ऐरी जी ने कहा उनकी बात ठीक लगी उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विधेयक को हम ला पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनके नैतिक हिम्मत और कोताही न बरतने के लिए आभारी हूँ कि कहीं डर के मारे तो इसको नहीं आने दिया जा रहा है और डर के मारे इसमें संशोधन हो रहे हों। वे इस पर लगातार अडिग रहे और उन्होंने कहा कि इसको कठोर होना चाहिए। अगर यह होने लगे कि हरिद्वार वाले अपनी बात रखने लगें और गंगोलीहाट और पिथौरागढ़ वाले अपनी बात तो यह ठीक नहीं है। अब तो यह बात नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही जानते हैं कि उत्तरांचल राज्य कैसे बना कि हमें रोजगार के अवसर मिले लोगों को जीने की सुख-सुविधा मिले। उस दृष्टिकोण से हम लोगों को सोचना होगा। मात्र अलगाववाद, भाषावाद, मैदानवाद या फिर पहाड़वाद ये चीजें उत्तरांचल में नहीं होनी चाहिए। एक बात और शोचनीय है कि अखबारों में करोड़ों रु0 के विज्ञापन भू-अध्यादेश पर कौन निकलवा रहा है इस बात पर किसी ने सोचा या फिर ध्यान दिया। एक साधारण कृषक तो ऐसा कर ही नहीं पायेगा। जाहिर सी बात है इसमें जिसे हम भू-माफिया कहते हैं वे ही लोग कर सकते हैं। हमारे पास एक समाचार पत्र की जानकारी है। उन्होंने कहा कि यह हम नहीं निकलवा रहे हैं। हमने आर्थिक हानि को बर्दाश्त किया लेकिन इन विज्ञापनों को नहीं प्रकाशित किया। ये लोग कौन हो सकते हैं। माननीय ऐरी जी ने बहुत अच्छी बात की।

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी-

मान्यवर, अगर ऐसा है तो आपकी सरकार ने क्या किया वह क्यों बैठी रही? उसने क्यों नहीं इन लोगों को जेलों में बन्द करवाया। यह सरकार का काम था। उनको इन्होंने क्यों नहीं पकड़ा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बहुत सारे प्रश्न उठाये गये हैं। माननीय नारायण पाल जी ने एवं मा० प्रदीप टम्टा जी ने एक बात कही जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरन्त दो मिनट में आर्डिनेंस मंगा कर देखा तो वाकई वह छूट गया था, तत्काल उसे जोड़ा गया। मान्यवर, प्रवर समिति में जो बातें हुई वह नियमावली का हिस्सा बन गया है। प्रवर समिति में बहुत से सवाल उठाये गये। जौनसार, भावर की बात आई, कूजा एक्ट की बात भी प्रवर समिति में हो चुकी है। माननीय प्रकाश पंत जी ने इसे उठाया था। मान्यवर, आज पूरे उत्तरांचल में एक ही अधिनियम लागू है। जो अलग-अलग विभिन्न अधिनियम बने थे वे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 द्वारा कवर हैं। इस पर प्रश्न प्रवर समिति में उठ भी चुका है। माननीय मांजिला जी ने लैण्ड मैनेजमेन्ट कमेटी की बात उठाई है। उस समय तत्कालीन वन मंत्री फोनिया जी थे। ब्रिटिश काल से यह भूमि वन भूमि का हिस्सा मानी जाती थी। मैंने इस सम्बन्ध में माननीय वन मंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा कि हम इस पर कार्य प्रारम्भ कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई वन अधिनियम नहीं होना चाहिए जो हमारे विकास में बाधक हो।

माननीय तसलीम अहमद जी ने कहा कि फाइलें पड़ी रहेंगी। मान्यवर, फाइलें पड़ी नहीं रहेंगी, इसके लिए नियमावली बनेगी। माननीय महेन्द्र प्रसाद भट्ट जी ने 500 वर्गमीटर भूमि की बात कही। इस सम्बन्ध में प्रवर समिति में संशोधन कर दिया गया है। ग्रामीण शिल्पियों की बात आई है। माननीय विजय बड़थ्वाल जी ने पूछा कि क्या यह अधिनियम पूरे उत्तरांचल में लागू होगा? मान्यवर, अवश्य ही लागू होगा। भू-कानून के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ग्रामीण शिल्पियों को भी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। जब यह बिल बना था तब इन्हें शामिल नहीं किया गया था। मैं माननीय प्रदीप टम्टा एवं माननीय नारायण पाल जी की आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को उठाया। यह बहुत बड़ा वर्ग जो राज्य में रहता है तो इनके संरक्षण की बात भी होनी चाहिए। इसमें यहां यह भी शर्त आयी कि यह बड़े लोगों के द्वारा, बड़े लोग ही तो विज्ञापन दे रहे हैं। वह लोग कौन हैं हमारे हैं या आपके हैं कुछ मनोवैज्ञानिक हो रहा है। लेकिन कोई बिल जब लाया जाता है तो उसे जनता के ही अनुरूप बनाया जाता है।

अभी हमारे सम्मानित नेता प्रतिपक्ष एक शब्द से बहुत आहत थे, भ्रष्टाचार, यह इतना बिग वर्ड हो चुका है, यह एक गलत बात है कि हमारे समय में ज्यादा है या आपके समय में ज्यादा है, इस पर मैं समझती हूँ कि चर्चा का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। आज इस शब्द की परिभाषा को ही बदल दिया गया है। आज तो भ्रष्ट देशों की नम्बरिंग भी विश्व स्तर पर की जाने लगी है। इसको यदि हम अपनी जीवन

शैली में, आचार शैली में इसका इस्तेमाल करेंगे तो विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो जायेगा। इसको अभी कई रूपों में चित्रित किया जा रहा है चाहे वह भारत सरकार के मंत्री हों या राज्य सरकारों के हों या हमारी ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, किसी को इस शब्द से भय नहीं है, कोई डरता ही नहीं है। उनकी स्थिति साफ होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिए। आज सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के बीच में एक लाईन खींच दें तो मुझे नहीं लगता कि इससे विकास का कार्य हो सकता है और न ही जनता का राजनीतिकों पर विश्वास रह पायेगा। हमें अपनी मोरल ड्यूटी तय करनी होगी, यदि आप दोषी हो तो, या तो आप क्षमा याचना कीजिए या इस्तीफा दीजिए और भी कई चीजें हो सकती हैं लेकिन इसे अपनी मोरल ड्यूटी समझना होगा। अभी माननीय किशोर उपाध्याय जी भी खड़े हो गये थे, मुझे भी अटपटा लगा परन्तु हो सकता है उनके अपने कुछ कड़वे अनुभव रहे हों। अभी हमारी पार्लियामेंट में एथिक्स कमेटी बनाई गई है, हमने माननीय अध्यक्ष जी, से अनुरोध किया कि हमारे यहां भी इस समिति का गठन कर दें, मैं आभार व्यक्त करती हूँ लोकसभा के जोशी जी का, जिन्होंने इसे लागू कराया यह नैतिक मर्यादा मानदंड कमेटी इसका पूरा नाम है इस पर हमने उत्तर प्रदेश में भी चर्चा की थी परन्तु वहां पर यह नहीं हो सका था कभी हमारे पास माननीय सदस्य आते हैं और यह सोचते हैं कि हम प्रतिपक्ष में बैठे हैं तो कुछ कठोर प्रहार करने से कोई बात बनेगी, यह उनका भी दोष नहीं है, लेकिन जो हमारी रीति–नीति हो वह साफ होनी चाहिए।

इसमें जो कुछ अभी रहा है नियमावली, और कुछ अन्य संशोधन हैं उन्हें भी इसमें समाहित कर लिया जायेगा। मेरा अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नेकनीयती से जनहित में लाया गया है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष का बहुत आदर करती हूँ, वे बहुत भले आदमी भी हैं। उन्होंने कहा कि क्या बार–बार इसमें संशोधन करेंगे।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

माननीय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि इसे स्वीकृत होने दें, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बार–बार इसमें क्यों संशोधन करने पड़ रहे हैं। मान्यवर, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए, जनहित में समय–समय पर संशोधन होते ही हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नेकनीयती और सद्भावना के साथ इस विधेयक को जनहित में लाया गया है। इसे स्वीकृत करने में सरकार की मदद करें। धन्यवाद।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003

(विधेयक संख्या वर्ष 2003)

विधेयक

उत्तरांचल राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) में संशोधन के उद्देश्य से भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमितः–

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ–

(i) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 कहलायेगा।

(ii) उन क्षेत्रों के अतिरिक्त, जो किसी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद् और छावनी परिषद् क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत आते हैं और समय–समय पर सम्मिलित किये जा सकते हैं, यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(iii) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2. मूल अधिनियम में धारा–152 (क) का जोड़ा जाना–

(i) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा भूमि हस्तान्तरण हेतु कोई मुख्त्यारनामा ऐसे व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा जो धारा–171, 172, 174 अथवा 175 के अन्तर्गत आते हैं।

(ii) दिनांक 12–09–2003 को या उससे पहले निष्पादित भूमि के विक्रय हेतु रजिस्ट्रीकृत मुख्त्यारनामा वैध होगा यदि ऐसे मुख्त्यारनामे के आधार पर 31–3–2004 या उससे पहले मुख्त्यारनामें में उपबन्धित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया हो।

3. मूल अधिनियम में धारा–154 (3) का जोड़ा जाना–

(i) संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर इस अधिनियम की धारा–129 में उल्लिखित उत्तरांचल के किसी भी श्रेणी के खातेदारों के पक्ष में अपनी भूमि विक्रय कर सकता है।

4. मूल अधिनियम में धारा–154 (4)(1) का जोड़ा जाना–

(i) धारा–154(4)(1): इस अधिनियम में अंतर्विष्ट अन्य प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की ओर से (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी और नाबालिग सन्तान से है), भले ही वह धारा–129 के अधीन खातेदार न हो, बिना किसी अनुमति के एक बार 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है।

(ii) भूमि के विक्रय हेतु 12–09–2003 को या उससे पहले निष्पादित रजिस्ट्रीकृत करार वैध होगा यदि ऐसे करार के आधार पर 31–03–2004 को या उससे पहले विक्रय विलेख में उपबन्धित किसी समय सीमा पर विचार किये बिना विक्रय विलेख निष्पादित कर लिया गया हो।

5. मूल अधिनियम में धारा–154 (4) (2) का जोड़ा जाना–

(i) धारा–154(4)(2)– उपधारा 154 (3) की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में भूमि का हस्तान्तरण निषिद्ध है:–

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–617 में परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि अर्जित की गयी हो अथवा सांविधिक (स्टैट्यूटरि) संस्था अथवा निगम अथवा बोर्ड जो किसी संविधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया हो और राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार का हो और उसके द्वारा नियंत्रित हो।

(ख) कोई भी व्यक्ति जो निम्नलिखित कारणों से खातेदार न रह गया हो:–

(i) यदि उसकी भूमि लोक प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन अधिग्रहीत की गयी हो; अथवा

(ii) यदि उसकी भूमि इस अधिनियम के अधीन किसी खातेदार में निहित हो गयी हो;

(ग) कोई भी व्यक्ति जो खातेदार न हो, राज्य आवास विकास परिषद, अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित किसी अन्य सांविधिक निगम से मकान या दुकान बनाने के लिए भूमि खरीदता है या खरीदना चाहता है अथवा बना–बनाया मकान या दुकान खरीदता है;

(घ) कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदना चाहता है जिसके पक्ष में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नक्शा (ले आउट प्लान) अनुमोदित कर दिया गया है;

(ङ) कोई व्यक्ति अथवा कम्पनी उत्तरांचल की औद्योगिक नीति के अनुसार (1) एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र (2) औद्योगिक क्षेत्र (3) औद्योगिक एस्टेटों में भूमि खरीद सकता है;

(च) धार्मिक प्रयोजनों के लिये कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा न्यास।

(छ) उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूर; अथवा

(ज) उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति; अथवा

(झ) उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी; अथवा

(ट) उत्तरांचल का कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमि हीन व्यक्ति।

6. मूल अधिनियम में धारा–154 (4) (3) का जोड़ा जाना–

(I) धारा–154(4)(3)(क)– धारा 154 के प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा निगमित निकाय उत्तरांचल में सरकार की पूर्व अनुमति से कृषि और औद्यानिकी से भिन्न निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये भूमि क्रय कर सकता है:–

(i) चिकित्सा अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये, यदि वह उत्तरांचल की स्वस्थ्य तथा जनसंख्या नीति के अनुरूप हो;

(ii) किसी होटल, ठहरने का स्थान (लॉज), अतिथिगृह, भोजनालय (रेस्ट्रा), मद्यशाला, (बार), सखनिज झरना (स्पा), मार्ग में सुविधाएं

अथवा सैरगाह (रिजॉर्ट) के लिये, यदि वह राज्य की पर्यटन नीति के अनुरूप हो;

(iii) शिक्षा विभाग की संस्तुति पर शिक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये;

(iv) ऐसे सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिये, जो विहित किये जाएं।

(v) धारा–154(4)(2) के उपखण्ड (ङ) में उल्लिखित स्थलों से भिन्न स्थलों पर औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने एवं ऐसे अन्य प्रयोजनार्थ, जो विहित किए जाएं।

(ख) कोई व्यक्ति, सोसाइटी अथवा कम्पनी कृषि अथवा औद्यानिक प्रयोजनों के लिये, इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात कि ऐसी भूमि का उपयोग केवल कृषि अथवा औद्यानिकी हेतु और ऐसे उपयोगों के लिये किया जायेगा जो कृषि अथवा औद्यानिकी से सम्बन्धित तथा आनुषंगिक हों, जनपद के कलेक्टर की पूर्व अनुमति से भूमि खरीद सकेगा। यदि शपथ–पत्र में उल्लिखित भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाता है तो हस्तान्तरण शून्य हो जायेगा।

परन्तु उपबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि वह खातेदार नहीं है किन्तु धारा–154(4)(1), 154(4)(2)(ङ) तथा 154(4)(2)(च) के अधीन भूमि बिना स्वीकृति के क्रय करता है, तथा धारा–154(4)(3) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से भूमि क्रय करता है, तो वह इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु भूमि के ऐसे क्रय के बाद भी खातेदार नहीं रहेगा। इस उपधारा के उल्लंघन में किया गया कोई भी क्रय विक्रय शून्य हो जायेगा।

अग्रेतर उपबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो खातेदार नहीं है और जो बिना अनुमति के धारा–154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) के अधीन भूमि क्रय करता है अथवा धारा–154(4)(3) के अधीन जिसे भूमि क्रय करने की अनुज्ञा शासन अथवा जिलाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, द्वारा प्रदान की गयी है, दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय बिलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उक्त भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिए उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है

तो इस प्रकार खरीदी गयी भूमि का हस्तान्तरण इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा।

(4) कोई भी निबन्धक अथवा उप निबन्धक जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 (अधिनियम संख्या–16 वर्ष 1908) के अधीन नियुक्त हुआ हो, किसी ऐसे हस्तान्तरण से सम्बन्धित अभिलेखों का पंजीकरण नहीं करेगा जिससे उपधारा–152(क), 154(3) अथवा 154(4)(3) का उल्लंघन होता हो।

परन्तु उपबन्ध यह है कि निबन्धक, अथवा उप निबन्धक किसी हस्तान्तरण का पंजीकरण कर सकता है, यदि बन्धक विलेख किसी भूमि पर स्थित भवन निर्माण के लिए अथवा उसमें सुधार के लिए सरकार अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा गठित अथवा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया हो।

(4–क) यदि,

(क) निबन्धक अथवा उपनिबन्धक के समक्ष, जो भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन तैनात किये गए हों, ऐसी भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित अभिलेख पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर उसके संज्ञान में आता है अथवा उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस हस्तान्तरण से उपधारा–152(क), 154(3) अथवा 154(4)(3), का उल्लंघन होता है, अथवा

(ख) राजस्व अधिकारी को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर अथवा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस भूमि का हस्तान्तरण किया गया है अथवा हस्तान्तरा किया जा रहा है उससे उपधारा–152(क), 154(3) अथवा 154(4), 154(4)(2)(च) अथवा 154(4)(3) के प्राविधानों का उल्लंघन हो रहा है, तब वह उप निबन्धक, निबन्धक अथवा राजस्व अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस जिले के कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा जिसमें वह भूमि या उसका भाग स्थित हो।

ऐसा निर्देश प्राप्त होने पर कलेक्टर अथवा यदि राजस्व अधिकारी स्वयं कलेक्टर हो तो वह, आवेदन प्राप्त होने अथवा किसी स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर अथवा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस भूमि का हस्तान्तरण किया गया है अथवा किया जा रहा है उससे उपधारा–152(क), 154(3), 154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) अथवा 154(4)(3) के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है, हस्तान्तरण के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और जांच करने का पश्चात् यह अवधारित करेगा कि

क्या उक्त भूमि के हस्तान्तरण से उपधारा–152(क), 154(3), 154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) अथवा 154(4)(3) का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं और उसको किया गया निर्देश प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवसों के अन्दर अथवा उससे अधिक अवधि जैसा कि मण्डल आयुक्त अनुमति दें, जिसके लिये उन्हें लिखित रूप में कारण अभिलिखित करने होंगे, उन पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करेंगे और वह अपने निष्कर्ष से सम्बन्धित निबन्धक अथवा राजस्व अधिकारी को सूचित करेंगे।

(4–ख) कोई व्यक्ति कलेक्टर द्वारा अभिलिखित इस निष्कर्ष से कि भूमि विशेष के हस्तान्तरण से उपधारा–152(क), 154(3) 154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) अथवा 154(4)(3) के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है व्यथित होता है तो वह कलेक्टर द्वारा ऐसे निर्णय के अभिलिखित किये जाने के दिनांक के 30 दिन के अन्दर या ऐसे अधिक समय के अन्दर जिसकी मण्डल आयुक्त अनुमति दें, जिसके कारणों को मण्डलायुक्त द्वारा, जिसके अधीन वह कलेक्टर हो, लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा, उनके यहां अपील दायर करेगा। मण्डलायुक्त पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए तथा कलेक्टर के कार्यालय से मामले के अभिलेख मंगाकर कलेक्टर के आदेश को बदल सकते हैं, प्रत्यावर्त (उलट) अथवा उसकी पुष्टि कर सकते हैं। इस प्रकार मण्डलायुक्त का आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा।

(4–ग) (क) राज्य सरकार राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट या किसी के आवेदन पर या स्वयं, किसी कार्यवाही के अभिलेख, जो राजस्व अधिकारी के पास लम्बित या उसके द्वारा निस्तारित तथा जिसके विरुद्ध अपील हो सकती है परन्तु कोई अपील दायर नहीं की गई है, ऐसी कार्यवाही अथवा उस पर दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य के प्रति अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकती है और उसके सम्बन्ध में जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकती है;

(ख) इस उपधारा के अधीन पारित कोई भी आदेश, जो किसी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर दिया जाय।

(4–घ) उपधारा (4–क) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा निर्णीत किसी प्रकरण के विरुद्ध यदि विहित अवधि के अन्दर पुनर्विचार वाद योजित न किया गया हो अथवा मण्डलायुक्त द्वारा उपधारा (4–ख) अथवा राज्य सरकार द्वारा

उपधारा (4–ग) के अधीन यह निर्णय लिया गया हो कि हस्तान्तरण से उपधारा–152(क), 154(3), 154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) अथवा 154(4)(3) के प्राविधानों का उल्लंघन हुआ है तो ऐसा हस्तान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य माना जायेगा तथा ऐसे हस्तान्तरण से सम्बन्धित भूमि तथा उस भूमि पर बने भवन, ढांचे अथवा अन्य संलग्नक आदि, यदि कोई हों, से राज्य में बिना किसी भार के निहित हो जायेंगे।

(5) (क) धारा 152(क), 154(3), 154(4)(2)(ङ), 154(4)(2)(च) अथवा 154(4)(3) एवं धारा 154(4)(4–घ) के अधीन जो भूमि राज्य सरकार में निहित हो गई है अथवा निहित हो सकती हो, उसका ऐसे प्रयोजनों के लिये, जैसा वह उचित समझे, विधिक रूप से उपयोग कर सकेगी।

7. निरसन (अध्यादेश संख्या 06 वर्ष 2003)– उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक इस विधेयक के अंग माने जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

खण्ड–4 में माननीय मंत्री जी कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहती हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि खण्ड–4 में धारा–154 की उपधारा (4) के खण्ड (2) के प्रस्तर (च) के बाद निम्नांकित प्रस्तर बढ़ा दिये जायं:–

"(छ) उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूर, अथवा

(ज) उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति, अथवा

(झ) उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी, अथवा

(ट) उत्तरांचल का कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।"

श्री अध्यक्ष–

मैं नियमों को शिथिल करते हुए संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दे रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–4 में धारा–154 की उपधारा (4) के खण्ड (2) के प्रस्तर (च) के बाद निम्नांकित प्रस्तर बढ़ा दिये जाएं:–

"(छ) उत्तरांचल का भूमिहीन मजदूर, अथवा

(ज) उत्तरांचल का अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का कोई भी भूमिहीन व्यक्ति, अथवा

(झ) उत्तरांचल का ग्रामीण शिल्पी, अथवा

(ट) उत्तरांचल कृषि से सम्बद्ध कार्य करने वाला भूमिहीन व्यक्ति।" संशोधित खण्ड विधेयक का अंग बना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–5, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 जैसा कि सदन की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, यथा संशोधित पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, हमारी जो सम्पत्ति है, चाहे वह सार्वजनिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे कोई पेड़ हो या कोई खम्भा हो, हर जगह एक चीज से बचने का प्रयास किया जाता है। मान्यवर, जब हम किसी गांव या कस्बे से गुजरते हैं तो एक भद्दी तस्वीर हमारे सामने आती है, वह है किसी संस्था अथवा कम्पनी द्वारा लगाया गया अपना विज्ञापन। ये कोई अजीब सी चीज, या कोई पोस्टर कहीं पर भी चिपका देते हैं, इन्हें रोकने के लिए अभी तक हमारे यहां कोई अधिनियम नहीं था। हम अपने प्रदेश को पर्यटन प्रधान प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसलिए हमें सफाई में मानदंड स्थापित करने होंगे।

मान्यवर, इसी उद्देश्य से यह बिल हम लाए हैं। इसमें दो प्रस्तावों का जिक्र मैं करूंगा। सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन का जिक्र करूंगा, जिन्होंने दीवारों पर पोस्टर लगाने पर रोक लगाई, जो बैनर लगाये जाते थे मार्गों के बीच में उस पर भी रोक लगाई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीती में सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी नेशनल कम्पनी के खिलाफ जो चट्टानों में अपने विज्ञापन लगाये उनके ऊपर भारी मात्रा में दण्ड का प्राविधान किया गया है। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारा यह प्रयास है कि वर्तमान में नगर निगम एवं नगरपालिका अधिनियमों में अथवा अन्य निगमों आदि में सार्वजनिक सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने के लिए हम यह कदम उठा रहे हैं। उत्तरांचल राज्य में पर्यटन एक प्रमुख आधार है, पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु यह आवश्यक है कि यहां की नैसर्गिक सुन्दरता बनाये रखने के लिए तथा इसे बढ़ाने के लिए हम उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम लाये हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण, विधेयक 2003, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग का हवाला देते हुए सदन को अवगत कराया कि उसी के निर्देशों के अनुसार व उसकी प्रेरणा से हम यह विधेयक लाए हैं, मान्यवर, हम यदि इसके उद्देश्य और कारणों पर नजर डालें तो नैसर्गिक

सुन्दरता को बनाये रखने और उसे बढ़ाये जाने के लिए आवश्यक हुआ तभी यह विधेयक बना। लेकिन जब हम इस विधेयक के अन्य उपबन्धों को देखें तो लोक सम्पत्ति में कोई भवन, झोपड़ी संरचना, दीवार पेड़ बाड़ का खम्भा अथवा कोई अन्य निर्माण सम्मिलित होगा। मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर कुछ भी निर्माण कार्य हों वह इस विधेयक में सम्मिलित है। मान्यवर, यदि कोई व्यक्ति अच्छी बात का, अच्छी चीज का प्रचार–प्रसार करना चाहे तथा नीतिगत वाक्यों को लिखना चाहे तो वह दण्ड का भागी होगा। इसके लिए कोई अनुमति लिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

मान्यवर, इस विधेयक में एक और विचित्र बात है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने भवन में भी कुछ लिख रहा है तो वह भी दण्डित किया जायेगा। भवन मालिक केवल अपना नाम लिख सकता है। यदि और कुछ लिखता है तो उसे एक वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मकान में गीता का श्लोक या कुरान की आयतें नहीं लिख सकता है जबकि इस विधेयक में इसका प्राविधान होना चाहिए। मान्यवर, इसी प्रकार धारा–3 क में रंजिशन कोई व्यक्ति किसी के भवन में कुछ लिख देता है तो उसका दण्ड भी उसे ही दिया जायेगा।

मान्यवर, किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी या अन्य निगमित संस्था या व्यक्तियों के संगम (निगमित अथवा अनिगमित) के हित के लिये किया गया है तो ऐसा अन्य व्यक्ति तथा किसी अन्य कार्यालय का प्रत्येक सभापति, अध्यक्ष, निदेशक, भागीदार प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता (एजेंट) तथा उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित व्यक्ति जब तक यह सिद्ध नहीं करता कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति से नहीं हुआ है तब तक वह ऐसे अपराध के लिये दोषी समझा जायेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का कष्ट करें। मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय तथा चुनाव आयोग के नियमों का पालन होना चाहिए लेकिन एक समय सीमा के अन्दर रहते हुए होना चाहिए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में निर्णय तभी होगा जब हम इसका गहराई से अध्ययन करें। मान्यवर, इसी के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो विधेयक की व्यवस्था की गयी है, उसे हम पर्याप्त समझते हैं। जहां तक आपने सुझाव के रूप में इंस्पेक्टर राज का जिक्र किया, और किसी का उत्पीड़न न हो, की बात है। जब हम नियमावली बनायेंगे तो उस समय इसका ध्यान रखेंगे। मान्यवर, जहां तक दंड की बात है, यह संज्ञेय अपराध है, यह कानून के

माध्यम से होगा, किसी का अनैतिक उत्पीडन नहीं होना चाहिए, जहां तक रंजिश की बात है तो यह आदमी को सिद्ध करना होगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, रिपोर्ट का अधिकार किसको है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, रिपोर्ट का अधिकार जिलाधिकारी को है। मान्यवर, कोई किसी भी किस्म का आदमी क्यों न हो तथा उसका कितना ही बडा घर क्यों न हो किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे के घर पर पोस्टर लगाए। इसकी अनुमति नगर निगम देगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–7 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003

(उत्तरांचल विधेयक संख्या वर्ष 2003)

(उत्तरांचल राज्य में लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण हेतु विधेयक, 2003

चूंकि लोकहित में यह आवश्यक हो गया है कि लोक सम्पत्ति को विरूपित करने पर रोक लगायी जाये और उससे सम्बन्धित मामलों हेतु आनुषांगिक विषय के लिये;

"भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियम किया गया।"

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर नियत करें।

2. परिभाषाएं–

जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में–

(क) "जिलाधिकारी" का तात्पर्य उत्तरांचल राज्य के सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी से है,

(कक) 'विरूपण' में लोक सम्पत्ति के रूप एवं सुन्दरता को हानि पहुंचाना अथवा हस्तक्षेप, क्षति पहुंचाना, विद्रूषण, बिगाड़ना अथवा किसी अन्य प्रकार से क्षति पहुंचाना सम्मिलित है तथा विरूपण शब्द का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा।

(ख) "लोक सम्पत्ति में कोई भवन, झोंपड़ी, संरचना, दीवार, पेड़, बाड़ का खम्भा अथवा कोई अन्य निर्माण सम्मिलित होगा।"

(ग) लेख में सजावट, अक्षरांकन, अलंकरण आदि सम्मिलित हैं।

3. लोक सम्पत्ति विरूपण के लिये दण्ड–

(1) रोशनाई, खड़िया मिट्टी, रंग पेंट अथवा किसी अन्य पदार्थ से लोक सम्पत्ति का विरूपण, जिसमें विज्ञापन पत्रों को चस्पा करना भी सम्मिलित है, करने वाले व्यक्ति को (ऐसी सम्पत्ति के मालिक अथवा अधिभोगी को छोड़कर जो उस पर अपना नाम व पता इंगित करता है) एक वर्ष तक कारावास अथवा दस हजार तक जुर्माना अथवा दोनों दण्डों से दण्डित किया जा सकेगा।

(2) यदि अपराध उपधारा (1) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी या अन्य निगमित संस्था या व्यक्तियों के संगम (निगमित अथवा अनिगमित) के हित के लिये किया गया है तो ऐसा अन्य व्यक्ति तथा किसी अन्य कार्यालय का प्रत्येक सभापति, अध्यक्ष, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता (एजेन्ट) अथवा उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित

व्यक्ति जब तक यह सिद्ध नहीं करता कि अपराध उसकी जानकारी या सहमति से नहीं हुआ है तब तक वह ऐसे अपराध के लिये दोषी समझा जायेगा।

4. अपराध का संज्ञेय माना जाना–

इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय अपराध होगा।

5. जिलाधिकारी को लेख इत्यादि को हटाने की शक्ति–

धारा–3 के प्राविधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिलाधिकारी ऐसे कदम उठाने के लिये सक्षम होगा जो लोक सम्पत्ति से किसी लेख को मिटाने, विरूपण को ठीक किये जाने या चिन्ह को हटाने के लिये आवश्यक हों।

6. नियम बनाने की शक्ति–

राज्य सरकार को राजपत्र में अधिसूचित कर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियम बनाने की शक्ति होगी, जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिये शुल्क विहित किये जाने वाले नियम भी सम्मिलित हैं।

7. अन्य विधियों पर अधिनियम का अध्यारोही होना–

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–7 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, हरिद्वार के कुम्भ में करोड़ों लोग आते हैं, ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जो इस अवसर पर नहीं आते हैं, पर उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है। इसलिए एक निधि की व्यवस्था करने का विचार आया। यह राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो चाहे वह इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी धनराशि दान स्वरूप दे सकता है। यह कुम्भ निधि का एक छोटा सा प्रयास किया जाए, इसकी जरूरत इसलिए भी है कि जब कुम्भ होता है तो हम काम करते हैं, हमने सोचा कि एक निधि रहे जिसमें धन उपलब्ध होता रहे और लगातार इस कार्य को करते रहें, तो यह हमारे कुम्भ क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं चाहता हूँ कि इस पर विचार करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।"

मान्यवर, हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 माननीय मंत्री जी लाये हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छी शुरूआत उन्होंने की है। मान्यवर, यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में आ गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई कमियां रह गयी हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि धारा–1 की उपधारा–2 में कहा गया है कि यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा। इसके बाद आप परिभाषा की धारा 2–क में देखें जहां कहा गया है कि 'हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि' का तात्पर्य कुम्भ क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास के लिए स्थापित निधि से है, पर ऊपर कह रहे हैं कि यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा। इसी तरह से धारा 3–(2) में कार्यकारिणी के पदेन सदस्यों की संख्या दी है, जिसमें मुख्यमंत्री, उत्तरांचल, राज्य इसके अध्यक्ष होंगे, शहरी विकास मंत्री, उपाध्यक्ष होंगे, मुख्य सचिव, सदस्य, सचिव नियोजन, सदस्य, सचिव, वित्त, सदस्य सचिव, स्वास्थ्य, सदस्य होंगे।

मान्यवर, जिलाधिकारी हरिद्वार देहरादून, पौड़ी, टिहरी तक सदस्य हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक आ रहा है, वहां के विधायकों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया, वहां के सांसद इसमें क्यों नहीं

आए। मान्यवर, इसमें दलों का क्या चक्कर है? मान्यवर, आज किसी के दल का विधायक होगा, कल किसी के दल का विधायक होगा, परन्तु विधायक तो विधायक है। मान्यवर, सभी दलों के विधायक क्यों नहीं इसमें आते हैं? यदि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की गयी तो यह प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। इसमें संशोधन लाया जाना चाहिए। इसमें विधायकों को जोड़ा जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसमें पर्यटन सलाहकार ही नहीं, बल्कि इसमें नगर पालिका एवं परिषदों के चेयरमैन भी जोड़े जाने चाहिए। मान्यवर, इस विधेयक की धारा–3(ख) में कहा गया है कि "चार सदस्यों को तीन वर्षों के लिए नामित किया जा सकता है।"

लेकिन इसमें यह नहीं स्पष्ट किया गया कि ये सदस्य सरकारी होंगे या गैर–सरकारी। इसी तरह से इस विधेयक की धारा–8 में कहा गया है कि "सचिव शहरी विकास उत्तरांचल के कार्यालय में निधि का कार्यालय पृथक प्रकोष्ठ के रूप में खोला जायेगा", परन्तु इसमें यह नहीं लिखा गया कि इसकी देख–रेख कौन करेगा तथा कार्यालय चलाने हेतु स्टॉफ कहां से आयेगा? क्या नई नियुक्तियां होंगी या नगर विकास के ही कर्मचारी देखेंगे? मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है, इसमें बहुत बड़ी त्रुटियां हैं इसलिए इसमें चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, इसी प्रकार इस विधेयक की धारा–9 में "कोष स्थापित" करने की बात कही गयी है, परन्तु किसके धन से कोष खुलेगा, यह स्पष्ट नहीं है, इसमें यह भी नहीं आया है कि कितनी धनराशि से खुलेगा, यह सरकार के धन से खुलेगा या पदेन सदस्यों के कन्ट्रीब्यूशन से यह भी इसमें स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक की धारा–9 की उपधारा–2 में "विदेशी संस्थाओं एवं भारतीय मूल के विदेशी नागरिक एन0आर0आई0" शब्द भी इसमें जोड़े जाने चाहिए। क्योंकि इसमें जो धन आने वाला है वह मात्र भारत से नहीं आ रहा है बल्कि पूरे विश्व से आ रहा है, जिसकी इसमें भावनाएं जुड़ी हैं। मान्यवर, इसी प्रकार इस विधेयक की धारा–12 में "निधि के दुरूपयोग करने वाले सदस्य पर नियमानुसार वाद चलाया जा सकेगा, दोष सिद्ध होने पर उसे कार्यकारिणी से हटा दिया जायेगा" जोड़ा जाना चाहिए। मान्यवर, इसमें सारे एक्ट के प्रोवीजन आने चाहिए। इसी प्रकार से विधेयक की धारा–9 की उपधारा–7 में "संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा बैंक खातों को परिसंचालित करने" की बात कही गयी है, परन्तु संयुक्त सचिव कौन होगा यह बात नहीं आयी है?

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मुद्दा है आखिर आप संयुक्त सचिव किसे कह रहे हैं। मान्यवर, जो कार्यकारिणी के 14 सदस्यों की सूची है उसमें भी कहीं संयुक्त सचिव का जिक्र नहीं किया गया है। आखिर वह संयुक्त सचिव कौन होगा इसका

कहीं पर भी प्राविधान नहीं है। इसमें ये सारी कमियाँ होने से यह एक्ट पूर्ण नहीं है। मान्यवर, इस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। मान्यवर, मैं पहले ही इस सराहनीय कदम की प्रशंसा कर चुका हूँ कि यह अच्छा प्रयास है, किन्तु एक्ट बन रहा है इसकी कमियों को ठीक किया जाना चाहिए। मान्यवर, पहली बार उत्तरांचल में कुम्भ हो रहा है, दो मिनट का और समय लूँगा। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, यदि माननीय मंत्री जी कृपापूर्वक शामिल करेंगे तो उचित होगा। मान्यवर, हरिद्वार दो पर्वतीय क्षेत्रों, दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच में बना है एक है–बिल्लेश्वर और दूसरा है नीलेश्वर।

मान्यवर, जो बिल्लेश्वर पहाड़ी है उसमें बाई पास बना है, जो अब धंस गया है, इस बाई पास का खोला जाना अति आवश्यक है, इससे पूरे हरिद्वार के ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जायेगा। मान्यवर, यदि कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो गयी तो फिर बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। मान्यवर, कुम्भ प्रारम्भ होने से पहले इसका निर्माण करा दिया जाय। दूसरा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम ट्रस्ट वाले आई०एस०बी०टी० के लिए जगह देने को तैयार है, मेरी जानकारी में है कि मेलाधिकारी के पास उनका पत्र भी है, ऋषिकुल आश्रम को इससे लगभग 2 करोड़ की रायल्टी मिल जायेगी। ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थिति भी इससे सुधर सकती है। ऐसा करने के लिए सिर्फ एक पुल बाई पास से फील्ड को जोड़ने हेतु बनाना है, जो पुल डाम कोठी से लगभग 500 मीटर नीचे से बन रहा है यहाँ पर अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल बनने के बाद आज जहाँ बस स्टैण्ड है उसकी भूमि भी खाली हो जायेगी, यह भूमि नगर पालिका की है, यह भूमि 20 हजार वर्ग मीटर है, यहाँ की कीमत 10 हजार रु० प्रति वर्ग मीटर है। इस प्रकार यह भूमि 200 करोड़ रुपये की है, इसमें यदि बिजनेस काम्पलेक्स बने और छोटी गाड़ियों की पार्किंग बने तो नगर पालिका को इतनी अधिक आय हो जायेगी कि फिर उसे और धन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार ट्रैफिक की समस्या का समाधान भी हो जायेगा। इस प्रकार यह अतिरिक्त आय का साधन होगा। और सरकार को पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि बस स्टैण्ड वाली जो जगह खाली होगी, उसके ब्याज से ही खर्चा चल जायेगा और हमें केन्द्र से कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा।

मान्यवर, सत्ती कुण्ड की घोर अपेक्षा की गयी है, जबकि हरिद्वार में इसका बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है, आज सत्ती कुण्ड के आस पास अत्यधिक गन्दगी है तथा सुअर घूमते हुए देखे जा सकते हैं और गन्दा पानी कुण्ड में जा रहा है, इसे तुरन्त ठीक किया जाना चाहिए और इसका सौन्दर्यीकरण होना चाहिए। मैं एक और छोटा सा सुझाव देना चाहता हूँ जो नया कलेक्ट्रेट बना है वहां पानी की बहुत कमी है, मेरे संज्ञान में आया है कि पानी की कमी के कारण वहां एक ही फसल ली जाती

है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए 5 से 10 क्यूसेक पानी की एक पम्प नहर बनायी जा सकती है, जिससे कलेक्ट्रेट के पास की सारी जमीन आबाद भी हो जायेगी एवं भविष्य में नगर का विस्तार भी होगा तो इससे पानी की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि गंगा नहर में आजकल 4000 क्यूसेक पानी है, बरसात में 12000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। टिहरी बांध बनने के बाद भी इसमें 10 हजार क्यूसेक पानी हमेशा रहेगा। बरसात में गंगा जी में एक लाख साठ हजार क्यूसेक से दो लाख क्यूसेक तक पानी आ जाता है।

मान्यवर, वहां पर पम्प नहर बनने से कलेक्ट्रेट की पेयजल की समस्या का समाधान हो जायेगा। मैं इसी के साथ अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इन सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं माननीय अजय भट्ट जी के प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया तीन मिनट में अपनी बात पूरी करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी जो हमारे माननीय सदस्य ने प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा उस पर बल देते हुए और माननीय अजय भट्ट ने जो इसमें संशोधन बताया उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ कि जब इसका उत्तर दे तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी हमें दें। मान्यवर, यह जो पदेन सदस्य हैं जिसमें मुख्यमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है और जो मेलाधिकारी को सदस्य बनाया गया है तो वह मेलाधिकारी कौन होगा? आने वाले या फिर जाने वाले। यह जानकारी इसमें नहीं दी गयी। इसलिए मेलाधिकारी के बारे में कृपया स्पष्ट करें। दूसरा कार्यकारिणी में अधिकतम चार सदस्यों को तीन वर्ष के लिए नामित किया गया है तो इसमें तो सारे सचिव ही हैं बाकि मंत्री। इन चारों में निर्णय कौन लेगा?

मान्यवर, जो कुम्भ निधि वाली बात है तो वास्तव में हम इसके लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चूंकि 6 वर्ष के बाद जब भी कुम्भ या अर्द्धकुम्भ होता है और करोड़ों रुपये एक साथ चार–पांच महीनों में खर्च करने पड़ते हैं और यह किस प्रकार खर्च होता है यह सभी जानते हैं और इसके बारे में पहले मैं बता

चुका हूँ इस समय बताने की आवश्यकता नहीं। मान्यवर, इसमें जो प्रबन्ध समिति द्वारा निधि के कार्यकलापों का संचालन उपहार, दान, अनुदान, विनियम, पट्टा द्वारा भूमि गवन या अन्य सम्पत्ति तो इसमें यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इसको प्रारम्भ तो किया लेकिन इसकी शुरूआत कहाँ से करेगी।

मान्यवर, हरिद्वार के अन्दर ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि गंगासभा द्वारा दान लिया जाता है और पूरी व्यवस्था देखती है अन्य कई सामाजिक और धार्मिक प्रतिष्ठान हैं जो इसकी सारी व्यवस्था करते हैं तो जितने भी लोग हैं चूंकि इनका ऑफिस देहरादून में है तो वे किस प्रकार से हरिद्वार में व्यवस्था करेंगे। इसकी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। प्रबन्ध कर्मचारियों का नियंत्रण बनाए रखने की बात तो ऑफिस यहीं बनाया गया है फिर कर्मचारियों को किस आधार पर रखा जायेगा उनका क्या वेतन होगा और कौन–कौन से कर्मचारी होंगे? यह इसमें नहीं दिया गया है। इसी प्रकार दान के सम्बन्ध में भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

मान्यवर, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि जो दान आयेगा उसका उपयोग कैसे किया जायेगा, जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं किस प्रकार उनकी व्यवस्था होगी?

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस विधेयक में लिखा है कि "कार्यकारिणी अथवा इसके किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निधि के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये किसी कृत्य या तात्पर्यित रूप से समझे गये किसी कृत्य के लिये कोई वाद या कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जा सकेगी।" मान्यवर, क्यों नहीं की जायेगी। यह अरबों रुपयों की बात है तो न्यायालय जाने का अधिकार क्यों नहीं है? मान्यवर, बहुत जल्दी में यह विधेयक लाया गया है। मैं माननीय अजय भट्ट जी के प्रस्ताव पर बल देता हूँ और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे प्रवर समिति को सौंपा ही जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं माननीय अजय भट्ट जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देती हूँ। मान्यवर,

मैं माननीय शहरी विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि निश्चित रूप से हरिद्वार जो कि उत्तरांचल ही नहीं पूरे देश की धार्मिक आस्था का केन्द्र है और पूरे विश्व से लोग इस तीर्थ में आते हैं। इसकी व्यवस्था के लिए एक निधि होनी चाहिए, इस पर आपने विचार किया और इस विधेयक को सदन में लाये।

लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही इसमें बहुत ही त्रुटियां रह गई हैं जिनका संशोधन किया जाना आवश्यक है। मान्यवर, इसके पृष्ठ संख्या–3 के अध्याय–2 में निधि की कार्यकारिणी के सदस्यों का उल्लेख किया गया है। अभी माननीय अजय भट्ट जी ने जैसा कहा कि ऐसा लगता है कि शासन और प्रशासन का ही इसमें वर्चस्व रहेगा। मान्यवर, मेरा कहना है कि जैसे इसमें अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद एवं श्री गंगा सभा के प्रतिनिधि रखे गये हैं। उसी प्रकार कुम्भ क्षेत्र के माननीय विधायकों एवं सांसदों को भी कार्यकारिणी में रखना चाहिए था। जिससे शासन एवं प्रशासन के दबाव से इसे मुक्त रखा जा सकेगा। मान्यवर, इस विधेयक के पृष्ठ–5 के नियम–5 के खण्ड (ख) में दिया गया है कि "अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारिणी की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा उसमें समस्त वे शक्तियां निहित होंगी जो उसे औपचारिक रूप से लिखित रूप में अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित की जायें।" मान्यवर, लेकिन इसमें यह परिभाषित नहीं किया गया है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बैठक में उपस्थित नहीं होंगे तो इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा या जो यह बैठक होगी या उसे निरस्त किया जायेगा या किसी सदस्य के माध्यम से उसका संचालन किया जायेगा तथा बैठक में कोरम पूर्ण होने पर ही बैठक होगी। इसका भी कोई स्पष्ट उल्लेख इस विधेयक में नहीं किया गया है। इसके अलावा इसके पृष्ठ–6 के अध्याय–3 के नियम–8 में निधि का कार्यालय देहरादून अर्थात निधि के पदेन सचिव के कार्यालय में रखा गया है, यदि उत्तरांचल की राजधानी भविष्य में देहरादून से कहीं और बनाई गई तो इसका कार्यालय, राज्य की जो राजधानी होगी वहां जायेगा या देहरादून में ही रहेगा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम में स्पष्ट होना चाहिए था कि उत्तरांचल शासन के मुख्यालय, सचिवालय में पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा। यह भी इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है।

मान्यवर, इसके पृष्ठ–6 के नियम–9 में यह स्पष्ट किया गया है कि इस निधि हेतु एक कोष स्थापित किया जायेगा। जिससे समस्त धनराशि दान एवं अनुदान से मिली राशि को जमा किया जायेगा। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी संस्थाओं या न्यासों एवं व्यक्तियों से जो धन अंशदान जुटाया जायेगा, क्या वह आयकर से मुक्त होगा या ऐसे दानियों को इस धनराशि पर आयकर भुगतान करना पड़ेगा? इसको स्पष्ट होना चाहिए था। इसके अलावा पृष्ठ संख्या–7 के अध्याय–3 के पांचवे बिन्दु

में चार्टड एकाउन्टेंट की व्यवस्था की गई है। किन्तु इसमें महालेखाकार द्वारा ऑडिट कराया जाना चाहिए यह कराया जायेगा या नहीं इसको भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि प्रतिवर्ष महालेखाकार द्वारा इसका ऑडिट कराया जाना चाहिए तथा स्थानीय चार्टड एकाउन्टेंट के द्वारा भी प्रतिमाह ऑडिट कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पृष्ठ संख्या-8 के अध्याय-4 के नियम-12 में कहा गया है कि "कार्यकारिणी अथवा इसके किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निधि के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये किसी कृत्य व तात्पर्यित रूप से समझे गये किसी कृत्य के लिए कोई वाद या कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जा सकेगी।" यह बड़ी आपत्तिजनक बात है यदि कार्यकारिणी या किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध क्या दण्ड देना है, इसका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। यदि अपराध सिद्ध हो जाये तो क्या प्रावधान होगा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल-

मान्यवर, अध्याय-4 के नियम-13 में है कि कार्यकारिणी उप नियम बना सकती है जैसाकि वे विधि के अनुसार उचित समझें, किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार इसके लिए नियमावली बना सकती है। मान्यवर, यह हमारे उत्तरांचल का सौभाग्य है कि हमारे यहां हरिद्वार जो कुम्भ क्षेत्र है हमारी सीमा में है और वह हमारी संस्कृति का द्योतक है निश्चित रूप से इसके लिए निधि बननी चाहिए, लेकिन आवश्यक संशोधन होने के बाद ही इस विधेयक को आना चाहिए। अतः मैं माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देती हूँ और मांग करती हूँ कि हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल-

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात को खत्म कर लूंगा, कृपा करके थोड़ा समय मुझे भी दे दें।

(व्यवधान)

मान्यवर, हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 जो आज यहां पर आया और उस पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, परन्तु एक बिन्दु पर मेरी भी असहमति है पूरे विधेयक में चर्चा के दौरान तमाम माननीय सदस्यों ने कार्यकारिणी के बारे में जन प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने की जो बातें की, उससे मैं अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई।)

मान्यवर, जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसमें जगह नहीं दी जाएगी, तब-तक मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य पूरा होगा। मेरा अनुरोध है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में कुम्भ क्षेत्र आता है, वहां के विधायकों को भी इसमें रखा जाए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, आज यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं नगर विकास मंत्री हूँ, पहले मैं एक विधायक हूँ। मान्यवर, अपने विधानसभा क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर विधायक का नियंत्रण होता है। निधि के प्रबन्धन से इसको न जोड़िए। मान्यवर, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हम विभिन्न जगहों पर विचार–विमर्श करते हैं। मान्यवर, विधायक होने के नाते हमारा एक सम्मान है, उसमें किसी किस्म की चोट नहीं हुई है। यह प्रशासनिक व्यवस्था है कि इस निधि को कैसे प्रयोजन में लाया जाए। सती कुण्ड का उल्लेख माननीय अजय भट्ट जी ने किया।

मान्यवर, सती कुण्ड को देखा जाए तो यह हरिद्वार का पौराणिक इतिहास है। उस स्थल का कुण्ड तो बिल्कुल ही गायब हो गया था। हमने उस नहर को भी खोजा, जो इसे गंगा से जोड़ती थी। उसे फिर से चालू करना संभव नहीं है। हम इसके लिए आर्टीफीशियल व्यवस्था कर रहे हैं। हम इस कुण्ड में पानी भरने का प्रयास कर रहे हैं। इसे देखने से यह भी ज्ञात हुआ कि इसकी मरम्मत भी की गयी थी लेकिन उस मरम्मत की भी उपेक्षा होती रही। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सती कुण्ड और भीमगौड़ा दोनों का विकास किया जाना चाहिए। बाईपास के बारे में भी विचार किया गया लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं निकला सका। वहां पर पहाड़ धंस रहा है, इसलिए इस अर्द्ध कुम्भ में हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।

हमने रुड़की विश्वविद्यालय से अनुरोध किया है कि इसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें तो उचित होगा। आई0एस0बी0टी0 के सम्बन्ध में भी सुझाव आया।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय विधायकों और जन प्रतिनिधियों से वार्ता करने के बाद ही हम आई0एस0बी0टी0 की घोषणा करेंगे। वहां की मूल समिति से हमें यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि यदि इस स्थल को हम मुख्य बाईपास मार्ग से जुड़वा देते हैं तो हमें अर्द्ध कुम्भ में इस तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान्यवर, जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में एन0आर0आई0 की बैठक होने जा रही है, हमारी कोशिश है कि हम अपनी नीतियों की सूचना उस बैठक में दे सकें। यदि हम विदेश में भारतीय मूल के लोगों से धन एकत्र करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेन्ज से अनुमति लेनी होगी। माननीय मदन कौशिक जी ने मेलाधिकारी के बारे में चिन्ता जाहिर की।

मान्यवर, हरिद्वार का कुम्भ तो मेला के रूप में प्रस्तावित है परन्तु हरिद्वार में कितने ही अवसर ऐसे आते हैं जिसमें इतनी ही बड़ी संख्या में और कभी-कभी तो इससे भी ज्यादा संख्या में वहां लोग आते हैं, तो मेरा मानना यह है कि हम मेला की एक परमानेन्ट व्यवस्था वहां पर करें। पूर्व में जब कुम्भ का मेला होता था तो तभी व्यवस्था की जाती थी जो कि अस्थाई व्यवस्था होती थी जो 3-4 माह के लिए की जाती थी। कुम्भ एवं अर्द्धकुम्भ पर्वों के दौरान लोगों की संख्या करोड़ों में होती है इस सन्दर्भ में यह अनुभव किया गया है कि जहां एक ओर वांछित जन सुविधाओं एवं भौतिक अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण किया जाना आवश्यक है वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के भौतिक एवं नैसर्गिक सौन्दर्य तथा मन्दिरों एवं तीर्थ यात्रियों के महत्व के स्थानों का संरक्षण भी किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारी बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने को कोष की स्थापना करना आवश्यक है। यह निधि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जायेगी जिसमें व्यक्तियों, निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं, न्यासों, निगमित निकायों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त दान एवं योगदान भी इसमें सम्मिलित होंगे।

मान्यवर, अब मेला प्रशासन की व्यवस्था एक स्थाई व्यवस्था होगी जो कुम्भ मेले के अलावा अन्य मेलों के लिए भी होगी। क्योंकि कुम्भ मेले के अतिरिक्त भी जो अन्य धार्मिक प्रयोजन या मेले होते हैं चाहे वह 4-5 दिन के लिए ही हों सम्पत्ति की सुरक्षा व्यवस्था हमें करनी होगी। इसके अतिरिक्त जैसा कि न्यायालय के बारे में कहा, न्यायालय में रिट दी जा सकती है। इसमें धन एकत्रित करने के लिए व्यवस्था की जायेगी। मैं इस अवसर पर विपक्ष के सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस निधि की स्थापना के विधेयक पर अपना समर्थन दिया है। यदि कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो हमें संशोधन करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस समय को देखते हुए वह अपना प्रवर समिति का प्रस्ताव वापस लेने पर विचार करें और इस निधि की स्थापना में सहयोग करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विधायक जो हैं, वह परमानेन्ट बॉडी नहीं है। जबकि विधायक हमेशा रहेगा, पर दल एवं पार्टी अलग–अलग हो सकते हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, विधायक तो रहेगा ही कभी कोई चुनकर आयेगा, कभी कोई चुनकर आयेगा। मेरे कहने का आशय यह नहीं था। उसके नियंत्रण में सदैव रहेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कभी भी जनप्रतिनिधियों को इग्नोर नहीं किया गया, ऐसा पहली बार हुआ है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कुम्भ की जो समिति बनती है, उसकी भी एक नियमित व्यवस्था है। (व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी इसमें विधायकों एवं सांसदों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को जुड़वा देते हैं तो इसको वापस लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 को इस सदन के प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 पर विचार कर लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–14 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003

(विधेयक संख्या..............वर्ष 2003)

कुम्भ क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास के लिये निधि स्थापित किये जाने हेतु

विधेयक

भारत के गणराज्य के 54वें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार–

(1) यह अधिनियम हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि, अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी समझा जायेगा।

2. परिभाषायें– जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:–

(क) "हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि" का तात्पर्य कुम्भ क्षेत्र के संरक्षण एवं विकास के लिए स्थापित निधि से है,

(ख) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष, कार्यकारिणी निधि से है,

(ग) "उपाध्यक्ष" का तात्पर्य उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी निधि से है,

(घ) "सदस्य सचिव" का तात्पर्य सदस्य सचिव अनन्त निधि से है,

(च) "वर्ष" का तात्पर्य पहली अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले 12 माह से है,

(छ) "कोष" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्राप्तियों से है,

(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

अध्याय–2

3. निधि की कार्यकारिणी– (1) निधि की एक कार्यकारिणी होगी जो निधि के कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगी एवं अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेगी। निधि के वित्तीय एवं इतर समस्त कार्यकलाप कार्यकारिणी द्वारा प्रशासित होंगे। यह एक निगमित निकाय होगा जिसकी शाश्वत उत्तराधिकारिता तथा एक सामान्य मुद्रा होगी।

(2) कार्यकारिणी के निम्न सदस्य होंगे:–

(क) पदेन सदस्य:

(1)	मुख्यमंत्री, उत्तरांचल राज्य	अध्यक्ष
(2)	शहरी विकास मंत्री, उत्तरांचल राज्य	उपाध्यक्ष
(3)	मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य	सदस्य
(4)	सचिव नियोजन, उत्तरांचल राज्य	सदस्य
(5)	सचिव, वित्त, उत्तरांचल राज्य	सदस्य
(6)	सचिव, स्वास्थ्य, उत्तरांचल राज्य	सदस्य
(7)	सचिव, पर्यटन, उत्तरांचल राज्य	सदस्य
(8)	सचिव, संस्कृति, उत्तरांचल राज्य	सदस्य
(9)	सचिव, शहरी विकास, उत्तरांचल राज्य	सदस्य सचिव
(10)	आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, गढ़वाल	सदस्य
(11)	कुम्भ मेलाधिकारी, हरिद्वार	सदस्य
(12)	अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद, हरिद्वार	सदस्य
(13)	श्री गंगा सभा, हरिद्वार के अधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य
(14)	जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी,	सदस्य

(ख) नामित सदस्य: (1) कार्यकारिणी अधिकतम चार सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित कर सकेगी।

(2) कार्यकारिणी द्वारा व्यापार एवं उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कला एवं संस्कृति तथा समाजसेवा एवं साहित्य के क्षेत्रों के मूर्धन्य व्यक्तियों को संरक्षक की प्रास्थिति से विभूषित किया जा सकता है। इन संस्थाओं को निधि के उद्देश्यों एवं कारणों को अग्रसर करने हेतु बहुमूल्य परामर्श/संरक्षण देने हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा।

4. कार्यकारिणी की शक्तियां, कर्तव्य एवं अधिकार– (1) निधि के कार्यकलापों का संचालन एवं प्रबन्धन कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा, जो उल्लिखित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के अनुरूप निधि की ऐसी शक्तियों एवं प्राधिकार का प्रयोग करेगी जो इसके सुगम संचालन के लिए विवेकपूर्ण और आवश्यक हो।

(2) निधि की समस्त चल एवं अचल या अन्य प्रकार की सम्पत्ति कार्यकारिणी में निहित होगी।

(3) पूर्वगामी प्राविधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्यकारिणी की निम्नलिखित शक्तियां होंगी।

(i) उपहार, दान, अनुदान, विनिमय, पट्टा द्वारा भूमि, भवन या अन्य स्थावर सम्पत्ति का उससे संलग्न सभी अधिकारों सहित अर्जन करना,

(ii) निधि की सम्पत्ति का प्रबन्धन करना।

(iii) निधि के लिए उपहार, दान, अनुदान आदि द्वारा धन जुटाना।

(iv) निधि के लिए एवं निधि की ओर से धन, प्रतिभूतियों विलेख एवं/अथवा अन्य चल सम्पत्तियां प्राप्त करना।

(v) अपने प्रत्यायित अभिकर्ताओं द्वारा रसीद निर्गत करना, विलेखों का निष्पादन एवं हस्ताक्षर करना, चैकों अथवा अन्य परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन या मिति काटन करना,

(vi) उन अभिलेखों एवं लिखतों का निर्माण, निष्पादन एवं उन पर हस्ताक्षर करना जो निधि के कार्यकलापों के संचालन व निधि की सम्पत्ति के प्रबन्धन के लिए उचित एवं आवश्यक हो,

(vii) निधि की किसी चल या अचल सम्पत्ति का प्रबन्धन, अन्तरण, निपटान,

(viii) पदाधिकारियों की शक्तियों, कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्धारण,

(ix) निधि के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति,

(x) समय–समय पर उन एवं उतनी संख्या में उन शर्तों पर व्यक्तियों को रखना जो निधि के कार्यकलापों निधि द्वारा आरम्भ किये गये अध्ययनों, अन्वेषणों शोधों, प्रशिक्षणों एवं अन्य गतिविधियों के संचालन हेतु उपयुक्त हों,

(xi) निधि के कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं उच्चस्थता बनाये रखना।

(xii) कार्यकारिणी को निम्न विषयों के सम्बन्ध में उपविधियां बनाने का अधिकार होगा:

(क) निधि की सम्पत्ति, कोष, कार्यकलापों तथा कार्यों का प्रबन्धन,

(ख) समय–समय पर गठित निकायों एवं कार्यकारिणी की बैठकों के आयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया का निर्धारण,

(ग) अन्य ऐसे विषय जो आवश्यक पाये जायें।

(1) धारा–4 में विहित शक्तियों / कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष / सदस्य सचिव की निम्न शक्तियां / कर्तव्य होंगे–

5. अध्यक्ष / सदस्य सचिव की शक्तियां एवं कर्तव्य–

(क) अध्यक्ष, निधि का प्रमुख होगा, जो कार्यकारिणी की बैठकों का सभापतित्व करेगा एवं पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को निर्देश जारी करेगा। वह कार्यकारिणी की आपात बैठक बुला सकता है।

(ख) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारिणी की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा उसमें समस्त वे शक्तियां निहित होंगी जो उसे औपचारिक रूप से लिखित रूप में अध्यक्ष द्वारा समनुदेशित की जायें।

(ग) सदस्य सचिव निधि की सम्पत्ति पर सामान्य नियंत्रण रखेगा तथा निधि के प्रशासनिक एवं न्यायिक मामलों की देखरेख करेगा। सदस्य सचिव के निधि के लेखों के उचित रखरखाव तथा उनकी निर्धारित वार्षिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह अध्यक्ष के परामर्श और पूर्व स्वीकृति से आरम्भ किये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

6. कार्यकारिणी की बैठकें–

कार्यकारिणी की बैठकें वार्षिक होंगी, परन्तु विशेष स्थितियों में जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष की अनुमति से इसकी बैठक हो सकेगी।

कार्यकारिणी की बैठक के लिए पन्द्रह दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होगी। आपात परिस्थितियों में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जा सकती है।

7. कर्मचारिवृन्द एवं उनके पारिश्रमिक— कार्यकारिणी अपने कृत्यों और कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियत अवधि के लिए जो तीन वर्ष से अनधिक होगी, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को स्टाफ में अनुबन्ध अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति तथा उनकी ऐसी नियुक्ति एवं पारिश्रमिक की शर्तें विहित कर सकेगी, ऐसी नियुक्तियों पर आने वाला व्यय निधि के कोष से वहन किया जायेगा।

अध्याय—3

8. कनिधि कार्यालय— निधि का कार्यालय सचिव, शहरी विकास, उत्तरांचल शासन, देहरादून अर्थात निधि के पदेन सचिव के कार्यालय में पृथक प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया जाएगा।

9. निधि का वित्तपोषण— (1) कार्यकारिणी के प्रबन्धन एवं नियंत्रण में एक कोष स्थापित किया जायेगा जिसमें निधि द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि (जिसमें दान एवं अनुदान आदि सम्मिलित है) जमा की जायेगी तथा उससे निधि के सभी खर्चों की जिनमें कोई भुगतान या अनुदान देना तथा क्रियान्वित भार सम्मिलित है, भुगतान किया जायेगा।

(2) निधि व्यक्तियों निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं, न्यासों, निगमित निकायों एवं केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों से प्राप्त दान एवं अंशदान आदि विभिन्न स्रोतों से धन जुटायेगी।

(3) कार्यकारिणी निधि में जमा कोई भी धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा में निवेश कर सकती है।

(4) कार्यकारिणी साधारण बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा कुल प्राप्तियों की दो तिहाई तक सीमित धनराशि निधि के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप सुसंगत कार्यों/गतिविधियों पर उन तरीके से जैसा वह उपयुक्त एवं उचित समझे व्यय करने को अधिकृत कर सकती है।

(5) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1949 (संख्या 38 वर्ष 1949) में विहित अर्थानुसार व्यवसायरत् चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जिसे वार्षिक आधार पर कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त किया जायेगा, निधि के वार्षिक लेखों की लेखा–परीक्षा की जायेगी।

(6) यथा साध्य प्रत्येक वर्षान्त के उपरान्त यथाशीघ्र परन्तु अगले वर्ष के 30 सितम्बर से विलम्बतम नहीं, कार्यकारिणी उस वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों और समिति की प्रतिवेदन आख्या प्रकाशित करायेगी तथा उक्त लेखों और प्रतिवेदन की प्रतियां निधि के सभी सदस्यों एवं राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

(7) कार्यकारिणी के बैंक खाते भारतीय स्टेट बैंक की देहरादून एवं हरिद्वार की मुख्य शाखाओं में खोले जायेंगे, जो निधि के संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से परिसंचालित होंगे।

10. वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन– कार्यकारिणी उस समय के पूर्व जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये प्रति वर्ष निधि के कार्यकलापों के प्रशासन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

अध्याय–4 (प्रकीर्ण)

11. राज्य सरकार की लेखा एवं सूचनायें मांगने की शक्ति– राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह ऐसी सूचनाएं एवं लेखे मांग सकती है, जो उसके विचार से उन्हें युक्तियुक्त रूप से यह समाधान करने के लिये आवश्यक होंगे कि निधि का कोष उचित रूप से प्रबन्धित, अनुरक्षित एवं प्रशासित है एवं कार्यकारिणी ऐसी अपेक्षा पर तत्काल वे सूचनाएं एवं लेखे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

12. न्यायिक वाद एवं कार्यवाही पर प्रतिबन्ध– कार्यकारिणी अथवा इसके किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत निधि के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गये किसी कृत्य या तात्पर्यित रूप से समझे गये किसी कृत्य के लिये कोई वाद या कार्यवाही किसी न्यायालय में संस्थित नहीं की जा सकेगी।

13. कार्यकारिणी की उपनियम बनाने की शक्ति– (1) कार्यकारिणी निम्न प्रयोजनों के लिये ऐसे उपनियम बना सकती है, जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत निर्मित उपविधि अथवा किसी अन्य विधि से असंगत न हो–

(क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा कार्यकारिणी के सदस्यों में कर्तव्यों का विभाजन।

(ख) बैठकों से इतर उनके निर्णयों के अभिनिश्चयन की रीति।

(ग) कार्यकारिणी की बैठकों के कामकाज का संचालन एवं प्रक्रिया।

(घ) किसी सदस्य या उपसमिति या उपसमितियों को कार्यकारिणी की शक्तियों का प्रतिनिधायन।

(च) कार्यकारिणी के कार्यालय में रखे जाने वाले बही खाते।

(छ) निधि के कोष की अभिरक्षा एवं अभिनियोजन।

(ज) कार्यकारिणी के बजट में सम्मिलित किये जाने वाले या छोड़ दिये जाने वाले विवरण।

(झ) बैठकों का समय एवं स्थान।

(ट) बैठकों की सूचना दिये जाने की रीति।

(ठ) बैठक की कार्यवाही के अभिलेखन एवं प्रकाशन की रीति।

(ड) कार्यकारिणी को दिये गये भुगतान हेतु जिन व्यक्तियों द्वारा रसीद जारी की जायेगी।

(ढ) कर्तव्यों का पालन।

(2) राज्य सरकार की पुष्टि के उपरान्त सभी उपनियम अथवा वर्तमान उपनियमों का परिवर्तन या निरसन सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा, एवं तदुपरान्त विधि का बल रखेंगे।

14. कठिनाइयों के निवारण की शक्ति– अधिनियम के प्राविधानों के प्रवर्तन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये कार्यवाही कर सकती है जो इस अधिनियम के असंगत न हो।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–14 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि हरिद्वार अनन्त कुम्भ निधि विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(कार्यसूची की मद संख्या–40 के अन्तर्गत श्री नारायण पाल, सदस्य विधान सभा के नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव के लिए नाम पुकारे जाने पर वह उपस्थित नहीं थे।)

जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार व रघुनाथ मन्दिर धतु को चार धाम पद यात्रा मार्ग को चिन्हित कर चार धाम यात्रा की कार्य योजना विषयक नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाना अत्यावश्यक है विषयक नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाना अत्यावश्यक है।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध करने विषयक नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि " इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में स्थायी निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत एवं समयबद्ध किया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

संविधान के अनुच्छेद–323 के खण्ड (2) के अधीन उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर मा0 सदन द्वारा चर्चा कराने विषयक नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "संविधान के अनुच्छेद–323 के खण्ड (2) के अधीन 18 दिसम्बर, 2003 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर माननीय सदन द्वारा चर्चा की जाय।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें सर्व श्री कैलाश शर्मा, श्री प्रीतम सिंह पंवार, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री मदन कौशिक, श्री अजय भट्ट, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, प्रकाश पंत, श्री नारायण पाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री काशी सिंह ऐरी, श्री अनिल नौटियाल, श्री हरबंस कपूर तथा श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, परम्परा रही है कि अन्तिम उपवेशन के दिन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के प्राथमिक विद्यालय मेलकुड़ा भवन की छत जमीन पर गिर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

[जनपद पिथौरागढ़ के 46 जीर्ण–शीर्ण, भवनहीन, ध्वस्तप्राय प्राथमिक विद्यालयों का नवनिर्माण 11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था, जिसमें प्राथमिक विद्यालय मेलकुडा भी सम्मिलित है। उक्त 46 प्राथमिक विद्यालयों में से 20 प्राथमिक विद्यालयों के नवनिर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। शेष विद्यालय, जिसमें मेलकुडा भी सम्मिलित है, को 11वें वित्त आयोग की अवशेष स्वीकृति प्राप्त होते ही धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

प्राथमिक विद्यालय मेलकुडा की छात्र संख्या–27 है, वर्षाकाल में सभी कक्षाओं के छात्रों को एक कक्षा–कक्ष, जिसकी स्थिति कुछ ठीक है, में बैठाकर शिक्षण कार्य संचालित किया जाता है।]

देहरादून खास विधान सभा के कई क्षेत्रों में स्थान–स्थान पर सीवर लाईन के अभाव में सीवर की गन्दगी खुले नालों में बहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

[मा0 सदस्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लिखित क्षेत्रों बकरालवाला से नेशविला रोड, मुक्खूवाला, लुनिया मौहल्ला, डांडीपुर, मन्नूगंज, हकीकतराय नगर, खुड़बड़ा मौहल्ला आदि में बिछाई गई सीवर लाईन सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं ओवर फ्लो होने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल समस्या का निवारण करा दिया जाता है। इन क्षेत्रों में सभी भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन नहीं करवाये गये हैं। विभाग के अथक प्रयासों से लगभग 60% भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन करवा लिये गये हैं। शेष क्षेत्रवासियों को भी विभाग द्वारा बिछाई गई सीवर लाईन से सीवर संयोजन लेने हेतु अनुरोध किया जा रहा

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। अभी इन क्षेत्रों में जिन भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन नहीं लिये गये हैं उन्हीं के द्वारा नालियों में सीवर बहाने की शिकायत है जिसे सीवर संयोजन देकर शीघ्र दूर कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

देहरादून खास विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जिन स्थानों पर सीवर खुले नाले में बह रहा है उन क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनायें विरचित कर रोकथाम की कार्यवाही की जा रही है:-

1. किशन नगर चौक पर ओ0एन0जी0सी0 ट्रक सीवर की कम क्षमता के कारण नाले में गन्दगी प्रवाहित हो रही है इस हेतु इस ट्रंक सीवर के डुप्लीकेशन हेतु प्राक्कलन विरचित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है कार्य पूर्ण होने के पश्चात किशन नगर चौराहे के नाले पर सीवर प्रवाहित होना रूक जायेगा।

2. गोविन्दगढ़, प्रकाश विहार से खुड़बुड़ा की ओर आने वाली सड़क के बिन्दाल नदी पर सीवर ओवर फ्लो होता है, इसको जोन-ई के अन्तर्गत प्रस्तावित सीवर लाईन जो काँवली रोड से गोविन्दगढ़ रोड होते हुए बिन्दाल नदी तक आयेगी, में जोड़ा जाना प्रस्तावित है तथा इस योजना का कार्य प्रगति पर है।

न्यू कालोनी जो कि फॉरेस्ट कालोनी के पीछे बसी है, में निर्मित सैप्टिक टैंक पूर्ण रूप से सीवरेज से भरे होने के कारण दुर्गन्ध आ रही है। फॉरेस्ट कालोनी में शीघ्र ही सफाई फॉरेस्ट विभाग द्वारा की जानी बताई गई है क्योंकि यह व्यवस्था फॉरेस्ट विभाग द्वारा ही संचालित है।]

कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट में लोक निर्माण खण्ड, रानीखेत "डिपाजिट वर्क" के रूप में करवाये गये कार्यों का भुगतान मजदूरों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)-

[कुमाऊँ इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट में आन्तरिक सड़कों का निर्माण तथा अन्य कार्य लोक निर्माण खण्ड, रानीखेत द्वारा करवाये जाने हेतु वर्ष 1996-97 से 2001-02 में रु0 1.33 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई थी किन्तु लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धनराशि फ्रीज किये जाने के कारण रु0 15.20 लाख की धनराशि का आहरण लोक निर्माण विभाग के स्तर पर नहीं किया जा सका है। उक्त लैप्स हुई धनराशि की पुष्टि कोषागार से की जा रही है। पुष्टि हो जाने के उपरान्त प्रस्ताव का गुणावगुण के आधार पर पुनः स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही यथा समय की जायेगी।]

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी के ग्राम बिनगढ में पेयजल आपूर्ति की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम–51 के अन्तर्गत सूचना पर पेयजल मंत्री का केवल वक्तव्य

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

[जनपद चमोली के विकासखण्ड, पोखरी के ग्राम बिनगढ में सिनाऊ ग्राम समूह पेयजल योजना से जलापूर्ति होती है। यह योजना 05 राजस्व गांव व 08 उप ग्रामों की हैं बिनगढ ग्राम तीन भागों में बसा है। चालू वित्तीय वर्ष में रु0 1.81 लाख की धनराशि व्यय कर, बिनगढ में पेयजल आपूर्ति सुचारू कर दी गई है। वर्तमान में तीनों भागों में पेयजल आपूर्ति सुचारू–रूप से चल रही है।]

ईरान में भूकम्प से हुई तबाही के प्रति संवेदना प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि ईरान में आये भयंकर भूकम्प से जो जान–माल की क्षति हुई है उसके प्रति यह सदन संवेदना व्यक्त करता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राष्ट्र–गान

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्र–गान के लिए खड़े होते हैं।

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत भाग्य विधाता।।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा।
द्राविड़ उत्कल बंग।।
विंध्य हिमाचल यमुना–गंगा,
उच्छल जलधि तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(इसके बाद सदन अपराह्न 6 बजकर 56 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

देहरादून,
दिनांक 30 दिसम्बर, 2003

महेश चन्द्र
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तरालेख का अनुलग्नक

	नाम	भुगतान की गयी धनराशि (रुपये)
1.	श्री दलीप सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह	23187.50
2.	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मधू सिंह	12687.50
3.	श्री पदम सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह श्री भरत सिंह पुत्र श्री कुन्दन सिंह श्री गंगा सिंह पुत्र श्री शेर सिंह	20562.50
4.	श्रीमती पवित्रा देवी पत्नी पूरण सिंह	4375.00
5.	श्री अनूप सिंह/श्री सुशील सिंह/ मुकेश सिंह पुत्र श्री गजपाल सिंह	5250.00
6.	श्री जसपाल लाल पुत्र श्री नैनू, कन्हैया पुत्र श्री सत्ती	6125.00
7.	श्री भगत सिंह पुत्र श्री शिव सिंह श्रीमती पवित्रा देवी पत्नी श्री पूरण सिंह	11325.00
8.	श्री कमल सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह श्री दशरथ सिंह पुत्र श्री बैसाख सिंह	13562.50
9.	श्री दान सिंह पुत्र श्री गुसाई सिंह श्री दीवान सिंह/बलवन्त सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह	21875.00
10.	श्री भगत सिंह पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह	16625.00
11.	श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह	3500.00
12.	श्री रमेश सिंह पुत्र श्री सूर सिंह श्री धरम सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह	8750.00
13.	श्री भवान सिंह पुत्र श्री बैरागी सिंह	9625.00
14.	श्री दर्शन सिंह/गोकुल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह	17937.00
	कुल योग	1,75,387.00

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 2 वि0स0/38–25–04–2009–200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।